

<u>विषय</u>
<b>भाग I : परिचय</b>
अध्याय I - प्रारंभिक
अध्याय II - परिभाषा
अध्याय III - पंजीकरण
<b>भाग II : प्रुडेंशियल मुद्दे</b>
अध्याय IV- पूंजीगत निधि और पूंजीगत आवश्यकताएँ
अध्याय V - निधि के स्रोत और उपयोग
अध्याय VI - प्रुडेंशियल विनियमन
<b>भाग III: अभिशासन मुद्दे</b>
अध्याय VII - कॉरपोरेट गवर्नेंस
<b>भाग IV: विविध मुद्दे</b>
अध्याय VIII - विविध अनुदेश
अध्याय XI - रिपोर्टिंग आवश्यकताएं
अध्याय X - व्याख्याएं
अध्याय XI - निरसन
<b>अनुलग्नक</b>
अनुलग्नक I - एसडी बांड पर दिशानिर्देश (टीयर-॥ पूँजी)
अनुलग्नक II - ऋण जोखिम हेतु पूँजी पर्याप्तता
अनुलग्नक III - बाजार जोखिम का मापन
अनुलग्नक IV - उदाहरण
अनुलग्नक V - बीमा व्यवसाय में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रवेश के लिए दिशा-निर्देश
अनुलग्नक VI - एनबीएफसी द्वारा म्युचुअल फंड उत्पादों के वितरण पर दिशा-निर्देश
अनुलग्नक VII - वित्तीय परिणामों का प्रकाशन
अनुलग्नक VIII - एनबीएफसी के निदेशकों के लिए "उचित और उपयुक्त" मानदंड
अनुलग्नक IX - निदेशकों द्वारा घोषणा और वचन
अनुलग्नक X - एनबीएफसी के निदेशक के साथ वचनपत्र करार का फॉर्म
अनुलग्नक XI - तुलन पत्र प्रकटीकरण की सूचक सूची
अनुलग्नक XII - विदेशी मुद्रा विनियम (एफ़ई) स्थिति के लिए पूँजी प्रभार
अनुलग्नक XIII - लाभांश घोषित करने वाले प्राइमरी डीलरों के लिए रिपोर्टिंग प्रारूप
अनुलग्नक XIV - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में प्रबंध जोखिम और आचार संहिता पर दिशा-निर्देश

**भाग I**  
**परिचय**  
**अध्याय 1**  
**प्रारंभिक**

**1. संक्षिप्त नाम और दिशानिर्देश का प्रारंभ ।**

- (1) इन निदेशों को - स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 कहा जाएगा।
- (2) उक्त निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

**2. प्रयोज्यता**

- (1) इन निदेशों के प्रावधान बैंक के साथ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकृत सभी - स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर (एसपीडी) पर लागू होंगे।
- (2) यह निदेश भारतीय रिज़र्व बैंक के गैर-बैंकिंग विनियमन विभाग द्वारा जारी विनियमों को समेकित करता है। हालांकि बैंक के किसी अन्य विभाग द्वारा जारी स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर (एसपीडी) पर लागू कोई अन्य दिशानिर्देश/निदेश का पालन करना होगा।

**अध्याय - II**  
**परिभाषाएं**

**3. इन निदेशों के प्रयोजन के लिए, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:**

- (i) "अधिनियम" से तात्पर्य है भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934;
- (ii) "बैंक" से तात्पर्य है भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 3 के तहत गठित भारतीय रिज़र्व बैंक;
- (iii) "गौण ऋण" का अर्थ है पूर्णतः चुकता, गैर-जमानती अन्य ऋणदाता के दावों से गौण, प्रतिबंधित खण्डों से मुक्त और धारक के अनुरोध पर अथवा बैंक की सहमति के बिना विमोच्य नहीं होने वाला लिखत 5 वर्ष से कम की प्रारंभिक परिपक्वता वाले या एक वर्ष से कम की शेष परिपक्वता वाले एसडी लिखतों को टियर-II पूंजी के हिस्से के रूप में शामिल नहीं किया जाएगा। टियर-2 पूंजी के लिए पात्र एसडी लिखत टियर-1 पूंजी के 50 प्रतिशत तक सीमित होंगे। इसे जारी करने हेतु अनुलग्नक I में दिये अनुसार एसडी बॉण्ड (टीयर II पूंजी) पर जारी दिशानिर्देश का अनुपालन करना होगा। उक्त एसडी लिखतों को निम्नानुसार बढ़ा दर लागू होगा:

लिखतों की शेष परिपक्वता अवधि	बट्टा दर
एक वर्ष से कम	100%
एक वर्ष से अधिक किंतु दो वर्ष से कम	80%
दो वर्ष से अधिक किंतु तीन वर्ष से कम	60%
तीन वर्ष से अधिक किंतु चार वर्ष से कम	40%
चार वर्ष से अधिक किंतु पांच वर्ष से कम	20%

(iv) "टियर-I पूंजी" का अर्थ है चुकता पूंजी, सांविधिक आरक्षित निधि और अन्य घोषित निर्बंध आरक्षित निधियाँ। सहायक कंपनियों (जहाँ लागू हो) में निवेश, अमूर्त आस्तियों, चालू वित्त वर्ष में हानि, आस्थगित कर आस्तियों, और गत लेखांकन अवधिसे लायी गई हानियों को टियर -I पूंजी से घटाया जाएगा।

यदि किसी एसपीडी द्वारा समूह की अन्य कंपनियों में व्यावसायिक सम्बन्ध से नहीं जुड़ा हुआ ऋणों और अग्रिमों के रूप में दिया गया सारवान हित/एक्सपोजर है (जैसा कि एनबीएफसी के लिए परिभाषित किया गया है), तो इस राशि को टियर I पूंजी से घटा दिया जाएगा।

(v) "टियर-II पूंजी" में निम्नलिखित शामिल है:

- i. अव्यक्त आरक्षित निधि और संचयी अधिमानी शेयर<sup>1</sup>(अनिवार्य रूप से इक्विटी में परिवर्तनीय को छोड़कर)। संचयी अधिमानी शेयर पूर्णतः चुकता होगी और और धारक द्वारा मोचन की अनुमति देने वाला कोई खंड शामिल नहीं होगा।
  - ii. 55 प्रतिशत के बट्टा दर पर पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि;
  - iii. जोखिम भारित परिसंपत्तियों के 1.25 प्रतिशत की सीमा तक सामान्य प्रावधान एवं हानि आरक्षित निधि, (जिसका किसी विशिष्ट आस्थि के मूल्य में वास्तविक कमी अथवा उसमें ज्ञातव्य संभावित हानि से संबंध नहीं लगाया जा सकता और जो अप्रत्याशित हानि को पूरा करने के लिए उपलब्ध रहती हैं);
  - iv. संमिश्र (हाइब्रिड) ऋण पूंजी लिखत; जिसमें इक्विटी और ऋण दोनों की कुछ विशेषताएं हों।
  - v. गौण ऋण
4. इसमें प्रयुक्त ऐसे शब्द अथवा अभिव्यक्तियाँ, किन्तु जो यहां परिभाषित नहीं हैं और आरबीआई अधिनियम में परिभाषित की गई है, का वही अर्थ होगा जो आरबीआई अधिनियम में है। इसमें प्रयुक्त अन्य शब्द अथवा अभिव्यक्तियाँ, किन्तु जो आरबीआई अधिनियम अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किसी निदेश में परिभाषित नहीं हैं, का यथास्थिति वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम 1956 अथवा कंपनी अधिनियम 2013 (2013 का अधिनियम 18) में नियत है।

<sup>1</sup>संचयी अधिमानी शेयर (प्रेफ्स) संचित हो जाते हैं जब कोई लाभांश देय होने पर भुगतान नहीं किया जाता है और किसी भी साधारण शेयर पर लाभांश का भुगतान तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक संचयी प्रेफ्स पर बकाया पूरा लाभांश अदा नहीं कर दिया जाता है।

## अध्याय -III

### पंजीकरण

5. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 (1934 का 2) की धारा 45-आईए की उपधारा (1) के खंड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में इसे समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक द्वारा निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ़) के संबंध में बैंक द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट आवश्यकता के अतिरिक्त गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान का कारोबार करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए निवल स्वाधिकृत निधि दो सौ लाख रुपए होना विनिर्दिष्ट किया जाता है। स्टैंड एलोन प्राइमरी डीलर के रूप में कार्य करने का प्राधिकार बैंक के आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग द्वारा एनएफ़बीसी को समय-समय पर जारी अर्हता शर्तों के अनुपालन के अधीन होगा।

### भाग - II

### पुडेन्शियल मुद्दे

### अध्याय IV

### पूंजीगत निधि और पूंजीगत आवश्यकताएं

#### 6. पूंजीगत निधि

पूंजीगत निधियों में टियर-1 और टियर-2 पूंजी शामिल हैं।

#### 7. न्यूनतम सीआरएआर अनुपात

एसपीडी को निरंतर आधार पर जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) कम से कम 15 प्रतिशत बनाए रखने की आवश्यकता है।

#### 8. जोखिम भारित आस्तियों का मापन

तुलन पत्र और तुलनपत्रेत्तर विभिन्न मदों के लिए ऋण जोखिम भारिता का विवरण और ऋण जोखिम के लिए ऋण जोखिम आस्तियों की गणना की विधि अनुलग्नक II में दी गई है। बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना की प्रक्रिया अनुलग्नक III में दी गई है।

#### 9. पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताएं

(i) अनुलग्नक II और अनुलग्नक III में दर्शाए गए ऋण जोखिम और बाजार जोखिम के लिए पूंजीगत प्रभार को हर समय बनाए रखना चाहिए ।

(ii) अर्हता योग्य पूंजी की गणना के क्रम में, सर्वप्रथम ऋण जोखिम और उसके बाद बाजार जोखिम के लिए एसपीडी की न्यूनतम अपेक्षित पूंजी की गणना करना आवश्यक होगा, ताकि यह स्थापित किया जा सके कि बाजार जोखिम के लिए कितनी टियर-I और टियर-II पूंजी उपलब्ध है। ऋण जोखिम के लिए 15% पूंजी प्रभार में से, कम से कम 50% टियर-I पूंजी द्वारा पूरा किया जाना चाहिए, अर्थात् टियर-II पूंजी का कुल, यदि कोई हो, ऋण जोखिम के लिए पूंजीगत प्रभार को पूरा करने के लिए किसी भी समय टियर-I पूंजी के एक सौ प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

- (iii) टियर-II पूंजी के रूप में गौण ऋण टियर-I पूंजी के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
- (iv) टियर-II की कुल पूंजी टियर-I पूंजी के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- (v) अर्हता योग्य पूंजी एसपीडी की टियर-I की कुल पूंजी और ऊपर दिये अनुसार सीमाओं के अंतर्गत टियर-II की कुल पूंजी का योग होगी।
- (vi) समग्र पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना ऋण जोखिम और बाजार जोखिम कारकों के बीच एक स्पष्ट संख्यात्मक लिंक स्थापित करके, बाजार जोखिम पूंजी प्रभार को 6.67 अर्थात् न्यूनतम ऋण जोखिम पूंजी प्रभार 15 प्रतिशत का पारस्परिक सेगुणा करके की जाएगी।
- (vii) परिणामी आंकड़ा ऋण जोखिम के लिए तैयार जोखिम भारित आस्तियों के योग में जोड़ा जाएगा। समग्र अनुपात की गणना के लिए अंश-गणक एसपीडी की कुल पूंजीगत निधि (टियर-1 और टियर-II पूंजी, लागू कटौती के बाद, यदि कोई हो) होगा। पूंजी प्रभार की गणना अनुलग्नक IV में ददिया गया है।

## 10. एसपीडी की गतिविधियों का विविधीकरण

- (i) एसपीडी की गतिविधियों के विविधीकरण संबंधी दिशा-निर्देश इन निदेशों में निर्धारित के अतिरिक्त दिनांक 01 जुलाई, 2016 को जारी मास्टर निदेश आईडीएमडी.पीडीआरडी. 01/03.64.00/2016-17 के माध्यम से जारी प्राथमिक डीलरों के लिए परिचालन दिशानिर्देशों में निहित होंगे।
- (ii) बाजार जोखिम के लिए पूंजी गत प्रभार {मूल्य-जोखिम (वीआर) की गणना 99 प्रतिशत विश्वास स्तर, 15 दिन की होल्डिंग अवधि, 3.3 के गुणक के साथ}, नीचे परिभाषित गतिविधियों के लिए पिछले लेखा-परीक्षित तुलनपत्र के अनुसार निवल स्वाधिकृत आस्तियों वाले फंड<sup>2</sup> (एनओएफ) के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा:
  - (क) इक्विटी और इक्विटी डेरिवेटिव में निवेश/व्यापार
  - (ख) इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल निधि की इकाइयों में निवेश

<sup>2</sup> भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय III-बी की धारा 45-आईए के स्पष्टीकरण पूरक नोट की शर्तों के अनुसार, एनओएफ की गणना इस प्रकार की जाएगी - (क) चुकता इक्विटी पूंजी और मुक्त आरक्षित निधियों का वह योग, जिन्हें कंपनी के अद्यतन तुलन पत्र में प्रकट किया गया हो और जिसमें से निम्नलिखित को घटाया गया हो - i. संचित हानि राशि का बेलन्स ii. आस्थगित राजस्व व्यय iii. अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां और ख) उसमें से निम्नलिखित को भी उस सीमा तक घटाया जाए जहाँ तक ऐसी राशि उल्लिखित (क) के 10 प्रतिशत से अधिक हो 1. कंपनी के द्वारा निम्नलिखित के शेयरों में किए गए निवेश -i) उसकी सहायक कंपनियों में; ii) उसी समूह की कंपनियों में; iii) सभी अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में; और 2.(i) ऐसी कंपनी की सहायक कंपनियों और (ii) उसी समूह की कंपनियों के डिवेंचरों, बांडों, उन्हे दिए गए बकाया ऋण तथा अग्रिमों (किराया खरीद तथा पट्टादायी वित्त सहित) एवं जमाराशियों का बही मूल्य।

(ग) इक्विटी की हमीदारी के सार्वजनिक इश्यू

(डी) मुद्रा वायदा बाजार में सहभागिता

(iii) एसपीडी 01 जुलाई, 2016 को जारी मास्टर निदेश आईडीएमडी.पीडीआरडी. 01/03.64.00/2016-17 के माध्यम से जारी प्राथमिक डीलरों के लिए परिचालन दिशानिर्देशों के अनुलग्नक VII में निहित निर्देशों के अनुसार आंतरिक मॉडलों (वीआर आधारित) का उपयोग करके स्टॉक स्थितियों /अंतर्निहित स्टॉक स्थितियों /इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल निधियों की इकाइयों पर बाजार जोखिम के लिए पूंजीगत प्रभार की गणना करेंगे। एसपीडी इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव्स और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल निधियों में एक्सपोजर से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना अनुलग्नक II में निर्धारित निर्देशों के अनुसार करेंगे।

## अध्याय V

### निधियों के स्रोत और उपयोग

#### 11. निधियों के स्रोत

(1) एसपीडी को कॉल/नोटिस/टर्म मनी मार्केट, रेपो (सीबीएलओ सहित) बाजार, इंटर-कॉर्पोरेट डिपॉजिट, एफसीएनआर (बी) ऋण, वाणिज्यिक पत्र और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर के माध्यम से धन उधार लेने की अनुमति है। वे बैंक से तरलता सहायता के लिए भी पात्र हैं।

#### (2) कॉल/नोटिस मार्केट

(i) एसपीडी को कॉल/नोटिस बाजार से, रिपोर्टिंग पखवाड़े में औसतन, पिछले वित्तीय वर्ष के मार्च के अंत में उनके एनओएफ़ का 225 प्रतिशत तक उधार लेने की अनुमति है। वे 'रिपोर्टिंग पखवाड़े' में कॉल/नोटिस मुद्रा बाजार में औसतन अपने एनओएफ़ के 25 प्रतिशत तक उधार दे सकते हैं। उधार लेने और ऋण देने संबंधी ये सीमाएं बैंक द्वारा आवधिक समीक्षा के अधीन हैं। एसपीडी "कॉल/नोटिस मनी मार्केट ऑपरेशन्स" पर और समय-समय पर यथासंशोधित 01 जुलाई 2015 को जारी आरबीआई मास्टर परिपत्र एफएमआरडी.डीआईआरडी. 01/14.01.001/2015-16 के प्रावधानों से संचालित होते हैं।

#### (3) अंतर-कॉर्पोरेट जमाराशि (आईसीडी)

(i) एसपीडी द्वारा अपनी आवश्यकताओं के अनुसार आईसीडी के माध्यम से निधि उठाया जा सकता है। आईसीडी के लिए एसपीडी, बोर्ड अनुमोदित नीति लागू करेगा, जो संबंधित जोखिमों को ध्यान में रखती और उसमें निम्नलिखित सामान्य सिद्धांत शामिल होंगे:

क) आईसीडी उधार किसी भी स्थिति में पिछले वित्तीय वर्ष के मार्च के अंत के एनओएफ़ के 150 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

ख) एसपीडी द्वारा स्वीकार किए गए आईसीडी एक सप्ताह की न्यूनतम अवधि के लिए होंगे।

ग) मूल/प्रमोटर/समूह कंपनियों या किसी अन्य संबंधित पक्ष से स्वीकार किए गए आईसीडी 'स्वतंत्र आधार' पर होंगे और उनका वित्तीय विवरणों में "संबंधित पक्ष लेनदेन" के रूप में प्रकटीकरण किया जाएगा।

घ) आईसीडीएस के माध्यम से जुटाई गई धनराशि एएलएम अनुशासन के अधीन है।

(ii) एसपीडी द्वारा आईसीडी बाजार में निधि का निवेश वर्जित है।

#### **(4) एफसीएनआर (बी) ऋण / विदेशी वाणिज्यिक उधार**

(i) एसपीडी पिछले वित्तीय वर्ष के मार्च के अंत के एनओएफ के अधिकतम 25 प्रतिशत तक एफसीएनआर (बी) ऋण का लाभ उठा सकते हैं, बशर्ते कि विदेशी मुद्रा जोखिम के अधीन इस तरह के ऋणों को हर समय कम से कम 50 प्रतिशत एक्सपोजर को हेज किया जा रहा है।

एसपीडी "प्राथमिक डीलरों (पीडीएस) द्वारा एफसीएनआर (बी) ऋणों का लाभ उठाना" विषय पर आरबीआई के 24 मार्च, 2003 के समय-समय पर यथासंशोधित परिपत्र आईडीएमसी.पीडीआरएस.सं 3820/036400/2002-03 के प्रावधानों से संचालित होते हैं।

(ii) एसपीडी को विदेशी वाणिज्यिक उधारी के माध्यम से धन जुटाने की अनुमति नहीं है।

#### **(5) गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी):**

एसपीडी किसी बैंक में कार्यशील पूंजी सीमा होने की आवश्यकता के बिना एक वर्ष तक परिपक्वता की एनसीडी जारी कर सकते हैं। इस हेतु वे 23 जून, 2010 के परिपत्र आरबीआई/2009-10/505-आईडीएमडी.डीओडी.10/11.01.01(A)/2009-10 के माध्यम से जारी "गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर जारी किए जाने संबंधी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2010" के समय-समय पर यथासंशोधित निर्देशों द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे।

#### **(6) वाणिज्यिक पत्र**

एसपीडी द्वारा वाणिज्यिक पत्र का जारी करना 1 जुलाई, 2015 का समय-समय पर यथासंशोधित "वाणिज्यिक पत्र जारी करने के लिए दिशानिर्देश" पर मास्टर परिपत्र एफ़एमआरडी.डीआईआरडी.02/14.01.002/2015-16 के अनुसार निर्गत किया जाएगा।

### **12. निधि का उपयोग**

(1) एसपीडी को कुछ प्रमुख और कुछ गैर-प्रमुख गतिविधियां करने की अनुमति है। एसपीडी जो केवल प्रमुख गतिविधियां संपादित करते हैं, वे 150 करोड़ रुपये का न्यूनतम एनओएफ बनाए रखेंगे। ऐसे एसपीडी जो गैर-प्रमुख गतिविधियां भी करते हैं, वे 250 करोड़ रुपये का न्यूनतम एनओएफ बनाए रखेंगे।

(2) निवेश के पैटर्न में जी-सेक में निवेश का गैर-प्रमुख गतिविधियों पर प्रभुत्व होना चाहिए। एसपीडी किसी भी समय जी-सेक में अपने कुल वित्तीय निवेश (दीर्घावधि और अल्पावधि दोनों) का कम से कम 50 प्रतिशत बनाए रखकर प्रभुत्व सुनिश्चित करेंगे। जी-सेक निवेश में एसपीडी का अपना स्टॉक, तरलता सपोर्ट/इंट्रा-डे तरलता (आईडीएल)/ एलएएफ के अंतर्गत बैंक के साथ का स्टॉक, रेपो उधारी के लिए बाजार के साथ का स्टॉक और सीसीआईएल के साथ गिरवी रखा गया जी-सेक शामिल होगा।

(3) दैनिक आधार पर जी-सेक (टी-बिल और सीएमबी सहित) और कॉर्पोरेट बॉन्ड (एनओएफ के 50% तक) में एसपीडी का निवेश कम से कम उसके निवल कॉल/नोटिस/रेपो(सीबीएलओ सहित) उधार के अलावा निवल आरबीआई उधार (एलएएफ/इंट्रा-डे तरलता/तरलता सपोर्ट द्वारा एवं न्यूनतम निर्धारित एनओएफ के योग के बराबर होगा।

(4) प्रमुख गतिविधियों के अंतर्गत निम्नलिखित की अनुमति है:

(i) जी-सेक में डीलिंग और अंडरराइटिंग,

(ii) ब्याज दर डेरिवेटिव में डीलिंग,

(iii) जी-सेक में ब्रोकिंग सेवाएं प्रदान करना,

(iv) कॉर्पोरेट/पीएसयू/एफआई बांड/डिबेंचर में डीलिंग और अंडरराइटिंग,

(v) कॉल/नोटिस/टर्म/रेपो/सीबीएलओ मार्केट में उधार देना,

(vi) वाणिज्यिक पत्र (सीपीज) में निवेश,

(vii) जमा प्रमाण पत्र (सीडीज) में निवेश,

(viii) प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति प्राप्तियों, परिसंपत्ति समर्थित प्रतिभूतियों (एबीएस), बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश,

(ix) डेट म्यूचुअल फंड, जहां सम्पूर्ण निधि को डेट सिक्योरिटीज में निवेश किया जाता है, में निवेश,

(x) एनसीडी में निवेश, और

(xi) क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप में डीलिंग।

(5) एसपीडी को निम्नलिखित गौण गैर-प्रमुख गतिविधियां करने की अनुमति है:

(i) ऐसी गतिविधियां जिसमें पूंजी लगने की संभावना है:

ए) इक्विटी और इक्विटी डेरिवेटिव बाजार में निवेश/व्यापार,

बी) इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में निवेश,

सी) इक्विटी के सार्वजनिक निर्गमन का अंडरराइटिंग,-

डी) चलन फ्यूचर्स बाजार में सह-भागिता, और



ई) समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदत्त अनुमति के अनुसार अपने एफपीआई ग्राहकों को विदेशी मुद्रा उत्पाद प्रदान करना।

(ii) ऐसी सेवाएं, जिनके लिए काफी हद तक पूंजी परिव्यय की आवश्यकता नहीं हो जैसे:

ए) व्यावसायिक समाशोधन सेवाएं,

बी) पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं,

सी) निर्गमन मैनेजमेंट सेवाएं,

डी) विलय और अधिग्रहण परामर्श सेवाएं,

ई) निजी इक्विटी प्रबंधन सेवाएं,

एफ) परियोजना मूल्यांकन सेवाएं,

जी) ऋण समूहन सेवाएं,

एच) ऋण पुनर्रचना सेवाएं,

आई) कंसल्टेंसी सेवाएं,

जे) म्यूचुअल फंड इकाइयों का वितरण, और

के) बीमा उत्पादों का वितरण।

(iii) बीमा उत्पादों के वितरण के लिए, एसपीडी को सूचित किया जाता है कि वे अपने सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित आवश्यक विवरणों के साथ गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को आवेदन करें, जिनके क्षेत्राधिकार में एसपीडी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है। एसपीडी कुछ पात्रता शर्तों के अधीन रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के बिना फीस के लिए और जोखिम भागीदारी के बिना बीमा एजेंसी व्यवसाय कर सकते हैं। **अनुलग्नक V** में विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

(iv) रिज़र्व बैंक में पंजीकृत एसपीडी को सेबी के आचार संहिता सहित सेबी के दिशा-निर्देशों/विनियमों के अनुपालन के अधीन म्यूचुअल फंड उत्पादों को वितरित करने की अनुमति है। विस्तृत दिशा-निर्देश **अनुलग्नक VI** में दिये गए हैं।

(v) ऊपर उल्लिखित गतिविधियों को आरंभ करने के लिए यदि आवश्यक हो तो अन्य नियामकों से विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त किए जाना चाहिए।

(vi) एसपीडी को इक्विटी में ब्रोकिंग, कमोडिटीज और सोने में ट्रेडिंग/ब्रोकिंग करने की अनुमति नहीं है।

(vii) गैर-प्रमुख गतिविधियों का एक्सपोजर, निदेश में किए गए प्रावधानों के अनुसार एसपीडी द्वारा गतिविधियों के विविधीकरण हेतु नियामक और प्रुडेन्शियल मानदंडों के अधीन होगा।

(viii) गैर-प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में विविधता का चयन करने वाले एसपीडी अंतर्गत रूप से विविधीकरण का दायरा, संगठन संरचना और रिपोर्टिंग स्तरों को परिभाषित करेंगे। वे अपने बोर्ड

द्वारा अनुमोदित निवेश नीति में उन क्षेत्रों के लिए स्पष्ट रूप से जोखिम और जोखिम सीमा निर्धारित करेंगे।

(6) एसपीडी की प्रमुख और गैर-प्रमुख गतिविधियों का एक्सपोजर इन निदेशों के अध्याय IV में निर्धारित जोखिम पूंजी आबंटन (क्रेडिट जोखिम और बाजार जोखिम) के अधीन होगा।

## अध्याय VI प्रुडेन्शियल विनियम

### 13. प्रतिभूति लेनदेन के लिए लेखांकन मानक

(1) ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में सभी प्रतिभूतियों को उचित अंतराल पर मार्केट टू मार्केट किया जाना चाहिए।

(2) प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के समय दलाली शुल्क, कमीशन या कर जैसी लागतें राजस्व/आस्थगित प्रकृति की होती हैं। प्राप्त/भुगतान की गई खंडित अवधि की ब्याज भी कूपन भुगतान के समय समायोजित हो जाती है। एसपीडी या तो आईएस या जीएपी लेखांकन मानकों को अपना सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करना होगा कि विधि सही और निष्पक्ष होगी और इसके परिणामस्वरूप लाभ या आस्ति मूल्य को अतिरंजित नहीं किया जाए। इसका निरंतर पालन किया जाना चाहिए और सामान्य तौर पर स्वीकार्य होना चाहिए, विशेष रूप से कर प्राधिकारियों को।

(3) सरकार और अन्य प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर लागत के हिस्से के रूप में विक्रेता को भुगतान किए गए खंडित अवधि के ब्याज को पूंजीकृत नहीं किया जाएगा बल्कि लाभ और हानि खाते के तहत व्यय की मद के रूप में माना जाएगा। एसपीडी खंडित अवधि के ब्याज के लिए अलग-अलग समायोजन खाते रख सकते हैं।

(4) प्रतिभूति पोर्टफोलियो का मूल्यांकन डीलिंग और संचालन कार्यों से स्वतंत्र होगा और समय-समय पर फिमडा द्वारा घोषित कीमतों को ले कर किया जाएगा।

(5) एसपीडी प्रमुख वित्तीय दैनिक समाचार पत्रों में और अपनी वेबसाइट पर निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक VII) में अपने लेखा परीक्षित वार्षिक परिणाम प्रकाशित करेंगे। निम्नलिखित न्यूनतम जानकारी को तुलन पत्र की खाता टिप्पणियों के माध्यम से शामिल किया जाएगा:

- (i) कॉल में निवल उधार (अवधि के दौरान औसत और उच्चतम),
- (ii) मूल्यांकन का आधार,
- (iii) लीवरेज अनुपात (औसत और उच्चतम),
- (iv) सीआरएआर (त्रैमासिक आंकड़े), और

(v) गैर-जीसेक निवेशों की जारीकर्ता संरचना का विवरण।

एसपीडी अतिरिक्त प्रकटीकरण द्वारा अधिक जानकारी भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

#### 14. एक्सपोजर मानदंड

(1) एसपीडी के लिए मौजूदा एक्सपोजर मानदंड इस प्रकार हैं-

(i) एएए रेटेड कॉर्पोरेट बांड में निवेश को छोड़कर, एकल उधारकर्ता/प्रतिपक्ष के लिए एक्सपोजर पिछले लेखा-परीक्षित खातों के अनुसार निवल स्वामित्व निधि (एनओएफ) के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और एक समूह उधारकर्ता/प्रतिपक्ष के लिए एनओएफ का 40 प्रतिशत होगा। एएए रेटेड कॉर्पोरेट बांड में निवेश के लिए, एकल उधारकर्ता/प्रतिपक्ष के लिए यह सीमा निवल स्वामित्व निधि (एनओएफ) के 50 प्रतिशत और एक समूह उधारकर्ता/प्रतिपक्ष के लिए 65 प्रतिशत होगी।

(ii) एकल/समूह एक्सपोजर सीमा की अधिकतम सीमा उन स्थितियों में लागू नहीं होगी जहां भारत सरकार द्वारा मूलधन और ब्याज की पूरी गारंटी है।

(iii) एसपीडी म्यूचुअल फंड, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण पत्र, अर्हताप्राप्त सीसीपी (क्यूसीसीपी) के द्वारा सेटल न होने वाले ओटीसी डेरिवेटिव में पोझिशन, आदि में निवेश सहित गैर-सरकारी प्रतिभूतियों की अन्य सभी वर्ग के लिए ऋण जोखिम एक्सपोजर शामिल करेंगे ताकि निर्धारित पुडेन्शियल सीमाओं का पालन करने के लिए क्रेडिट एक्सपोजर की सीमा की गणना की जा सके।

(iv) किसी क्यूसीसीपी के प्रति समाशोधन एक्सपोजर को एकल प्रतिपक्षकार पर लागू एनओएफ के 25 प्रतिशत की एक्सपोजर सीमा से बाहर रखा जाएगा।

(v) समय-समय पर यथासंशोधित 27 मार्च 2014 का परिपत्र आईडीएमडी पीसीडी.11/14.03.05/2013-14 के माध्यम से जारी दिशानिर्देशों में परिभाषित, केंद्रीय प्रतिपक्षों के साथ एसपीडी के एक्सपोजर के लिए पूंजीगत आवश्यकताओं के अनुसार व्यापार एक्सपोजर और डिफॉल्ट निधि एक्सपोजर, क्यूसीसीपी के समाशोधन एक्सपोजर में शामिल होगा।

(vi) सीसीपी की पूंजी में निवेश, आदि जैसे क्यूसीसीपी के अन्य अनुमेय एक्सपोजर एकल उधारकर्ता/प्रतिपक्षकार के लिए एनओएफ के 25 प्रतिशत की मौजूदा एक्सपोजर सीमा के भीतर बने रहेंगे। हालांकि, गैर-क्यूसीसीपी के लिए किसी एसपीडी के सभी एक्सपोजर 25 प्रतिशत की एक्सपोजर सीमा के भीतर होंगे।

(vii) वर्तमान में चार सीसीपी हैं, नामतः क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल), नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएससीसीएल), इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईसीसीएल), और एमसीएक्स-एसएक्स क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (एमसीएक्स-एसएक्ससीसीएल) जो निरंतर आधार पर, वित्तीय बाजार अवसंरचनाओं के लिए सीपीएसएस-आईओएससीओ के नियमों और विनियमों के अनुरूप हैं। जहां सीसीआईएल को बैंक ने क्यूसीसीपी का दर्जा दिया है, वहीं अन्य तीन सीसीपी को सेबी ने क्यूसीसीपी का दर्जा दिया है।

(2) एसपीडी इन निदेशों के अध्याय IV में निहित निर्देशों के अनुसार विभिन्न मदों के लिए एक्सपोजर की गणना करेंगे।

### भाग - III

#### अभिशासन मामले

#### अध्याय VII

#### कारपोरेट अभिशासन

#### 15. बोर्ड की समितियों का गठन

##### (1) लेखा परीक्षा समिति

(i) एसपीडी एक लेखा परीक्षा समिति का गठन करेगी, जिसमें इसके निदेशक मंडल के कम से कम तीन सदस्य शामिल होंगे।

**स्पष्टीकरण I:** एसपीडी द्वारा गठित, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के तहत आवश्यक लेखा परीक्षा समिति, इस पैराग्राफ के प्रयोजनों के लिए लेखा परीक्षा समिति होगी।

**स्पष्टीकरण II:** इस पैराग्राफ के तहत गठित लेखा परीक्षा समिति में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 में निर्धारित समान शक्तियां, कार्य और कर्तव्य होंगे।

(ii) लेखा परीक्षा समिति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एसपीडी के सामने आने वाले परिचालनात्मक जोखिमों का आकलन करने के लिए आंतरिक प्रणालियों और प्रक्रियाओं का सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा, दो वर्षों में कम से कम एक बार आयोजित की जाए।

##### (2) नामांकन समिति

एसपीडी प्रस्तावित/मौजूदा निदेशकों की 'उचित और उपयुक्त' स्थिति सुनिश्चित करने के लिए एक नामांकन समिति बनाएंगे।

**स्पष्टीकरण I-** इस पैराग्राफ के तहत गठित नामांकन समिति में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 में निर्धारित समान शक्तियां, कार्य और कर्तव्य होंगे।

##### (3) जोखिम प्रबंधन समिति-

एकीकृत जोखिम का प्रबंधन करने के लिए, एसपीडी आस्ति देयता प्रबंधन समिति के अलावा एक जोखिम प्रबंधन समिति भी बनाएंगे।

#### 16. उचित और उपयुक्त मापदंड

##### (1) एसपीडी निम्नलिखित करेंगे -

(i) निदेशक मंडल के अनुमोदन से यह सुनिश्चित करने के लिए एक नीति लागू की जाए कि नियुक्ति के समय और निरंतर आधार पर निदेशकों के उचित और उपयुक्त मानदंडों का पालन किया जाए। उचित और उपयुक्त मापदंड पर नीति अनुलग्नक VIII में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी;

(ii) निदेशकों से उनके बारे में अतिरिक्त जानकारी देने वाले घोषणापत्र और वचनपत्र प्राप्त करें। घोषणापत्र और वचनपत्र का प्रारूप **अनुलग्नक IX** में दिया गया है;

(iii) निर्देशकों द्वारा **अनुलग्नक X** में दिए गए प्रारूप में हस्ताक्षरित सहमति करार पत्र प्राप्त करें;

(iv) निदेशकों के परिवर्तन पर बैंक को त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत करें, और एसपीडी के प्रबंध निदेशक से इस बात का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि निदेशकों के चयन में उचित और उपयुक्त मापदंड का पालन किया गया है। यह विवरण संबंधित तिमाही की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर रिज़र्व बैंक के गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय तक पहुंचना चाहिए जहां कंपनी पंजीकृत है। 31 मार्च को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए एसपीडी द्वारा प्रस्तुत विवरण लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

हालांकि रिज़र्व बैंक, यदि उचित और जनहित में समझे, तो किसी भी एसपीडी के निदेशकों के उचित और उपयुक्त मानदंडों की जांच करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

## 17. प्रकटीकरण और पारदर्शिता

(1) एसपीडी बोर्ड द्वारा निर्धारित निम्नलिखित विवरण नियमित अंतराल पर निदेशक मंडल को प्रस्तुत करेंगे:

(i) प्रगतिशील जोखिम प्रबंधन प्रणाली, जोखिम प्रबंधन नीति और एसपीडी द्वारा अपनाई गई रणनीति को लागू करने में की गई प्रगति;

(ii) कारपोरेट गवर्नेंस मानकों का अनुपालन नामतः विभिन्न समितियों के गठन, उनकी भूमिका और कार्य, बैठकों की आवधिकता और कवरेज तथा समीक्षा कार्यों का अनुपालन।

(2) 31 मार्च, 2015 से एसपीडी अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित का प्रकटीकरण भी करेंगे:

(i) वित्तीय क्षेत्र के अन्य नियामकों से प्राप्त किया गया किसी भी नाम से पंजीकरण/लाइसेंस/प्राधिकार;

(ii) क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदत्त रेटिंग और वर्ष के दौरान रेटिंग में परिवर्तन;

(iii) किसी भी नियामक द्वारा यदि कोई दंड लगाया जाता है तो उसका विवरण;

(iv) संयुक्त उद्यमों और विदेशी सहायक कंपनियों के संबंध में क्षेत्र, संचालन का देश और संयुक्त उद्यम भागीदारों की जानकारी और

(v) आस्ति-देयता प्रोफ़ाइल, मूल कंपनी के उत्पादों के वित्तपोषण की सीमा, एनपीए और एनपीए में परिवर्तन, तुलन-पत्र के बाहर के सभी एक्सपोजर का विवरण, उनके द्वारा जारी किए गए संरचित उत्पादों के साथ-साथ प्रतिभूतिकरण/समनुदेशन लेनदेन और **अनुलग्नक XI** में दिये अनुसार अन्य प्रकटन।

(3) रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड के बारे में बैंक द्वारा दंड लगाने की सूचना आम जनता को देने के साथ एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाएगी, जिसमें उन परिस्थितियों का विवरण दिया जाएगा जिनमें एसपीडी पर दंड लगाया गया।

#### 18. सांविधिक लेखा परीक्षक- लेखा परीक्षा फर्म के भागीदारों का बारी परिवर्तन

एसपीडी लेखा परीक्षा करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के भागीदारों को प्रत्येक तीसरे वर्ष में बदल देंगे ताकि एक ही भागीदार तीन साल से अधिक समय तक लगातार कंपनी की लेखा परीक्षा न कर सके। हालांकि, इस प्रकार बदले गए भागीदार तीन वर्ष के अंतराल के पश्चात, यदि एसपीडी की इच्छा हो तो, पुनः एसपीडी की लेखा परीक्षा करने के लिए पात्र होंगे। एसपीडी लेखा परीक्षकों की फर्म की नियुक्ति पत्र में उचित शर्तों को शामिल करेगा और इसका अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

#### 19. आंतरिक दिशा-निर्देश तैयार करना

एसपीडी अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर अपने आंतरिक दिशा-निर्देश तैयार करेंगे, जो उपरोक्त दिशा-निर्देशों की अंतर्निहित भावना का त्याग किए बिना उनके दायरे को बढ़ाएंगे और उसे विभिन्न हितधारकों की जानकारी के लिए कंपनी की वेब-साइट, यदि कोई हो, पर प्रकाशित करेंगे।

### भाग IV

#### विविध मद

#### अध्याय - VIII

#### विविध निर्देश

#### 20. शेयरधारिता स्वरूप में परिवर्तन

एसपीडी के शेयरधारिता स्वरूप/पूंजीगत संरचना में किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी। एसपीडी के रूप में लाइसेंस देने की शर्तों को प्रभावित करने वाली किसी अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन जैसे व्यवसाय प्रोफाइल, संगठन आदि की तत्काल रिपोर्टिंग वे बैंक को करेंगे।

#### 21. तैयार वायदे लेनदेन के लिए मानदंड

1. एफएमआरडी और आईडीएमडी द्वारा जारी क्रमशः [03 फरवरी 2015 के परिपत्र एफएमआरडी.डीआईआरडी.03/14.03.002/2014-15](#), [25 अगस्त 2016 के परिपत्र एफएमआरडी डीआईआरडी.6/14.03.002/2016-17](#) और दिनांक 29 मार्च 2004 के परिपत्र आईडीएमडी.पीडीआरएस 05/10.02.01/2003-04 में दिये और समय-समय पर इनके यथासंशोधित निर्देशों के अधीन एसपीडी को कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों और सरकारी प्रतिभूतियों में ऋणदाताओं और उधारकर्ताओं दोनों के रूप में तैयार वायदा (रेपो) बाजार में भाग लेने की

अनुमति है। इसके अलावा, रेपो लेनदेन में भाग लेने वाले ऐसे एनबीएफसी रिपो/रिवर्स रेपो लेनदेन के लिए एक समान लेखांकन पर दिशा-निर्देश आईडीएमडी द्वारा जारी 23 मार्च 2010 का परिपत्र आईडीएमडी/4135/11.08.43/2009-10 और एफएमआरडी द्वारा जारी [19 मई 2016 का परिपत्र डीआईआरडी.10/14.03.002/2015-16](#) एवं समय-समय पर इसके संशोधनों में दिये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

2. एक एसपीडी अपने घटक के साथ कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रेपो में प्रवेश नहीं करेगा या अपने घटकों में से दो के बीच रेपो की सुविधा प्रदान नहीं करेगा।

3. सूचीबद्ध कंपनियां निम्नलिखित शर्त के अधीन रेपो लेनदेन में प्रवेश कर सकती हैं: जहां सूचीबद्ध कंपनी रेपो अनुबंध (यानी निधियों के ऋणदाता) के पहले चरण में प्रतिभूतियों का 'खरीदार' है, संरक्षक जिसके माध्यम से रेपो लेनदेन का निपटारा किया जाता है, उसे गिल्ट खाते में इन प्रतिभूतियों को अवरुद्ध करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन प्रतिभूतियों को रेपो अवधि के दौरान आगे बेचा या फिर से रेपो नहीं किया जाए, बल्कि इन्हें दूसरे चरण के तहत डिलीवरी के लिए रखा जाए।

## 22. एसपीडी द्वारा पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं

(1) एसपीडी पीएमएस की सेबी योजना के तहत अपने ग्राहकों को पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं (पीएमएस) निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान कर सकती हैं:

(i) पीएमएस शुरू करने से पहले, एसपीडी ने सेबी से पोर्टफोलियो प्रबंधक के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो और रिज़र्व बैंक से एक विशिष्ट अनुमोदन भी प्राप्त किया हो।

(ii) पीएमएस आरबीआई विनियमित किसी भी इकाई को प्रदान नहीं किया जा सकता है। हालांकि, उन्हें उचित अस्वीकरण के साथ परामर्श सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं।

(iii) जहां लागू हो, किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा विनियमित ग्राहकों को एसपीडी के साथ पीएमएस की कोई व्यवस्था करने से पहले नियामक या किसी अन्य प्राधिकरण से मंजूरी लेनी होगी।

(iv) एसपीडी को सेबी (पोर्टफोलियो मैनेजर्स) विनियम, 1993 और उसके द्वारा जारी किए गए किसी भी संशोधन या इस संबंध में जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन करना जरूरी है।

(2) एसपीडी निम्नलिखित शर्तों का पालन करेंगे:

(i) पीएमएस ग्राहकों से एक स्पष्ट अधिदेश प्राप्त किया जाएगा और इसका कड़ाई से पालन किया जाएगा। विशेष रूप से, इससे जुड़े जोखिम प्रकटीकरण, हानि क्षमता और लागत (शुल्क और कमीशन) पर पूरी समझ होनी चाहिए।

(ii) पीएमएस प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी रिटर्न की गारंटी के बिना पूरी तरह से ग्राहक के जोखिम पर होगा।

(iii) जब भी फंड/प्रतिभूतियां को पोर्टफोलियो प्रबंधन के लिए एसपीडी के साथ रखा जायेगा, तो उन्हें एक वर्ष से कम अवधि के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(iv) पोर्टफोलियो फंड कॉल/नोटिस/टर्म मनी/बिल रिडिस्काउंटिंग मार्केट्स, बदला फाइनांसिंग या कॉर्पोरेट/नॉन-कॉर्पोरेट निकायों को ऋण देने/उनमें प्लेसमेंट में नहीं लगाए जाएंगे।

(v) प्रबंधन के लिए स्वीकार किए गए निधि के निवेश के संबंध में ग्राहक-वार खातों/अभिलेखों को बनाए रखा जाएगा और ग्राहक को निरंतर अंतराल पर खातों के विवरण प्राप्त करने का अधिकार होगा।

(vi) पीएमएस ग्राहकों से संबंधित निवेश और निधि को एक दूसरे से और एसपीडी से अलग रखा जाएगा। जहां तक संभव हो, सभी ग्राहक लेनदेन बाजार में निष्पादित किए जाएंगे और या तो एसपीडी या किसी अन्य ग्राहक के साथ आंतरिक रूप से ऑफ-सेट नहीं होंगे। एसपीडी और किसी पीएमएस क्लाइंट के बीच या दो पीएमएस क्लाइंट्स के बीच सभी लेनदेन बाजार दरों पर सख्ती से होंगे।

### 23. ब्याज दर डेरिवेटिव संबंधी दिशानिर्देश

(1) एसपीडी [20 अप्रैल, 2007 का ब्याज दर डेरिवेटिव पर लागू परिपत्र डीबीओडी.No.BP.BC.86/21.04.157/2006-07](#) और 05 दिसंबर, 2013 को जारी ब्याज दर वायदा (रिजर्व बैंक) निदेश, 2013 एवं उनके समय-समय पर यथासंशोधित दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे। एसपीडी को [1 सितंबर, 2009 को जारी एवं समय-समय पर यथासंशोधित परिपत्र आईडीएमडी.पीडीआरडी.सं. 1056/03164.00/2009-10](#) में दिए गए निर्देश अनुसार अपने खाते पर हेजिंग और ट्रेडिंग दोनों के लिए ब्याज दर वायदा (आईआरएफ) में सौदा करने की अनुमति है न कि ग्राहक के खाते पर।

(2) भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र आईडीएमडी/11.08.15/809/2007-08 दिनांक 23 अगस्त, 2007 के अनुसार, ग्राहकों को छोड़कर, एसपीडी अपने सभी आईआरएस/एफआरए ट्रेडों की रिपोर्ट सौदे के समय से 30 मिनट के भीतर सीसीआईएल रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म पर करेंगे। इसके अलावा, [4 दिसंबर, 2013 को जारी परिपत्र एफएमड.एमएसआरजी.94/02.05.002/2013-14](#) के अनुसार, INR FRA/IRS में ग्राहकों के साथ सभी लेनदेन की सूचना अगले कारोबार दिवस की दोपहर 12 बजे से पहले दी जाएगी।

### 24. क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप पर दिशानिर्देश

एसपीडी [07 जनवरी, 2013 को जारी परिपत्र आईडीएमडी.पीसीडी.सं.10/14.03.04/2012-13](#) में निर्धारित क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप पर लागू दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे। सीडीएस में बाजार निर्माताओं के रूप में कार्य करने के इच्छुक एसपीडी निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करेंगे: (i) 500 करोड़ रुपये के न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि (ii) न्यूनतम सीआरएआर 15 प्रतिशत (iii) विभिन्न जोखिमों से निपटने के लिए मजबूत जोखिम प्रबंधन प्रणाली हो।

सीडीएस बाजार में बाजार निर्माताओं के रूप में कार्य करने के लिए एसपीडी को नियामक अनुमोदन मुख्य महाप्रबंधक, आंतरिक ऋण प्रबंधन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, आरबीआई, मुंबई द्वारा प्रकरण के हिसाब से इसके लिए आवेदन प्राप्त होने पर प्रदान किया जाएगा।

### 25. गैर-जीसेक में निवेश संबंधी दिशानिर्देश

(1) एसपीडी गैर-जीसेक (पूंजीगत लाभ बांड, प्राथमिकता क्षेत्र की स्थिति के लिए पात्र बांड, सरकारी गारंटी के साथ अथवा इसके बिना केंद्र या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी किए



गए बांड और बैंकों और वित्तीय कंपनियों द्वारा जारी बांड सहित) में निवेश के लिए, जो आम तौर पर कॉर्पोरेट, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और राज्य और केंद्र सरकार प्रायोजित संस्थानों, विशेष उद्देश्य वाहन (एसपीवी) आदि द्वारा जारी किए गए हैं, दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेंगे। हालांकि, ये दिशानिर्देश (i) इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड योजनाओं की इकाइयों में, जहां कॉर्पस के किसी भी हिस्से को इक्विटी निवेश किया जा सकता है, (ii) वेंचर कैपिटल फंड्स, (iii) सीपी, (iv) सीडी और (v) इक्विटी शेयरों में निवेश पर लागू नहीं होंगे। यह दिशा-निर्देश प्राथमिक और द्वितीयक दोनों बाजार में निवेश पर लागू होंगे।

(2) एसपीडी को कॉर्पोरेट बांड में प्रोप्रायटरी लेनदेन करने के उद्देश्य से सेबी अनुमोदित स्टॉक एक्सचेंजों का सदस्य बनने की अनुमति है। ऐसा करते समय एसपीडी सेबी द्वारा निर्धारित सभी नियामक मानदंडों और स्टॉक एक्सचेंजों के सभी पात्रता मानदंडों/नियमों का पालन करेंगे।

(3) 01 जुलाई, 2016 को जारी मास्टर निदेश आईडीएमडी पीडीआरडी.01/03.64.00/2016-17 के माध्यम से जारी मास्टर निदेश प्राथमिक डीलरों के लिए परिचालन दिशानिर्देश में निहित निर्देशों के अनुसार, एसपीडी को कॉल/नोटिस मनी मार्केट से उधार लेने के लिए पिछले वित्तीय वर्ष के मार्च के अंत के एनओएफ़ के 225 प्रतिशत की कुल अनुमत पाक्षिक सीमा के अंतर्गत कारपोरेट बांड में निवेश के लिए एनओएफ़ के 50 प्रतिशत की उप-सीमा की अनुमति है।

(4) एसपीडी [दिनांक 07 जुलाई, 2016 के एफएमआरडी.मास्टर निदेश सं.2/2016-17](#) के माध्यम से मुद्रा बाजार लिखत: कॉल/नोटिस मनी मार्केट, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण पत्र और अपरिवर्तनीय डिबेंचर (एक साल तक मूल परिपक्वता) पर मास्टर निदेश के अनुसार एनसीडी, सीपीएस और सीडी के अलावा एक वर्ष से कम की मूल परिपक्वता के गैर-जीसेक में निवेश नहीं करेंगे। एसपीडी को कॉर्पोरेट्स (एनबीएफसी सहित) द्वारा जारी एक वर्ष तक मूल या प्रारंभिक परिपक्वता के साथ एनसीडी में निवेश करने की अनुमति है। हालांकि, इस तरह के गैर सूचीबद्ध एनसीडी में उनका निवेश निरंतर आधार पर उनके गैर-जीसेक पोर्टफोलियो परिमाण के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। ऐसे लिखतों में निवेश करते समय, एसपीडी मौजूदा प्रुडेन्शियल दिशा-निर्देशों और दिनांक 23 जून 2010, के आईडीएमडी डीओडी.10/11.01.01(A)/2009-10, 6 दिसंबर, 2010 के आईडीएमडी पीसीडी. सं. 24/14.03.03/2010-11 और 23 अगस्त, 2011 के आईडीएमडी.पीसीडी.08/14.03.03/2011-12 में प्रदत्त एवं उनके समय-समय पर यथासंशोधित प्रावधानों में निहित अनुदेशों द्वारा निर्देशित किया जाएगा।

(5) एसपीडी गैर-जीसेक में निवेश के लिए सामान्य सावधानी रखेंगे।

(6) एसपीडी अनरेटेड नॉन-जीसेक में निवेश नहीं करेंगे।

(7) एसपीडी कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में सेबी द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं का पालन करेंगे। तदनुसार, गैर-सरकारी ऋण प्रतिभूतियों में नए निवेश करते समय, एसपीडी ऊपर (6) में इंगित सीमा को छोड़कर, यह सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह के निवेश केवल सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों में किए जाएं।

(8) गैर-सूचीबद्ध गैर-जीसेक में एसपीडी का निवेश निरंतर आधार पर उनके गैर-जीसेक पोर्टफोलियो परिमाण के 10% से अधिक नहीं होगा। 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अंतर्गत प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद में निवेश और एबीएस और एमबीएस में निवेश भी शामिल होंगी। जिन गैरसूचीबद्ध गैर-सरकारी ऋण प्रतिभूतियों में एसपीडी ऊपर निर्दिष्ट

सीमा तक निवेश करेंगे, उन्हें सूचीबद्ध कंपनियों के लिए सेबी द्वारा निर्धारित प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा।

(9) सेबी के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूति में स्पॉट लेनदेन के अतिरिक्त अन्य सभी ट्रेड केवल स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर ही निष्पादित किए जाएंगे। रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित सभी संस्थाएं कॉर्पोरेट बांड और प्रतिभूतिकृत ऋण उपकरणों में अपने द्वितीयक बाजार ओटीसी ट्रेडों की रिपोर्ट किसी भी स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई, बीएसई और एमसीएक्स-एसएक्स) पर ट्रेड के 15 मिनट के भीतर करेंगी। इन ट्रेडों को किसी भी समाशोधन निगम (एनएससीसीएल, आईसीसीएल और एमसीएक्स-एसएक्स सीसीएल) के माध्यम से समायोजन और भुगतान किया जा सकता है।

(10) एसपीडी यह सुनिश्चित करेंगे कि गैर-जीसेक में निवेश पर दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट सभी अनुरूप मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उनकी निवेश नीतियां तैयार की जाएं। उन्हें निवेश करने और समय पर उपचारात्मक उपाय करने से पहले गैर-जीसेक के संबंध में जोखिम की पहचान करने और उसका विश्लेषण करने के लिए उचित जोखिम प्रबंधन प्रणालियां लागू करनी चाहिए। एसपीडी यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणालियां भी लागू करेंगे कि निजी तौर के आंबटनों में निवेश, संबंधित एसपीडी की निवेश नीति के तहत निर्धारित प्रणालियों और प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाए।

(11) एसपीडी के बोर्ड कम से कम तिमाही अंतराल पर गैर-जीसेक में निवेश के निम्नलिखित पहलुओं की समीक्षा करेंगे:

(i) रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कुल व्यवसाय (निवेश और विनिवेश)।

(ii) गैर-जीसेक निवेश के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रुडेन्शियल सीमाओं के साथ-साथ प्रुडेन्शियल दिशा-निर्देशों का अनुपालन।

(iii) एसपीडी की बही-खातों में रखे गए जारीकर्ताओं/निर्गमनों के रेटिंग में परिवर्तन।

(12) ऋण के निजी आंबटनों पर एक केंद्रीय डाटाबेस बनाने में मदद करने के लिए, सभी प्रस्ताव दस्तावेजों की एक प्रति एसपीडी द्वारा क्रेडिट सूचना ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड (सीबील) के पास रखी जाएगी। इसके अलावा, किसी भी निजी आंबटनों के ऋण के संबंध में ब्याज/किस्त से संबंधित किसी भी चूक की सूचना प्रस्ताव दस्तावेज की प्रति के साथ निवेश करने वाले एसपीडी द्वारा सीबील को भी दी जाएगी।

## 26. स्टॉक एक्सचेंजों पर जीसेक का व्यापार

(1) जीसेक में खुदरा सहित निवेशकों के सभी वर्गों की व्यापक सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रव्यापी, गुमनाम, स्टॉक एक्सचेंजों में ऑर्डर ड्रिवेन स्क्रीन आधारित ट्रेडिंग सिस्टम के माध्यम से जीसेक में उसी तरीके से व्यापार करने की अनुमति दी गई है, जिस तरह से इक्विटी में व्यापार होता है। तदनुसार, डीमैट फॉर्म में दिनांकित जीसेक के व्यापार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई), बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, मुंबई (बीएसई), ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया (ओटीसीईआई) और एमसीएक्स स्टॉक एक्सचेंज के स्वचालित ऑर्डर ड्रिवेन सिस्टम के लिए अनुमति दी जाती है। यह ट्रेडिंग सुविधा एनडीएस में रिपोर्टिंग/ट्रेडिंग सुविधा के अलावा है। एक समानांतर प्रणाली होने के नाते, एक्सचेंजों पर संपन्न ट्रेडों को उनके संबंधित समाशोधन निगमों/समाशोधन गृहों द्वारा मंजूरी दे दी जाएगी।

(2) एसपीडी जीसेक बाजार को तरलता प्रदान करने और खुदरा व्यापार को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। इसलिए वे एक्सचेंजों पर ऑर्डर देने और चुनने की प्रक्रिया के माध्यम से निवेशकों की सभी श्रेणियों को जीसेक वितरित करने की सुविधा का पूरा उपयोग करेंगे। एसपीडी आरबीआई के पास अपने खातों के अलावा एनएसडीएल/सीडीएसएल के डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटस (डीपी) के साथ डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। एसजीएल/सीएसजीएल और खुद के डीमैट खाते के बीच प्रतिभूतियों का मूल्य मुक्त हस्तांतरण पीडीओ-मुंबई द्वारा सक्षम है, जो सरकारी और बैंक लेखा विभाग (डीजीबीए), आरबीआई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अधीन है।

(3) स्टॉक एक्सचेंजों पर जीसेक के व्यापार के लिए एसपीडी द्वारा निम्नलिखित का पालन किया जाएगा:

- (i) एसपीडी स्टॉक एक्सचेंजों में व्यापार करने हेतु अपने बोर्ड से विशिष्ट अनुमोदन लेंगे।
- (ii) एसपीडी प्रतिभूतियों की डिलीवरी देने और लेने के आधार पर ही लेन-देन करेंगे।
- (iii) दलालों/व्यापारिक सदस्यों को निपटान प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। सभी ट्रेडों को या तो सीधे समाशोधन निगम/समाशोधन गृह (यदि वे समाशोधन सदस्य हैं) या किसी अन्य समाशोधन सदस्य संरक्षक के माध्यम से निपटाया जाएगा।
- (iv) किसी भी ब्रोकर के माध्यम से किए गए ट्रेड ब्रोकरों के माध्यम से किए गए लेनदेन पर वर्तमान विनियमों के अधीन भी होंगे।
- (v) जीसेक में सभी एकमुश्त द्वितीयक बाजार लेनदेन के लिए टी + 1 आधार पर एक मानकीकृत निपटान अपनाया गया है जो प्रतिभागियों को लेनदेन के लिए अधिक प्रसंस्करण समय प्रदान करेगा और बेहतर धन के साथ-साथ जोखिम प्रबंधन में मदद करेगा।
- (vi) जीसेक में रेपो लेनदेन के मामले में, हालांकि, बाजार सहभागियों के पास अपनी आवश्यकताओं के अनुसार टी +0 आधार या टी + 1 आधार पर पहले चरण को निपटाने का विकल्प होगा।
- (vii) प्रतिभूतियों की डिलीवरी न होने/स्पष्ट निधियों की अनुपलब्धता के कारण किसी भी निपटान विफलता को एसजीएल बौसिंग माना जाएगा और एसजीएल लेनदेन के संबंध में वर्तमान दंड लागू होगा। स्टॉक एक्सचेंजों ऐसी विफलताओं की रिपोर्ट संबंधित पीडीओज को देंगे।
- (viii) एसपीडी, जो स्टॉक एक्सचेंजों के ट्रेडिंग मेंबर्स हैं, उन्हें अपने गैर-संस्थागत क्लाइंट ट्रेड्स के लिए मार्जिन लगाना पड़ सकता है। इस तरह के मार्जिन को संबंधित ग्राहकों से जमा करना होता है। एसपीडी अपने ग्राहक ट्रेडों की ओर से मार्जिन का भुगतान नहीं करेंगे और उनसे रातोंरात क्रेडिट एक्सपोजर नहीं लेंगे। जहां तक मार्जिन के लिए ग्राहकों पर इंटरडे एक्सपोजर का संबंध है, एसपीडी ऐसे एक्सपोजर में अंतर्निहित जोखिमों के प्रति सचेत होगा।
- (ix) समाशोधन/अभिरक्षा सेवाएं प्रदान करने हेतु एसपीडी को इस संबंध में सेबी से विशिष्ट अनुमोदन लेना होगा। इसी तरह, स्टॉक एक्सचेंजों की ट्रेडिंग सदस्यता लेने के लिए एसपीडी सेबी और स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करेंगे।

## 27. चलन वायदा बाजार में एसपीडी की सहभागीता

एसपीडी को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मान्यता प्राप्त एक्सचेंजों पर कारोबार किए जाने वाले मुद्रा वायदा अनुबंधों में सौदा करने की अनुमति है:

### (1) अर्हता

- i. चलन वायदे में एक्सपोजर को एसपीडी के लिए गैर प्रमुख गतिविधि माना जाएगा और केवल 250 करोड़ रुपये या विविध गतिविधियां संचालित करने के लिए निर्धारित किसी भी राशि होने वाले एसपीडी को ही मुद्रा वायदा कारोबार में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।
- ii. जैसा कि पूंजीगत आवश्यकताओं के निर्देशों में निर्धारित किया गया है, गैर प्रमुख गतिविधियों (मुद्रा वायदा कारोबार सहित) के लिए बाजार जोखिम हेतु पूंजी प्रभार, जिसमें पूंजी के उपभोग की संभावना है, पिछले लेखा-परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार एनओएफ के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

## (2) सदस्यता:

- i. एसपीडीज को चलन वायदा बाजार में क्लाइंटस या सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के चलन डेरिवेटिव सेगमेंट के प्रत्यक्ष ट्रेडिंग/समाशोधन सदस्यों के रूप में भाग लेने की अनुमति है।
- ii. एसपीडी केवल अपने खाते पर व्यापार करेंगे और उन्हें ग्राहकों की ओर से व्यापार करने की अनुमति नहीं है।

## (3) स्थिति सीमा :

- i. एसपीडी को अंतर्निहित एक्सपोजर के साथ या बिना, एक्सचेंजों द्वारा निर्दिष्ट स्थिति सीमा के अधीन चलन वायदा बाजार में लॉंग और शॉर्ट पोजिसन रखने की अनुमति है। हालांकि, संबंधित चलन जोड़े में सभी स्टॉक एक्सचेंजों में सभी अनुबंधों में कुल सकल मुक्त स्थिति नीचे उल्लिखित सीमा से अधिक नहीं होगी:

चलन जोड़ा	चलन जोड़े की स्थिति सीमा
USD-INR	सभी अनुबंधों में USD-INR सकल मुक्त स्थिति कुल मुक्त हित के 15% या 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर, के अधिक से, जादा नहीं होगी।
EUR-INR	सभी अनुबंधों में EUR-INR सकल मुक्त स्थिति कुल मुक्त हित के 15% या 25 मिलियन यूरो, के अधिक से, जादा नहीं होगी।
GBP-INR	सभी अनुबंधों में GBP-INR सकल मुक्त स्थिति कुल मुक्त हित के 15% या 25 मिलियन जीबीपी, के अधिक से, ज्यादा नहीं होगी।
JPY-INR	सभी अनुबंधों में JPY-INR सकल मुक्त स्थिति कुल मुक्त हित के 15% या 1000 मिलियन JPY, के अधिक से, ज्यादा नहीं होगी।

## (4) जोखिम प्रबंधन:

- i. एसपीडी इस गतिविधि के संचालन और जोखिमों के प्रबंधन के लिए बोर्ड की मंजूरी के साथ एक्सपोजर, जोखिम सीमा और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं सहित जोखिम प्रबंधन पर विस्तृत दिशानिर्देश निर्धारित करेगा।
- ii. एसपीडी उपर्युक्त निर्धारित स्थिति सीमाओं का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली स्थापित करेंगे।

iii.एसपीडी चलन वायदा कारोबार में सहभागीता के लिए प्रणालियों और कर्मचारी संसाधन के संदर्भ में पर्याप्त बुनियादी ढांचे को बनाए रखेंगे।

#### (5) सामान्य :

i. पूंजी पर्याप्तता उद्देश्य के लिए, एसपीडी इस परिपत्र के अनुलग्नक XII में दिए गए दिशानिर्देशों और बकाया अनुबंधों से उत्पन्न होने वाले विभिन्न जोखिमों के लिए पूंजी प्रभार रखने के लिए निर्देशों में निर्धारित अन्य अनुदेशों का पालन करेंगे।

ii.सरकारी प्रतिभूति बाजार में प्राथमिक डीलरशिप व्यवसाय के दायित्वों को पूरा करने में विफलता या पर्यवेक्षी चिंता का कारण बनने वाले किसी अन्य उल्लंघन के मामले में, रिज़र्व बैंक चलन वायदा अनुबंधों में सौदा करने पर प्रतिबंध लगाने या अनुमति वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

#### 28. एफपीआई ग्राहकों के लिए विदेशी चलन व्यवसाय

रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर प्रदत्त अनुमति के अनुसार एसपीडी एफपीआई ग्राहकों को विदेशी मुद्रा उत्पाद पेश कर सकते हैं। ऐसी गतिविधियां उनकी गैर प्रमुख गतिविधियों का हिस्सा होंगी। एसपीडी निम्नलिखित प्रुडेन्शियल विनियमों का पालन करेंगे:

- एसपीडी, कुल जोखिम भारित आस्तियों की गणना के लिए, 15 प्रतिशत जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) के निरंतर रखरखाव के लिए, विदेशी चलन एक्सपोजर शामिल करेंगे। कैपिटल प्रभार की गणना का विवरण इस दिशा में दिए गए निर्देशों के अनुसार होगा।
- एसपीडी समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित विदेशी चलन एक्सपोजर सीमाओं के लिए दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।
- एसपीडी विदेशी चलन व्यवसाय शुरू करने और निगरानी करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तैयार करेगा।

(ख) अपने एफपीआई ग्राहकों को विदेशी चलन की पेशकश करने के इच्छुक एसपीडी आवश्यक एडी लाइसेंस के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई से संपर्क करेंगे।

(ग) अपने एफपीआई ग्राहकों को विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न अनुबंधों की पेशकश करते समय, एसपीडी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के प्रावधानों और उसके तहत जारी किए गए सभी नियमों, विनियमों और निर्देशों का पालन करेंगे। विशेष रूप से, वे एसपीडी को अनुमति दिए गए विदेशी मुद्रा उत्पादों की सीमा तक निम्नलिखित निर्देशों के प्रावधानों का पालन करेंगे:

- i. डेरिवेटिव ([डीबीओडी बीपी.बीसी.सं.86/21.04.157/2006-07, दिनांक 20 अप्रैल, 2007](#)) पर व्यापक दिशानिर्देश और समय-समय पर इसके संशोधित प्रावधानों का;
- ii. जोखिम प्रबंधन और अंतर बैंक सौदों पर मास्टर निदेश ([आरबीआई/एफएमआरडी /2016-17/31, दिनांक 5 जुलाई, 2016](#)) और समय-समय पर इसके संशोधित प्रावधानों का;
- iii. विदेशी चलन व्यापार पर आंतरिक नियंत्रण के लिए दिशानिर्देश (एफई.सीओ.एफएमडी.सं.18380/02.03.137/ 2010-11, दिनांक 3 फरवरी, 2011) और समय पर इसके संशोधित प्रावधानों का।

#### 29. ब्रोकर के माध्यम से व्यवसाय

(1) ब्रोकरों के माध्यम से व्यवसाय और अनुमोदित ब्रोकरों के लिए सीमा

एसपीडी बीएसई, एनएसई और ओटीसीआई के सदस्यों के माध्यम से ग्राहकों के साथ या आपस में प्रतिभूति लेनदेन कर सकते हैं। हालांकि, यदि एसपीडी ब्रोकरों के माध्यम से ओटीसी ब्याज दर डेरिवेटिव लेनदेन करते हैं, तो वे यह सुनिश्चित करेंगे कि ये ब्रोकर फिमडा द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। एसपीडी द्वारा प्रत्येक अनुमोदित ब्रोकरों के लिए कुल अनुबंध सीमा तय की जाएगी। एक वर्ष के दौरान एसपीडी द्वारा किए गए कुल ब्रोकर लेनदेन (खरीद और बिक्री दोनों) की 5% की सीमा को अनुमोदित दलालों में से प्रत्येक के लिए कुल ऊपरी सीमा के रूप में माना जाएगा। हालांकि, यदि किसी भी कारण से किसी भी ब्रोकर के लिए कुल सीमा से अधिक होना आवश्यक हो जाता है, तो उसके विशिष्ट कारण दर्ज किए जाएंगे और बोर्ड को इस बारे में बाद में सूचित किया जाएगा।

(2) अपने शीर्ष प्रबंधन के अनुमोदन के साथ, एसपीडी अनुमोदित ब्रोकरों का एक पैनल तैयार करेंगे, जिसकी आवश्यकता होने पर सालाना या अधिक बार समीक्षा की जाएगी। ब्रोकरों के पैनल के लिए उनकी साख का सत्यापन, बाजार प्रतिष्ठा आदि शामिल करते हुए स्पष्ट मानदंड निर्धारित किए जाएंगे। ब्रोकरवार विवरणों और दलाली भुगतान का रिकॉर्ड रखा जाएगा।-

(3) ब्रोकर को देय ब्रोकरेज, यदि कोई हो, (यदि सौदा ब्रोकर की मदद से किया गया था), के लिए अनुमोदन की मांग करते समय नोट/ज्ञापन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा और भुगतान किये गए ब्रोकरेज का ब्रोकर वार एक अलग खाता रखा जाएगा।

(4) ब्रोकर की भूमिका दोनों पक्षों को एक साथ सौदे के लिए लाने तक सीमित होगी। एसपीडी और काउंटर-पार्टियों के बीच सौदों का निपटान सीधे काउंटर-पार्टियों के बीच होगा और ब्रोकर की निपटान प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं होगी।

(5) सौदे पर बातचीत करते समय ब्रोकर इस सौदे के लिए काउंटर पार्टी की पहचान का प्रकटीकरण करने के लिए बाध्य नहीं है। सौदे के समापन पर उन्हें काउंटर पार्टी का प्रकटीकरण करना चाहिए और उनके अनुबंध नोट में स्पष्ट रूप से काउंटर पार्टी का नाम बताना चाहिए।

### 30. लाभांश की घोषणा के दिशा-निर्देश-

एसपीडी लाभांश वितरण की घोषणा करते समय निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे:

(i) एसपीडी को शुद्ध लाभ का सांविधिक आरक्षित निधि में हस्तांतरण और अन्य दिशानिर्देश जैसे प्रतिभूतियों का प्रावधानीकरण और मूल्य-निर्धारण से संबंधित नियम आदि का अनुपालन करना होगा।

(ii) पिछली चार तिमाहियों में से किसी भी तिमाही में विनियामक न्यूनतम पूंजी (सीआरएआर) 15 प्रतिशत से कम वाले एसपीडी किसी भी लाभांश की घोषणा नहीं करेंगे। पिछले वर्ष की सभी चार तिमाहियों के दौरान न्यूनतम 15 प्रतिशत या उससे अधिक, लेकिन चार तिमाहियों में से किसी में भी 20 प्रतिशत से कम सीआरएआर वाले एसपीडी के लिए लाभांश भुगतान अनुपात (डीपीआर) 33.3 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। पिछले वर्ष की सभी चार तिमाहियों के दौरान 20 प्रतिशत या उससे अधिक सीआरएआर वाले एसपीडी के लिए डीपीआर 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। डीपीआर की गणना वर्ष के दौरान देय लाभांश के एक वर्ष के शुद्ध लाभ के प्रतिशत (लाभांश कर को छोड़कर) के रूप में की जाएगी।

(iii) प्रस्तावित लाभांश चालू वर्ष के लाभ में से देय होगा। यदि संबंधित अवधि के लिए लाभ में कोई असाधारण आय शामिल है, तो प्रुडेन्शियल भुगतान अनुपात सीमा के अनुपालन के लिए ऐसी असाधारण मदों को छोड़कर भुगतान अनुपात की गणना की जाएगी।

(iv) जिस वित्तीय वर्ष के लिए एसपीडी लाभांश घोषित कर रहा है, उससे संबंधित वित्तीय विवरण सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा किसी भी शर्तों से मुक्त होंगे, जिसका उस वर्ष के दौरान लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस आशय की किसी भी शर्तों के मामले में, डीपीआर की गणना करते समय शुद्ध लाभ को उचित रूप से कम किया जाएगा।

(v) यदि किसी एसपीडी को दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने में विशेष कारण या कठिनाइयां हैं, तो वह इस संबंध में उचित तदर्थ व्यवस्था के लिए आरबीआई से अग्रिम रूप से संपर्क करेगा।

(vi) लाभांश घोषित करने वाले सभी एसपीडी लाभांश की घोषणा के लिए जारी बोर्ड संकल्प के साथ निर्धारित प्रोफॉर्मा (अनुलग्नक XIII) में लेखांकन वर्ष के दौरान घोषित लाभांश के विवरण की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। यह रिपोर्ट लाभांश अदायगी के एक पखवाड़े के भीतर प्रस्तुत की जानी है।

### 31. अपने ग्राहक को जानिए निदेश (केवाईसी), 2016 की प्रयोज्यता

ग्राहक इंटरफेस वाले सभी एसपीडी के लिए बैंकिंग विनियमन विभाग द्वारा जारी और समय-समय पर यथासंशोधित अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 का पालन करना आवश्यक होगा।

### 32. एसपीडी द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम और आचार संहिता का प्रबंधन।

एसपीडी अपनी मौजूदा आउटसोर्सिंग व्यवस्थाओं का स्व-मूल्यांकन करेंगे और इन्हें अनुलग्नक XIV में दिए गए निर्देशों के अनुरूप बनाएं।

### 33. एकाउंट एग्रीगेटर (ए.ए.) परिवेश तंत्र के सभी प्रतिभागियों के लिए मुख्य तकनीकी विनिर्देश

एनबीएफसी - एकाउंट एग्रीगेटर (ए.ए.), [मास्टर निदेश गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी - एकाउंट एग्रीगेटर \(रिज़र्व बैंक\) निदेश, 2016](#) के पैरा 3.(1)ix में दी गई परिभाषा के अनुसार विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली और इंटरफेस को अपनाने वाले वित्तीय क्षेत्र के नियामकों में फैले, विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के पास रखी गई, ग्राहक की वित्तीय जानकारी को समेकित करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उक्त डेटा का आदान-प्रदान सुरक्षित, विधिवत, अधिकृत, सुचारु और निर्बाध हो, यह निर्णय लिया गया कि एकाउंट एग्रीगेटर (ए.ए.) परिवेश तंत्र के सभी प्रतिभागियों के लिए मुख्य तकनीकी विनिर्देश निर्धारित किए जाएं। रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड (ReBIT), ने इन विनिर्देशों को तैयार किया है और इन्हें अपनी वेबसाइट ([www.rebit.org.in](http://www.rebit.org.in)) पर प्रकाशित किया है। वित्तीय सूचना प्रदाताओं (एफआईपी)<sup>3</sup> या वित्तीय सूचना उपयोगकर्ताओं (एफआईयू) के रूप में कार्य करने वाले लागू एनबीएफसीजे से यह अपेक्षित है कि वे ReBIT द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर अद्यतन किए गए तकनीकी विनिर्देशों को अपनाएं।

<sup>3</sup> एफआईपी और एफआईयू की परिभाषाएं, समय समय पर-यथासंशोधित [मास्टर निदेश - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी - एकाउंट एग्रीगेटर \(रिज़र्व बैंक\) निदेश, 2016](#), के अनुसार हैं।

## अध्याय - IX

### रिपोर्टिंग आवश्यकताएं

34. आंतरिक ऋण प्रबंधन विभाग और गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग द्वारा निर्धारित रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का एसपीडीएस द्वारा पालन किया जाएगा।

35. आंतरिक ऋण प्रबंधन विभाग द्वारा जारी सभी परिचालन दिशानिर्देशों का भी एसपीडीएस द्वारा पालन किया जाएगा।

## अध्याय -X

### निर्वचन/अर्थ-निर्णय

36. इन निदेशों के उपबंधों को लागू करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, यदि आवश्यक समझेगा, इसमें शामिल किसी मसले पर आवश्यक स्पष्टीकरण दे सकता है और इन निदेशों के किसी उपबंध के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया अर्थ-निर्णय अंतिम और सभी पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इन निदेशों के गैर अनुपालन को गंभीरता से लिया जाएगा और ऐसे उल्लंघन की स्थिति में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उचित समझी गई चलनिधि सहायता वापस लेने, मुद्रा बाजार में भाग लेने से रोकने, एसपीडी के कारोबार को संचालित करने संबंधी प्राधिकार को वापस लेने और/अथवा मौद्रिक दंड अथवा परिसमापन हर्जाना लगाना सहित दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इसके साथ ही, ये निदेश यथासमय लागू किसी अन्य कानूनों, नियमों, विनियमों अथवा निदेशों के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे न कि उनके अल्पीकरण के रूप में।

## अध्याय - XI

### निरसन प्रावधान

37. इन निदेशों के जारी होने के साथ ही बैंक द्वारा जारी निम्नलिखित परिपत्रों (नीचे दी गई सूची) में निहित निदेशों/दिशा-निर्देशों को निरस्त कर दिया गया है। इन परिपत्रों के अंतर्गत दी गई सभी स्वीकृतियों/पावतियों को इन निदेशों के अंतर्गत दिए गए अनुसार माना जाएगा। इस प्रकार के निरसन के बावजूद, निरस्त किए गए निदेशों/दिशा-निर्देशों के अंतर्गत की गई या शुरू की गई कोई भी कार्रवाई उक्त निदेशों/दिशा-निर्देशों के प्रावधानों द्वारा जारी रहेगी।

क्र.सं.	परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
1	आईडीएमसी.पीडीआरएस.1532 /03.64.00/1999-00	02 नवंबर 1999	प्राथमिक डीलर्स लीवरेज -
2	आईडीएमसी.पीडीआरएस.2049A/ 03.64.00/1999-2000	31 दिसंबर 1999	प्राथमिक डीलरों द्वारा पालन करने वाली प्रतिभूति लेनदेन पर दिशानिर्देश
3	आईडीएमसी.पीडीआरएस.5122 /03.64.00/1999-00	14 जून 2000	प्राथमिक डीलरों के लिए प्रतिभूति लेनदेन पर दिशानिर्देश



4	आईडीएमसी.पीडीआरएस.4135/ 03.64.00/2000-01	19 अप्रैल 2001	प्राथमिक डीलरों को बोली, अंडरराइटिंग और तरलता सहायता के लिए योजना
5	आईडीएमसी.पीडीआरएस.87 /03.64.00/2001-02	5 जुलाई 2001	प्राथमिक डीलरों के लिए तरलता सहायता
6	आईडीएमसी.पीडीआरएस.1382/ 03.64.00/2000-01	18 सितंबर 2001	बांड और डिबेंचर की डीमैटेरियलाइज्ड होलिंग
7	आईडीएमसी.पीडीआरएस.3369/ 03.64.00/2001-02	17 जनवरी 2002	काउंटर पार्टी सीमा और अंतर- कॉर्पोरेट जमाराशिपर दिशानिर्देश
8	आईडीएमसी.पीडीआरएस.4881 / 03.64.00/2001-02	8 मई 2002	प्राथमिक डीलरों के लिए दिशानिर्देश
9	आईडीएमसी.पीडीआरएस.5018/ 03.64.00/2001-02	17 मई 2002	प्राथमिक डीलरों को बोली, अंडरराइटिंग और तरलता सहायता के लिए योजना
10	आईडीएमसी.पीडीआरएस.5039/ 03.64.00/2001-02	20 मई 2002	सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन
11	आईडीएमसी.पीडीआरएस.5323 /03.64.00/2001-02	10 जून 2002	सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन
12	आईडीएमसी.पीडीआरएस.418/ 03.64.00/2002-03	26 जुलाई 2002	वित्तीय परिणामों का प्रकाशन
13	आईडीएमसी.पीडीआरएस.1724/ 03.64.00/2002-03	23 अक्टूबर 2002	प्राथमिक डीलरों द्वारा सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों की अंडरराइटिंग
14	आईडीएमसी.पीडीआरएस.2269/ 03.64.00/2002-03	28 नवंबर 2002	वित्तीय परिणामों का प्रकाशन
15	आईडीएमसी.पीडीआरएस.2896/ 03.64.00/2002-03	14 जनवरी 2003	सरकारी प्रतिभूतियों में स्टॉक एक्सचेंजों पर व्यापार
16	आईडीएमसी.पीडीआरएस.3432/ 03.64.00/2002-03	21 फरवरी 2003	तैयार फॉरवर्ड अनुबंध
17	आईडीएमसी.पीडीआरएस.3820/ 03.64.00/2002-03	24 मार्च 2003	प्राथमिक डीलरों द्वारा एफसीएनआर(बी) ऋण का लाभ
18	आईडीएमसी.पीडीआरएस.1/ 03.64.00/2002-03	10 अप्रैल 2003	प्राथमिक डीलरों द्वारा पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं दिशानिर्देश -
19	आईडीएमसी.पीडीआरएस.4802/ 03.64.00/2002-03	03 जून 2003	एक्सचेंज ट्रेडेड इंटरैस्ट रेट डेरिवेटिव्स पर दिशानिर्देश
20	आईडीएमसी.पीडीआरएस.122/ 03.64.00/2002-03	22 सितंबर 2003	प्राथमिक डीलरों द्वारा प्रस्तुत रिटर्न्स का सुव्यवस्थीकरण

21	आईडीएमसी.1/(पीडीआरएस) 03.64.00/2003-04	07 जनवरी 2004	प्राथमिक डीलरों के लिए पूंजी पर्याप्तता मानक और जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देश
22	आईडीएमसी.पीडीआरएस.सं.3/ 03.64.00/2003-04	08 मार्च 2004	गैर सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश-पूडेन्शियल दिशानिर्देश
23	आईडीएमसी.पीडीआरएस.05/ 10.02.01/2003-04	29 मार्च 2004	सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन
24	आईडीएमसी.पीडीआरएस.06/ 03.64.00/2003-04	03 जून 2004	प्राथमिक डीलरों द्वारा लाभांश की घोषणा
25	आईडीएमसी.पीडीआरएस.01 / 10.02.01/2004-05	23 जुलाई 2004	सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन
26	आईडीएमसी.पीडीआरएस.02 / 03.64.00/2004-05	23 जुलाई 2004	प्राथमिक डीलरों के लिए खजाना बिल नीलामी में सफलता अनुपात
27	आईडीएमसी.पीडीआरएस.सं.03 / 10.02.16/2004-05	24 अगस्त 2004	इक्विटी में प्राथमिक डीलर के निवेश का डिमटेरियलाइजेशन
28	आईडीएमसी.पीडीआरएस.सं.06/ 03.64.00/2004-05	15 अक्टूबर 2004	पूंजी पर्याप्तता मानक - गौण ऋण साधनों पर दिशानिर्देश - टियर-II और टियर-III पूंजी
29	आईडीएमसी.पीडीआरएस.4783/ 10.02.01/2004-05	11 मई 2005	सरकारी प्रतिभूति लेनदेन -टी+1 निपटान
30	आईडीएमसी.पीडीआरएस.4779/ 10.02.01/2004-05	11 मई 2005	तैयार वायदा अनुबंध
31	आईडीएमसी.पीडीआरएस/4907/ 03.64.00/2004-05	19 मई 2005	पीडीओ-एनडीएस के प्राथमिक बाजार संचालन (पीएमओ) मॉड्यूल के अंतर्गत दिनांकित सरकारी प्रतिभूति नीलामी का संचालन - हमीदारी कमीशन का भुगतान
32	आईडीएमसी.पीडीआरएस. 337 /10.02.01/2005-06	20 जुलाई 2005	सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन
33	आईडीएमसी.सं.766/ 10.26.65A/2005-06	22 अगस्त 2005	एनडीएस-ओएम - प्रतिपक्ष पुष्टि
34	<a href="#">डीबीओडी.एफएसडी.बीसी.सं. 64/24.92.01/2005-06</a>	27 फरवरी 2006	बैंकों के उपक्रम द्वारा पीडी व्यवसाय के लिए दिशानिर्देश
35	आईडीएमसी.पीडीआरएस/26/03. 64.00/2006-07	04 जुलाई 2006	स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर्स के गतिविधियों का विविधीकरण - परिचालनात्मक दिशानिर्देश
36	आईडीएमसी.पीडीआरएस.No.148/ 03.64.00/2006-07	10 जुलाई 2006	डेरिवेटिव व्यवसाय की जोखिम रिपोर्टिंग

37	<a href="#">एफएमडी.एमओएजी. सं.13 / 01.01.01/2006-07</a>	30 मार्च 2007	तरलता समायोजन सुविधा - रिपो के अंतर्गत राज्य विकास ऋण की स्वीकृति
38	आईडीएमसी.530/03 .64.00/2007-08	31 जुलाई 2007	कारपोरेट बान्ड लेनदेन के लिए फिमडा रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म
39	डीबीओडी.एफएसडी.बीसी.सं.25/ 24.92.001/2006-07	9 अगस्त 2006	पीडी व्यवसाय करने वाले बैंकों के लिए दिशानिर्देश
40	आईडीएमसी.पीडीआरएस.1431 /03.64.00/2006-07	5 अक्तूबर 2006	पीडी व्यवसाय करने /प्रस्ताव देने हेतु बैंकों के लिए परिचालन दिशानिर्देश
41	आईडीएमसी/11.08.15 /809/2007-08	23 अगस्त 2007	ओटीसी ब्याज दर डेरिवेटिव्स के लिए रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म
42	आईडीएमसी.पीडीआरएस.No.2382 /03.64.00/2007-08	14 नवम्बर 2007	अंडरराइटिंग प्रतिबद्धता और तरलता सहायता की संशोधित योजना
43	आईडीएमसी.पीडीआरडी.1393/ 03.64.00/ 2008-09	19 सितंबर 2008	प्राथमिक नीलामी का निपटान- धन की कमी
44	आईडीएमसी.पीडीआरडी.सं.4878 /03.64.00/2008-09	01 अप्रैल 2009	टियर-II और टियर-III पूंजी का जारी करना
45	<a href="#">आईडीएमसी.पीडीआरडी.1050/ 03.64.00/2009-10</a>	31 अगस्त 2009	प्राथमिक डीलरों का निवेश पोर्टफोलियोमानदंडों में - मौजूदा छूट
46	<a href="#">आईडीएमसी.पीडीआरडी.1097 /03.64.00/2009-10</a>	02 सितंबर 2009	न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधियों में वृद्धि
47	<a href="#">आईडीएमसी.पीडीआरडी.1096/ 03.64.00/2009-10</a>	02 सितंबर 2009	कॉल/नोटिस मुद्रा ऋण की सीमा में वृद्धि
48	आईडीएमसी.पीडीआरडी.2424/ 03.64.00/2009-10	01 दिसम्बर 2009	ओटीसी बाजार में सरकारी प्रतिभूति लेनदेन में व्यापार पुष्टिकरण की छूट
49	<a href="#">आईडीएमसी.पीडीआरडी.3843/ 03.64.00/2009-10</a>	09 मार्च 2010	पीडी के लिए एचटीएम श्रेणी का विस्तार
50	आईडीएमसी.पीडीआरडी.सं./ 03.64.00/2009-10	09 अप्रैल 2010	मेल बॉक्स स्पष्टीकरण - गैर तुलनपत्र मदों के लिए रूपांतरण कारक संबंधी
51	<a href="#">आईडीएमसी.पीडीआरडी.4537/ 03.64.00/2009-10</a>	12 अप्रैल 2010	पीडी द्वारा एचटीएम श्रेणी में धारित सरकारी प्रतिभूतियों की मात्रा
52	आईडीएमसी.पीडीआरडी.5533/ 03.64.00/2009-10	15 जून 2010	प्राथमिक डीलर - दंड लगाना - प्रकटीकरण
53	आईडीएमसी.पीडीआरडी.5573/ 03.64.00/2009-10	17 जून 2010	नकद प्रबंधन देयके - बोली प्रतिबद्धता और सफलता अनुपात

54	<a href="#">आईडीएमसी.पीडीआरडी.सं.19/ 03.64.00/2010-11</a>	27 जुलाई 2010	प्राथमिक डीलरों के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकार या धारण न करने वाली) कंपनी प्रुडेन्शियल मानदंड (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2007 की प्रयोज्यता
55	<a href="#">आईडीएमसी.पीसीडी.सं. 20/ 14.03.05/2010-11</a>	01 अक्तूबर 2010	अंतर कारपोरेट जमा (आईसीडी) के माध्यम से संसाधन जुटाना
56	आईडीएमसी. पीसीडी.सं.1652/ 14.03.05/2010-11	11 नवम्बर 2010	एक्सपोजर मानदंड: स्टैंडअलोन प्राथमिक डीलरों के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकार या धारण न करने वाली) कंपनी प्रुडेन्शियल मानदंड (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2007 की प्रयोज्यता
57	<a href="#">आईडीएमसी. पीसीडी.सं. 26 / 14.03.05/2010-11</a>	10 फरवरी 2011	गैर-सरकारी प्रतिभूतियां - स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर्स (पीडी) द्वारा एक साल तक की गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) में निवेश।
58	<a href="#">आईडीएमसी.पीडीआरडी.सं.3961/ 03.64.00/2010-11</a>	18 मार्च 2011	ओटीसी ब्याज दर डेरिवेटिव मार्केट में लेनदेन के लिए फिमडा मान्यता प्राप्त ब्रोकर।
59	आईडीएमसी.पीसीडी.सं./03.64.00/ 2009-10	05 अप्रैल 2011	मेल बॉक्स स्पष्टीकरण- स्टैंडअलोन पीडी द्वारा जारी टियर-III बांड
60	<a href="#">आईडीएमसी.पीसीडी. 9/ 14.03.05/2011-12</a>	30 अगस्त 2011	प्राथमिक डीलरों (पीडी) के लिए प्राधिकार दिशानिर्देश
61	आईडीएमसी.पीसीडी.सं. 5053/ 14.03.04/2010-11	23 मई 2011	कारपोरेट बांड के लिए क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप (सीडीएस) पर दिशानिर्देश
62	<a href="#">आईडीएमसी.पीसीडी.06/ 14.03.07/2011-12</a>	06 जुलाई 2011	सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन-गिल्ट खाताधारकों को डीवीपी III सुविधा का विस्तार
63	आईडीएमसी.पीडीआरडी.No. 3464/06.64.00/2011-12	07 मार्च 2012	प्राथमिक नीलामियों में बोली - स्पष्टीकरण
64	आईडीएमसी.पीसीडी.08/ 14.03.03/2011-12	23 अगस्त 2011	गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) जारी करना - एनसीडी की न्यूनतम रेटिंग
65	<a href="#">आईडीएमसी.पीसीडी.9/ 14.03.05/2011-12</a>	30 अगस्त 2011	प्राथमिक डीलरों (पीडी) के लिए प्राधिकार दिशानिर्देश

66	आईडीएमसी.पीसीडी.सं.2301/ 14.03.04/2011-12	30 नवम्बर 2011	क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप (सीडीएस) के लिए पूंजी पर्याप्तता और एक्सपोजर मानदंडों पर दिशानिर्देश
67	आईडीएमसी.पीसीडी.14/ 14.03.07/2011-12	28 दिसम्बर 2011	सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेनदेन - शॉर्ट बिक्री
68	आईडीएमसी.पीसीडी.17/ 14.03.01/2011-12	30 दिसम्बर 2011	एक्सचेंज-ट्रेडेड ब्याज दर फ्यूचर्स
69	आईडीएमसी.पीसीडी.15/ ईडी (आरजी)-2011	30 दिसम्बर 2011	ब्याज दर फ्यूचर्स (रिज़र्व बैंक) (संशोधन) निर्देश, 2011
70	आईडीएमसी.पीसीडी.19/ 14.03.07/2011-12	06 फरवरी 2012	सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन
71	<a href="#">आईडीएमसी.पीसीडी.21/ 14.03.07/2011-12</a>	21 जून 2012	सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेनदेन - शॉर्ट बिक्री
72	<a href="#">आईडीएमसी.पीसीडी.सं.4896/ 14.03.05 /2011-12</a>	27 जून 2012	स्टैंडअलोन पीडी के लिए टियर-III पूंजी को चरणबद्ध तरीके से बाहर करना
73	आईडीएमसी.पीडीआरडी.188 / 03.64.00/2012-13	16 जुलाई 2012	प्राथमिक निर्गमनों आंबटित प्रतिभूतियों की उसी दिन बिक्री
74	<a href="#">आईडीएमसी.पीसीडी.सं.718/ 14.03.05/2012-13</a>	03 सितंबर 2012	भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत बांडों के लिए क्रेडिट एक्सपोजर मानदंडों की प्रयोज्यता
75	<a href="#">आईडीएमसी.पीसीडी.सं.2223/ 14.03.05/2012-13</a>	30 जनवरी 2013	कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर्स की भूमिका बढ़ाने के उपाय
76	<a href="#">आईडीएमसी.पीसीडी.सं.2310/ 14.03.05/2012-13</a>	06 फरवरी 2013	कॉर्पोरेट बांड में व्यापार के लिए सेबी द्वारा स्वीकृत स्टॉक एक्सचेंज में सदस्यता के लिए स्टैंडअलोन पीडी को मंजूरी
77	<a href="#">आईडीएमसी.पीडीआरडी.नं. 3089 /03.64.027/ 2012-13</a>	08 मई 2013	अंडरटेकिंग प्रस्तुत करना: प्राधिकरण का नवीनीकरण
78	<a href="#">आईडीएमसी.पीसीडी.13 / 14.03.07/2012-13</a>	26 जून 2013	प्राथमिक डीलरों द्वारा पालन करने वाली प्रतिभूति लेनदेन पर दिशानिर्देश
79	<a href="#">आईडीएमसी.पीडीआरडी.नं. 346/ 10.02.23/2013-14</a>	31 जुलाई 2013	प्राथमिक डीलरों के लिए संशोधित पीडी रिटर्न्स
80	<a href="#">आईडीएमसी.पीडीआरडी.नं. 828/ 03.64.00/2013-14</a>	10 सितंबर 2013	स्टैंडअलोन पीडी के लिए एचटीटीएम सीमा में वृद्धि
81	आईडीएमसी.पीसीडी. 12/ 14.03.05/2013-14	27 मार्च 2014	स्टैंडअलोन पीडी के लिए एक्सपोजर मानदंड

82	आईडीएमसी.पीसीडी.11/ 14.03.05/2013-14	27 मार्च 2014	स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर्स के ब्याज दर डेरिवेटिव करार, रिपो/रिवर्स रिपो लेनदेन और केंद्रीय प्रतिपक्षकारों में एक्सपोजर के लिए पूंजीगत आवश्यकताएं
83	आईडीएमसी.पीडीआरडी.नं. 3404/ 03.64.000/2013-14	05 जून 2014	प्राइमरी डीलर्स (पीडी) के लिए मध्यम क्षेत्र और खुदरा निवेशक की ओर से सालाना कुल बिक्री लक्ष्य
84	आईडीएमसी.पीडीआरडी.नं.7/ 03.64.00/2014-15	15 दिसम्बर 2014	स्टैंडअलोन पीडी के लिए परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) सीमाओं में कमी
85	आईडीएमसी मेलबॉक्स	19 जनवरी 2012	अलग पीडी खाता पुस्तिका का रखरखाव
86	आईडीएमसी मेलबॉक्स	06 फरवरी 2012	सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेनदेन - शॉर्ट बिक्री
87	आईडीएमसी मेलबॉक्स	28 फरवरी 2012	विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा नकद प्रबंधन बिलों में निवेश
88	<a href="#">डीएनबीआर.(पीडी).सीसी.सं.021/ 03.10.001/2014-15</a>	20 फरवरी 2015	एनबीएफसी द्वारा गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) के निजी निवेश के माध्यम से धन जुटाना
89	<a href="#">डीएनबीआर.केंका.पीडी.सं.068/ 03.10.01/ 2015-16</a>	06 अगस्त 2015	स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर्स (एसपीडी) के लिए एक्सपोजर मानदंड सीमा
90	<a href="#">एफएमआरडी.एफएमडी.सं.02.03.183/ 7/2015-16</a>	17 मार्च 2016	चलन फ्यूचर बाजार में स्टैंडअलोन प्राथमिक डीलरों की सहभागिता
91	<a href="#">डीएनबीआर.केंका.पीडी.सं.080/ 03.10.01/2015-16</a>	28 अप्रैल 2016	स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर्स (एसपीडी) द्वारा कारपोरेट बांड में निवेश के लिए जोखिम भारिता

(मनोरंजन मिश्र)

मुख्य महाप्रबंधक

**गौण ऋण (एसडी बांड) पर दिशा-निर्देश (टियर-II पूंजी)**

- (i) जुटाई जाने वाली राशि एसपीडी के निदेशक मंडल द्वारा तय की जा सकती है।
- (ii) एसपीडी अपने बोर्ड द्वारा तय कूपन दरों को निर्धारित कर सकते हैं।
- (iii) लिखतों को 'सादा' होना चाहिए, जिसमें ओपशन्स आदि जैसी कोई विशेष विशेषताएं नहीं होनी चाहिए।
- (iv) ऋण प्रतिभूतियों को भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) के साथ पंजीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करना चाहिए।
- (v) एसडी लिखतों के जारी किए जाने को सेबी का दिनांक 30 सितंबर, 2003 का सेबी/एमआरडी/एसई/एटी/36/2003/30/09 और उसका समय-समय पर यथासंशोधन (संदर्भ: [www.sebi.gov.in/circulars](http://www.sebi.gov.in/circulars)) से जारी दिशा-निर्देशों का यथालागू अनुपालन करना चाहिए।
- (vi) गैर-सूचीबद्ध एसडी के जारी किए जाने के लिए, उपरोक्त दिशा-निर्देशों के संदर्भ में सूचीबद्ध कंपनियों के लिए सेबी द्वारा निर्धारित प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाना चाहिए।
- (vii) आप्रवासी भारतीयों/विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) को लिखत जारी करने के लिए रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग से आवश्यक अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए। एसपीडी को लिखत जारी करने के संबंध में सेबी/अन्य नियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों का अनुपालन करना चाहिए।
- (viii) अन्य पीडी/बैंकों के एसडी में एसपीडी द्वारा निवेश पूंजी पर्याप्तता उद्देश्य के लिए 100% जोखिम भारिता वाला माना जाएगा। इसके अलावा, अन्य पीडी, बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी टियर-II बांड में एसपीडी के कुल निवेश को एसपीडी के कुल पूंजी निधि के 10 प्रतिशत तक सीमित किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए पूंजी निधि वैसा ही होगा जैसा पूंजी पर्याप्तता के उद्देश्य के लिए होता है।
- (ix) एसपीडीएस को लिखत जारी करने के तुरंत बाद प्रस्ताव दस्तावेज की प्रति के साथ जुटाई गई राशि, लिखत की परिपक्वता अवधि, ब्याज दर सहित जुटाई गई पूंजी का ब्यौरा देते हुए आरबीआई के गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएस) के मुख्य महाप्रबंधक को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।

**ऋण जोखिम के लिए पूंजी पर्याप्तता**

जब एक पक्षकार अनुबंधित समझौते या लेनदेन के लिए अपने दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ हो या प्रतिबद्धताओं पर चूक करे तो इसे ऋण जोखिम के रूप में परिभाषित किया गया है।

**सीआरएआर की गणना के लिए जोखिम भारिता**

**1. तुलन पत्र आस्तियां**

तुलन पत्र के सभी मदों को ऋण जोखिम की डिग्री के अनुसार प्रतिशत भारिता प्रदान की जाती है । प्रत्येक आस्ति/मद के मूल्य को संबंधित जोखिम भार से गुणा किया जाएगा ताकि नीचे दिये गए विवरण के अनुसार आस्ति का जोखिम समायोजित मूल्य प्राप्त हो सके। न्यूनतम पूंजी अनुपात की गणना के लिए जोखिम भारित आस्तियों के योग को माना जाएगा ।

आस्ति/मद की प्रकृति		प्रतिशत भारिता
(i)	नकद शेष राशि और आरबीआई के पास चालू खाते में शेष राशि	0
(ii)	कॉल/नोटिस बाजार में उधार दी गई राशि/ बैंकों/वित्तीय संस्थानों के मुद्रा बाजार के अन्य लिखत जिसमे सीडी और बैंकों के साथ चालू खाते में शेष राशि शामिल है	20
(iii)	<u>निवेश</u>	
(a)	सरकार की केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत अनुमोदित प्रतिभूतियां [नीचे (e) के अतिरिक्त]	0
(b)	सावधि जमा, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बांड	20
(c)	टियर-II पूंजी के रूप में बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी बांड	100



	(d)	सभी कंपनियों के शेयर और ऊपर (b) के अतिरिक्त अन्य कंपनियों के डिबेंचर/बांड/वाणिज्यिक पत्र / म्यूचुअलफंड इकाइयां	@
	(e)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियां लेकिन बाजार उधार कार्यक्रम के बाहर जारी	20
	(f)	पीडी की प्रतिभूतियां और अन्य दावे	100
	(g)	अन्य पीडी द्वारा जारी किए गए गौण ऋण	100
(iv)	वर्तमान आस्ति		
	(a)	कर्मचारियों को ऋण	100
	(b)	अन्य सुरक्षित ऋण और अग्रिम, जिनको अच्छा माना जाता है	100
	(c)	अन्य (निर्दिष्ट किए जाने हैं)	100
(v)	अचल आस्तियां (मूल्यहास के पश्चात शुद्ध)		
	(a)	पट्टे पर दी गई आस्ति (बही खाते में दर्ज निवल मूल्य)	100
	(b)	अचल आस्तियां	100
(vi)	अन्य आस्तियां		
	(a)	स्रोत पर आयकर की कटौती (निवल प्रावधान)	0

	(b)	भुगतान किया गया अग्रिम कर (निवल प्रावधान)	0
	(c)	सरकारी प्रतिभूतियों पर अर्जित ब्याज	0
	(d)	अन्य (काउंटर पार्टी के अनुसार निर्दिष्ट और जोखिम भरिता प्रदान किया जाना)	X

नोट:	(1)	समायोजन केवल उन आस्तियों के लिए किया जाएगा जहां मूल्यहास या बैड और डाउटफुल ऋणों के लिए प्रावधान किए गए हैं।
	(2)	पूंजी निधि से जो आस्तियां घटाई गई हैं, उनमें जोखिम भरिता 'शून्य' होगी।
	(3)	पीडी वर्तमान आस्तियों, ऋणों और अग्रिमों से वर्तमान देयताओं और प्रावधानों को अपने तुलन पत्र में समायोजित कर सकते हैं, क्योंकि तुलन पत्र कंपनी अधिनियम के तहत निर्धारित प्रारूप के अनुसार तैयार किया जाता है। पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए, ऊपर बताई गई सीमा को छोड़कर कोई अन्य समायोजन नहीं किया जाना चाहिए।

@ कॉर्पोरेट बांड में अपने निवेश के लिए एसपीडी द्वारा बांड की रेटिंग के अनुसार निम्नलिखित जोखिम भारिता दी जाएगी:

**A. लघु अवधि वाले निवेश (बांड = 1 वर्ष की परिपक्वता अवधि)**

केअर (CARE)	क्रिसिल (CRISIL)	इंडिया रेटिंग (India Rating)	इकरा (ICRA)	ब्रिकवर्क (Brickwork)	अकुटे (ACUITE)	जोखिम भारिता (%)
CARE A1+	CRISIL A1+	IND A1+	ICRA A1+	BWR A1+	ACUITE A1+	20
CARE A1	CRISIL A1	IND A1	ICRA A1	BWR A1	ACUITE A1	30

CARE A2	CRISIL A2	IND A2	ICRA A2	BWR A2	ACUITE A2	50
CARE A3	CRISIL A3	IND A3	ICRA A3	BWR A3	ACUITE A3	100
CARE A4&D	CRISIL A4&D	IND A4&D	ICRA A4&D	BWR A4&D	ACUITE A4&D	150
बिना रेटिंग का	बिना रेटिंग का	बिना रेटिंग का	बिना रेटिंग का	बिना रेटिंग का	बिना रेटिंग का	100

### B. दीर्घावधि वाले निवेश (बांड > 1 वर्ष की परिपक्वता अवधि)

रेटिंग	AAA	AA	A	BBB	≤ BB	Unrated
जोखिम भारिता	20	30	50	100	150	100

## 2. तुलन पत्रेत्तर मद

तुलन पत्रेत्तर मदों से जुड़े ऋण जोखिम एक्सपोजर की गणना पहले नीचे बताए गए क्रेडिट कन्वर्जन कारक (सीसीएफ) से प्रत्येक तुलन पत्रेत्तर मद के अंकित मूल्य को गुणा करके की जाएगी। इसके बाद इसे फिर से तुलन पत्र के मदों के तहत निर्दिष्ट प्रासंगिक काउंटर-पार्टी की भारिता से गुणा करना होगा।

	मद की प्रकृति	CCF प्रतिशत
(i)	शेयर/डिबेंचर/स्टॉक अंडररिटन	50
(iii)	आंशिक रूप से भुगतान किए गए शेयर/डिबेंचर/अन्य प्रतिभूतियां और वास्तविक विचलन	100
(iii)	इक्विटी डेरिवेटिव में अंतर्निहित काल्पनिक इक्विटी/इंडेक्स स्थिति *	100
(iv)	बिल बढ़ाकृत/ पुनर्बढ़ाकृत	100

(vi)	एक वर्ष से अधिक की मूल परिपक्वता के साथ स्टैंडबाय सुविधाएं जैसी स्टैंड बाय प्रतिबद्धता और अन्य आकस्मिक देयताएं/प्रतिबद्धताएं	50
(vii)	एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता की समान आकस्मिक देयताएं/प्रतिबद्धताएं या जिन्हें किसी भी समय बिना शर्त निरस्त किया जा सकता है	0

\* इक्विटी डेरिवेटिव की अंतर्निहित काल्पनिक स्थिति की गणना पर दिशा निर्देशों के लिए, कृपया खंड A2, अनुलग्नक III का संदर्भ लें (बाजार जोखिम का मापन)

नोट: कन्वर्जन फैक्टर लागू करने से पहले नकद मार्जिन/डिपॉजिट काटा जाना चाहिए

### 3. ब्याज दर अनुबंध

#### 3.1 सामान्य

ब्याज दर डेरिवेटिव करारों के लिए कुल जोखिम भारिता की गणना दो चरण की प्रक्रिया के माध्यम से की जानी चाहिए :

- वर्तमान एक्सपोजर विधि लागू करके लेनदेन की काल्पनिक राशि को क्रेडिट समकक्ष राशि में परिवर्तित करके प्रतिपक्ष क्रेडिट एक्सपोजर की गणना करें और
- उक्त के परिणामस्वरूप क्रेडिट समकक्ष राशि को प्रतिपक्ष या आस्ति के प्रकार पर लागू जोखिम भारिता, जो भी अधिक हो, उससे गुणा जाएं।

#### 3.2 वर्तमान एक्सपोजर विधि

- वर्तमान एक्सपोजर विधि का उपयोग करके गणना की गई ब्याज दर डेरिवेटिव करारों की क्रेडिट समकक्ष राशि, वर्तमान क्रेडिट एक्सपोजर और इन करारों के संभावित भविष्य के क्रेडिट एक्सपोजर का योग है।
- वर्तमान क्रेडिट एक्सपोजर को इन करारों के धनात्मक मार्क-टू-मार्केट मूल्य के योग के रूप में परिभाषित किया गया है। वर्तमान एक्सपोजर विधि को इन करारों को मार्क टू मार्केट करके वर्तमान क्रेडिट एक्सपोजर की आवधिक गणना की आवश्यकता होती है, इस प्रकार वर्तमान क्रेडिट एक्सपोजर प्राप्त करना होता है।
- संभावित भविष्य क्रेडिट एक्सपोजर को इन करारों में से प्रत्येक की काल्पनिक मूल राशि को लिखत की प्रकृति और अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार नीचे इंगित के हिसाब से संबंधित ऐड-

ऑन फैक्टर से गुणा करके निर्धारित किया जाता है, भले ही करार में शून्य, धनात्मक या ऋणात्मक मार्क टू मार्केट मूल्य हो।

तालिका 1: ब्याज दर डेरीवेटिव्ज करारों के क्रेडिट कनवर्ज़न फैक्टर (सीसीएफ़)

अवशिष्ट परिपक्वता	सीसीएफ़ (%)
	ब्याज दर दर डेरीवेटिव करार
एक वर्ष या उससे कम	0.50
एक वर्ष से पांच वर्ष तक	1.00
पांच वर्ष से अधिक	3.00

- (iv) निर्दिष्ट भुगतान तिथियों के बाद बकाया जोखिम को निपटाने हेतु संरचित करारों के लिए जहां शर्तों को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि करार का बाजार मूल्य इन निर्दिष्ट तिथियों पर शून्य हो, अवशिष्ट परिपक्वता अगले पुनर्निर्धारित तिथि तक के बराबर निर्धारित की जाएगी। हालांकि, ब्याज दर करारों के लिए, जिनमें एक वर्ष से अधिक की अवशिष्ट परिपक्वताएं हैं और उपरोक्त मानदंडों को पूरा करती हैं, सीसीएफ़ या ऐड-ऑन फैक्टर 1.0 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर रहेगा।
- (v) किसी एकल मुद्रा फ्लोटिंग/फ्लोटिंग ब्याज दर स्वैप के लिए संभावित भविष्य क्रेडिट एक्सपोजर की गणना नहीं की जाएगी; इन करारों पर क्रेडिट एक्सपोजर का मूल्यांकन केवल उनके मार्क-टू-मार्केट मूल्य के आधार पर किया जाएगा।
- (vi) संभावित भविष्य के एक्सपोजर 'स्पष्ट काल्पनिक मात्रा' के बजाय 'प्रभावी' राशि पर आधारित होने चाहिए। ऐसी स्थिति में जहाँ 'बताई गयी काल्पनिक राशि' लेनदेन की संरचना द्वारा लीवरेज या बढ़ाया जाता है, पीडीज को संभावित भविष्य के एक्सपोजर का निर्धारण करते समय 'प्रभावी काल्पनिक राशि' का उपयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए, लागू दर के दो गुना की आंतरिक दर के आधार पर भुगतान के साथ 5 करोड़ रुपये की बताई गई काल्पनिक राशि में 10 करोड़ रुपये की प्रभावी काल्पनिक राशि होगी।
- (vii) ऐसे डेरीवेटिव करारों के कारण उत्पन्न होने वाले मार्क-टू-मार्क (एमटीएम) मूल्यों के द्विपक्षीय समायोजन की अनुमति नहीं है। तदनुसार, पीडी को पूंजी पर्याप्तता के लिए ऐसे करारों के सकल धनात्मक एमटीएम मूल्य की गणना करनी चाहिए ।

#### 4. रिपो/रिवर्स रिपो लेनदेन के लिए पूंजी शुल्क:

4.1 रिपो-स्टाइल लेनदेन में ऋण जोखिम और बाजार जोखिम के अलावा प्रतिपक्ष ऋण जोखिम (सीसीआर) के लिए पूंजी प्रभार लगाना चाहिए। सीसीआर को रिपो-स्टाइल लेनदेन में प्रतिपक्ष द्वारा डिफॉल्ट के जोखिम के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिभूति उधार/गिरवी/बिक्री या नकदी की अदायगी न हो।

##### A. निधियों के उधारकर्ताओं के बही खातों की व्यवस्था:

(i) किसी पीडी द्वारा प्रतिभूतियों के जमानत के रूप में बेच/ऋण या पोस्टिंग करके निधि उधार लिए जाने की स्थिति में एक्सपोजर तुलन-पत्रेतर एक्सपोजर होगा जो नीचे पैराग्राफ 4.2 में दिये गए विवरण के अनुसार उचित हेयरकट लागू करके प्राप्त की गई/बेची गई प्रतिभूतियों के 'बाजार मूल्य' के बराबर होगा। 100 प्रतिशत का क्रेडिट कनवर्जन फैक्टर लागू करके 'तुलन-पत्रेतर एक्सपोजर' को 'तुलन-पत्र' समकक्ष एक्सपोजर में परिवर्तित किया जाएगा।

(ii) प्राप्त धन की राशि को उधार/बेचा/गिरवी प्रतिभूतियों के लिए जमानत के रूप में माना जाएगा। चूंकि जमानत नकद है, इसलिए इसके लिए हेयरकट शून्य होगा।

(iii) उपर्युक्त (i) से प्राप्त ऋण समकक्ष राशि के लिए, नकद जमानत को छोड़कर निवल राशि पर प्रतिपक्ष पर लागू जोखिम भारिता लगेगी।

(iv) चूंकि प्रतिभूतियां रिपो अवधि के बाद उधार लेनेवाली पीडी की खाता पुस्तकों में वापस आ जाएंगी, वे प्रतिभूतियों उन मामलों में के ऋण जोखिम के लिए पूंजी बनाए रखेगी, जहां रेपो में शामिल प्रतिभूतियों को एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है, और उन मामलों में बाजार जोखिम के लिए पूंजी को बनाए रखेगी जहां प्रतिभूतियां एचएफटी श्रेणी के अंतर्गत रखी जाती है। ऋण जोखिम/विशिष्ट जोखिम के लिए पूंजी प्रभार का निर्धारण प्रतिभूति के जारीकर्ता की क्रेडिट रेटिंग के अनुसार किया जाएगा। सरकारी प्रतिभूतियों के लिए, ऋण/विशिष्ट जोखिम के लिए पूंजीगत प्रभार शून्य होगा।

##### B. निधि के ऋणदाता की खाता पुस्तकों की व्यवस्था:

(i) उधार दी गई राशि को रिपो के अंतर्गत स्वीकार की गई प्रतिभूतियों द्वारा जमानित तुलन पत्र में शामिल /वित्त पोषित काउंटर पार्टी एक्सपोजर के रूप में माना जाएगा।

(ii) एक्सपोजर नकदी में होने के कारण हेयरकट शून्य माना जाएगा।

(iii) उचित हेयरकट के अनुसार जमानत को नीचे की ओर समायोजित/चिह्नित किया जाएगा ।

(iv) जमानत की समायोजित राशि को घटाने के बाद प्राप्त एक्सपोजर राशि पर प्रतिपक्ष पर लागू जोखिम भारिता लगाई जाएगी, क्योंकि यह एक तुलनपत्र से संबन्धित एक्सपोजर है।

(v) ऋण देने वाली पीडी रिपो अवधि के दौरान जमानत के रूप में इसे प्राप्त प्रतिभूति के लिए कोई पूंजी प्रभार नहीं रखेगी, क्योंकि इस तरह की जमानत को तुलन पत्र में शामिल नहीं किया जाता है बल्कि इसे केवल अमानतदार के रूप में रखा जाता है।

## 4.2 हेयरकट

(i) पीडी को एक्सपोजर और अमानत दोनों के लिए केवल मानक पर्यवेक्षी हेयरकट का उपयोग करना चाहिए।

(ii) मानक पर्यवेक्षी हेयरकट (दैनिक मार्क टू मार्केट, दैनिक पुनः मार्जिनिंग और पांच व्यावसायिक दिनों की न्यूनतम होल्डिंग अवधि को मानते हुए) नीचे तालिका में व्यक्त किए अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा।

(iii) तालिका 2 में दर्शाई गई रेटिंग घरेलू रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदत्त रेटिंग दर्शाती है। विदेशी केंद्र सरकारों और विदेशी कंपनियों द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियों को एक्सपोजर के मामले में (यदि अनुमति दी जाती है), हेयरकट तालिका 3 में इंगित अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों की रेटिंग पर आधारित होगा।

(iv) सरकार में बैंक और डीआईसीजीसी शामिल होंगे, जो शून्य प्रतिशत जोखिम भारिता के लिए पात्र हैं।

**तालिका 2: एक्सपोजर और अमानत का गठन करने वाली सरकारी और अन्य प्रतिभूतियों के लिए मानक पर्यवेक्षी हेयरकट**

क्र.सं.	ऋण प्रतिभूतियों के लिए जारी रेटिंग	अवशिष्ट परिपक्वता (वर्षों में)	हेयरकट (प्रतिशत में)	
A	भारत सरकार द्वारा जारी/गारंटीकृत प्रतिभूतियां और राज्य सरकारों द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियां (संप्रभु प्रतिभूतियां)			
	i	रेटिंग लागू नहीं - चूंकि वर्तमान में	≤ 1 वर्ष	0.5
		भारत में सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन नहीं किया गया है	>1 वर्ष और ≤ 5 वर्ष	2
			>5 वर्ष	4

भारतीय राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों सहित उपरोक्त मद सं. A में दर्शाए गए प्रतिभूतियों के अलावा अन्य घरेलू ऋण प्रतिभूतियां			
ii	AAA से AA A1	≤ 1 वर्ष	1
		> 1 वर्ष और ≤ 5 वर्ष	4
		>5 वर्ष	8
iii	A से BBB A2 और A3	≤ 1 वर्ष	2
		> 1 वर्ष और ≤ 5 वर्ष	6
		>5 वर्ष	12
<b>B</b>	समान चलन में नकद		0

तालिका 3: विदेशी केंद्रीय सरकारों/विदेशी कारपोरेट के दायित्व वाले एक्सपोजर और अमानत के लिए मानक पर्यवेक्षी हेयरकट

अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों द्वारा सौंपे गई ऋण प्रतिभूतियों के लिए निर्गम रेटिंग	अवशिष्ट परिपक्वता	सरकारी (%)	अन्य निर्गम (%)
AAA से AA / A1	≤ 1 वर्ष	0.5	1
	>1 वर्ष और < अथवा = 5 वर्ष	2	4
	>5 वर्ष	4	8
A से BBB / A2 / A3 और रेटिंग रहित बैंक प्रतिभूतियां	≤ 1 वर्ष	1	2
	>1 वर्ष और < अथवा = 5 वर्ष	3	6
	>5 वर्ष	6	12



(v) जहां अमानत आस्तियों का समूह है, तो समूह का हेयरकट होगा,

$$H = \sum a_i H_i$$

जहां  $a_i$  बास्केट में आस्ति की भारिता है (राशि/ चलन की इकाइयों में आस्तियों के मूल्य के रूप में मापित) और  $H_i$  आस्ति के लिए लागू हेयरकट है

(vi) गैर-दैनिक मार्क-टू-मार्केट या पुनर्मार्जिनिंग के लिए समायोजन:

क. रिपो स्टाइल लेनदेन के लिए स्टैंडअलोन पीडी को डेली दैनिक पुनर्मार्जिनिंग के साथ पांच कारोबार दिवस की न्यूनतम होलिंग अवधि का इस्तेमाल करना चाहिए।

ख. यदि किसी लेनदेन में अनुमानित दैनिक मार्जिनिंग से अलग न्यूनतम होलिंग अवधि या मार्जिनिंग आवृत्ति होती है, तो लेनदेन के लिए लागू हेयरकट को भी नीचे पैराग्राफ 4.2(vii) में दिए गए सूत्र का उपयोग करके तालिका 2 और 3 में इंगित दैनिक मार्जिनिंग के साथ 10 कारोबारी दिवसों के लिए हेयरकट को बढ़ा/घटा कर समायोजित करने की आवश्यकता होगी।

(vii) विभिन्न होलिंग अवधियों और/या गैर-दैनिक मार्क-टू-मार्केट या पुनर्मार्जिनिंग के लिए समायोजन का फार्मूला:

ऊपर पैराग्राफ (vi) में दर्शाए गए होलिंग पीरियड और मार्जिनिंग/मार्क-टू-मार्केट में भिन्नता के लिए समायोजन निम्नलिखित फार्मूले के अनुसार किया जाएगा:

$$H = H_{10} \sqrt{\frac{N_r + (T_M - 1)}{10}}$$

जहां:

H = हेयरकट

$H_{10}$  = लिखत हेतु 10 कारोबारी दिवसों के लिए मानक पर्यवेक्षी हेयरकट

$N_R$  = पूंजी बाजार में लेनदेन के लिए मार्जिन को पुनः निर्धारित करने अथवा प्रतिभूत लेनदेन के पुनर्मूल्यांकन के बीच व्यावसायिक दिनों की वास्तविक संख्या

$T_M$  = लेनदेन के प्रकार अनुसार न्यूनतम धारण अवधि

5. केंद्रीय प्रतिपक्षकारों में एक्सपोजर के लिए पूंजीगत आवश्यकता (सीसीपी)

5.1 परिभाषाएँ

**5.1.1 प्रतिपक्ष क्रेडिट जोखिम (सीसीआर)** ऐसा जोखिम है जिसमें कोई प्रतिपक्ष लेनदेन के नकदी प्रवाह के अंतिम निपटान से पहले डिफ़ॉल्ट चूक सकता है। यदि लेनदेन या प्रतिपक्ष के साथ लेनदेन के पोर्टफोलियो में डिफ़ॉल्ट के समय धनात्मक आर्थिक मूल्य है तो आर्थिक हानि होती है। सीसीआर नुकसान का द्विपक्षीय जोखिम उत्पन्न करता है : लेनदेन का बाजार मूल्य लेनदेन के संबंध में प्रतिपक्ष के लिए धनात्मक या ऋणत्मक हो सकता है। बाजार मूल्य अनिश्चित है और अंतर्निहित बाजार कारकों के उतार-चढ़ाव के साथ समय के अनुसार भिन्न हो सकते हैं।

**5.1.2 प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन (एसएफटी)** पुनर्खरीद समझौतों, रिवर्स पुनर्खरीद समझौतों, प्रतिभूति ऋण और सांपार्श्विकृत उधार लेनदेन संबंधी दायित्व (CBLO) जैसे लेनदेन हैं, जहां लेनदेन का मूल्य बाजार मूल्यांकन पर निर्भर करता है और लेनदेन अक्सर मार्जिन समझौतों के अधीन होते हैं।

**5.1.3 हेजिंग सेट** एक एकल समायोजन समूह है जिसके लिए सीसीआर मानकीकृत विधि के अंतर्गत एक्सपोजर राशि या डिफ़ॉल्ट एक्सपोजर का निर्धारण करने के लिए केवल उनका शेष प्रासंगिक है।

**5.1.4 वर्तमान एक्सपोजर** शून्य से बड़ा या लेनदेन या लेनदेन के पोर्टफोलियो का बाजार मूल्य, किसी ऐसे प्रतिपक्ष पर समायोजित समूह से संबन्धित है, जिसके दिवालियापन में लेनदेन के मूल्य पर कोई वसूली नहीं मिलेगी एवं डिफ़ॉल्ट होने पर वह समाप्त हो जाएगा। वर्तमान एक्सपोजर को अक्सर प्रतिस्थापन लागत भी कहा जाता है।

**5.1.5 केंद्रीय प्रतिपक्ष (सीसीपी)** एक समाशोधन गृह है जो हर विक्रेता के लिए खरीददार और हर खरीददार के लिए विक्रेता बनकर एक या एक से अधिक वित्तीय बाजारों में कारोबार करने वाले अनुबंधों के बीच खुद को जोड़ता है, और इस तरह खुले अनुबंधों के भविष्य के प्रदर्शन को सुनिश्चित करता है। सीसीपी एक खुले प्रस्ताव प्रणाली, या किसी अन्य कानूनी रूप से बाध्यकारी व्यवस्था जैसे नोवेशन के माध्यम से बाजार सहभागियों के साथ व्यापार करने के लिए प्रतिपक्ष बन जाता है। पूंजीगत ढांचे के प्रयोजनों के लिए, सीसीपी एक वित्तीय संस्थान है।

**5.1.6 योग्यता केंद्रीय प्रतिपक्ष (क्यूसीसीपी)** एक इकाई है जिसे सीसीपी के रूप में संचालित करने का लाइसेंस प्राप्त है (छूट की पुष्टि के माध्यम से दिए गए लाइसेंस सहित) और प्रस्तावित उत्पादों के संबंध में उपयुक्त नियामक/अवेक्षक द्वारा अनुमति दी गई है। यह इस प्रावधान के अधीन है कि सीसीपी प्रुडेन्शियल ढंग से उस क्षेत्राधिकार में स्थापित और नियामक/अवेक्षक द्वारा पर्यवेक्षित है, और वह सार्वजनिक रूप से यह संकेत दिया है कि वित्तीय बाजार अवसंरचनाओं के लिए CPSS-

IOSCO सिद्धांतों के अनुरूप घरेलू नियमों और विनियमों को निरंतर आधार पर सीसीपी पर लागू किया गया है।

**5.1.7 समाशोधन सदस्य** सीसीपी के साथ लेनदेन के लिए पात्र किसी सीसीपी का एक सदस्य है, या एक प्रत्यक्ष सहभागी है, चाहे वह अपनी हेजिंग, निवेश या सट्टा प्रयोजनों के लिए सीसीपी के साथ ट्रेड में प्रवेश करें या किसी सीसीपी और अन्य बाजार सहभागी<sup>4</sup> के बीच वित्तीय मध्यस्थ के रूप में ट्रेड में प्रवेश करें।

**5.1.8 एक ग्राहक** या तो समाशोधन सदस्य के माध्यम से सीसीपी के साथ किसी लेनदेन के लिए एक वित्तीय मध्यस्थ है या एक समाशोधन सदस्य जो सीसीपी के लिए ग्राहक के प्रदर्शन की गारंटी देता हो।

**5.1.9 प्रारंभिक मार्जिन** का अर्थ है सीसीपी में अपने लेनदेन के मूल्य में भविष्य में संभावित परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली जोखिम को कम करने के लिए समाशोधन सदस्य या ग्राहक का सीसीपी के साथ वित्त पोषित अमानत। इन दिशानिर्देशों के प्रयोजनों के लिए, प्रारंभिक मार्जिन में पारस्परिक हानि साझा करने की व्यवस्था के लिए सीसीपी में योगदान शामिल नहीं है (अर्थात् यदि कोई सीसीपी हानी को समाशोधन सदस्यों के बीच साझा करने के लिए प्रारंभिक मार्जिन का उपयोग करता है, तो इसे डिफॉल्ट फंड एक्सपोजर के रूप में माना जाएगा)।

**5.1.10 विचरण मार्जिन** का अर्थ है लेनदेन की मूल्य परिवर्तनों पर आधारित दैनिक या आंतरदैनिक आधार पर सीसीपी में जमा समाशोधन सदस्य या ग्राहक का वित्त पोषित अमानत।

**5.1.11 ट्रेड एक्सपोजर** में ओटीसी डेरिवेटिव, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव लेनदेन या एसएफटी, के साथ-साथ प्रारंभिक मार्जिन से उत्पन्न सीसीपी को समाशोधन सदस्य या ग्राहक का वर्तमान<sup>5</sup> और भविष्य का संभावित एक्सपोजर है। इसमें सीसीपी के माध्यम से होने वाले नकद लेनदेन को भी शामिल किया जाता है।

---

<sup>4</sup> इन दिशा निर्देशों के-प्रयोजनों के लिए, जहां एक सीसीपी का दूसरे सीसीपी से लिंक है, तब दूसरे सीसीपी को पहले सीसीपी के समाशोधन सदस्य के रूप में माना जाएगा। पहले सीसीपी में दूसरे सीसीपी के साथ जमानती योगदान को प्रारंभिक मार्जिन या डिफॉल्ट निधि योगदान माना जाए या नहीं, यह सीसीपी के बीच विधिक व्यवस्था पर निर्भर करेगा। ऐसे मामलों में, यदि कोई हो, तो प्रारंभिक मार्जिन और डिफॉल्ट निधि योगदान के संबंध में व्यवहार का निर्धारण करने के लिए आरबीआई से परामर्श किया जाना चाहिए।

<sup>5</sup> इस परिभाषा के प्रयोजनों के लिए, समाशोधन सदस्य के वर्तमान जोखिम में समाशोधन सदस्य हेतु उत्पन्न वह भिन्नता मार्जिन भी शामिल है, जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

**5.1.12 डिफॉल्ट फंड**, जिसे समाशोधन जमा या गारंटी फंड योगदान (या किसी अन्य नाम) से भी जाना जाता है, जो सीसीपी की पारस्परिक हानि साझा करने की व्यवस्था की दिशा में समाशोधन सदस्यों के वित्त पोषित या वित्त रहित योगदान अथवा हमीदारी है। सीसीपी द्वारा अपनी पारस्परिक हानि साझा करने की व्यवस्था के लिए दिया गया विवरण डिफॉल्ट फंड के रूप में उनकी स्थिति का निर्धारक नहीं है; बल्कि, ऐसी व्यवस्थाओं का सार उनकी स्थिति को नियंत्रित करेगा।

**5.1.13 लेन-देन को ऑफसेट** करने का अर्थ है समाशोधन सदस्य द्वारा ग्राहक की ओर से कार्य करने की स्थिति में (उदाहरण के लिए जब कोई समाशोधन सदस्य ग्राहक के व्यापार को समाशोधित करता है या आरंभ करता है), समाशोधन सदस्य और सीसीपी के बीच ट्रेंज़ैक्शन लेगा।

## 5.2 आवेदन का क्षेत्र

- (i) ओटीसी डेरिवेटिव लेनदेन, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव लेनदेन, प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन (एसएफटी) और नकद लेनदेन के निपटान से उत्पन्न होने वाला केंद्रीय प्रतिपक्षों के लिए एक्सपोजर नीचे उल्लिखित पैराग्राफ में दिये गए प्रतिपक्ष क्रेडिट जोखिम व्यवस्था के अधीन होगा।
- (ii) जब द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत समाशोधन सदस्य द्वारा क्लाइंट लेग लेन-देन को आयोजित किया जाता है, तो क्लाइंट पीडी और समाशोधन सदस्य दोनों को लेन-देन को केपीटलाईज करना होगा।
- (iii) पूंजी पर्याप्तता ढांचे के उद्देश्य के लिए, सीसीपी को वित्तीय संस्थान माना जाएगा और सीसीपी की पूंजी में एक स्टैंडअलोन पीडी का निवेश अपने पूंजीगत धन के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन सभी लागू या समय-समय पर निर्धारित किसी अन्य सीमा तक कटौती की जा सकती है।
- (iv) पूंजीगत आवश्यकताएं सीसीपी की प्रकृति अर्थात् योग्यता वाले सीसीपी (क्यूसीसीपी) और गैर-योग्यता वाले सीसीपी पर निर्भर होंगी।
  - (a) इस बात से परे कि सीसीपी को क्यूसीसीपी के रूप में वर्गीकृत किया गया है या नहीं, एक स्टैंडअलोन पीडी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह यह सुनिश्चित करे कि वह अपने एक्सपोजर के लिए पर्याप्त पूंजी बनाए रखे। एक स्टैंडअलोन पीडी को यह विचार करना चाहिए कि क्या उसे निम्न उदाहरण स्थितियों में न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं से अधिक पूंजी धारित करने की आवश्यकता हो सकती है, (i) सीसीपी के साथ उसका कारोबार अधिक जोखिम भरा

एक्सपोजर उत्पन्न करे या (ii) ऐसी स्थिति में जहां पीडी के कारोबार के संदर्भ में, यह स्पष्ट नहीं है कि सीसीपी क्यूसीसीपी की परिभाषा को पूरा करेगा या नहीं।

- (b) आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, यदि आरबीआई सुझाव देता है, तो स्टैंडअलोन पीडी को क्यूसीसीपी के लिए अपने एक्सपोजर के लिए अतिरिक्त पूंजी रखने की आवश्यकता हो सकती है।
- (c) जहां स्टैंडअलोन पीडी समाशोधन सदस्य के रूप में कार्य कर रहा है, वहाँ पीडी को उचित परिदृश्य विश्लेषण और दबाव परीक्षण के माध्यम से आकलन करना चाहिए कि क्या सीसीपी के लिए धारित पूंजी का स्तर उन लेनदेन के अंतर्निहित जोखिमों को पर्याप्त रूप से दूर कर सकता है। इस आकलन में भविष्य के संभावित या आकस्मिक एक्सपोजर शामिल होंगे, जिसके परिणामस्वरूप डिफॉल्ट फंड प्रतिबद्धताओं पर भविष्य के आहरणों, और/या द्वितीयक प्रतिबद्धताओं से, यदि अनुमति दी जाती है, तो इस समाशोधन सदस्य के चूक करने या दिवालिया होने की स्थिति में किसी अन्य समाशोधन सदस्य के ग्राहकों से ऑफसेटिंग लेनदेन किया जा सके या प्रतिस्थापित किया जा सके।
- (d) एक स्टैंडअलोन पीडी को सीसीपी के माध्यम से व्यापार से उत्पन्न होने वाले एक्सपोजर और सीसीपी सदस्यता दायित्वों यथा डिफॉल्ट फंड योगदान जैसे एक्सपोजर सहित सीसीपी के सभी एक्सपोजर की निगरानी करनी चाहिए और इसकी नियमित आधार (जैसे तिमाही अथवा और कम समयान्तरालों पर) पर वरिष्ठ प्रबंधन और उचित समिति (जैसे जोखिम प्रबंधन समिति) को रिपोर्ट करनी चाहिए।
- (e) जब तक बैंक को अन्यथा आवश्यकता नहीं है, तब तक पूर्व क्यूसीसीपी के साथ व्यापार को पूंजीकृत किया जाता रहेगा, भले ही वे क्यूसीसीपी के रूप में अर्हता खोने की तारीख से अधिकतम तीन महीने की अवधि के लिए क्यूसीसीपी के साथ हैं। उस समय के बाद, इस तरह के केंद्रीय प्रतिपक्ष के साथ पीडी के एक्सपोजर को गैर-क्यूसीसीपी के लिए लागू नियमों के अनुसार पूंजीकृत किया जाना चाहिए।

### 5.3 अर्हताप्राप्त सीसीपीएस (क्यूसीसीपी) के लिए एक्सपोजर

#### (i) व्यापार एक्सपोजर

*क्यूसीसीपी के लिए समाशोधन सदस्य एक्सपोजर*

- a. जब किसी स्टैंडअलोन पीडी अपने उद्देश्यों के लिए क्यूसीसीपी के समाशोधन सदस्य के रूप में कार्य करता है, तो ऐसी स्थिति में 2% की जोखिम भारिता क्यूसीसीपी के लिए स्टैंडअलोन पीडी के व्यापार जोखिम पर लागू की जानी चाहिए।
- b. ओटीसी डेरिवेटिव लेनदेन, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव लेनदेन और एसएफटी के संबंध में व्यापार जोखिम के लिए एक्सपोजर राशि की गणना ऊपर पैराग्राफ 3.2 में दिये गए विवरण के अनुरूप वर्तमान एक्सपोजर विधि (सीईएम) और ऊपर पैराग्राफ 4 में निर्धारित रिपो/रिवर्स रिपो स्टाइल लेनदेन के लिए पूंजी पर्याप्तता के नियम से की जानी चाहिए।
- c. जहां डिफॉल्ट की स्थिति में निवल आधार पर निपटान कानूनी रूप से लागू की जा सकती है और चाहे प्रतिपक्ष परिसमापन और दिवालिया हो या ना हो, व्यापार जोखिम निर्धारण के लिए प्रासंगिक सभी अनुबंधों की कुल प्रतिस्थापन लागत एक शुद्ध प्रतिस्थापन लागत के रूप में गणना की जा सकती है; यदि लागू घटी कीमत पर बिक्री नेटिंग सेट इन निर्देशों के नीचे पैरा 5.5 में दिये दिशा निर्देशों-को पूरा करती है।
- d. स्टैंडअलोन पीडीएस को यह प्रदर्शित करना चाहिए कि क्यूसीसीपी के एक्सपोजर के नेटिंग की कानूनी निश्चितता के संबंध में स्वतंत्र और तर्कसंगत कानूनी राय प्राप्त करके दिशा-निर्देशों के पैराग्राफ में 5.5 उल्लिखित शर्तों को नियमित आधार पर पूरा किया जा सकता है। स्टैंडअलोन पीडी ऐसे क्यूसीसीपीज से उनका अंतिम निपटान, नेटिंग, अमानत व्यवस्था (मार्जिन व्यवस्था सहित); डिफॉल्ट प्रक्रियाएं आदि जैसी प्रमुख गतिविधियों की कानूनी निश्चितता पर क्यूसीसीपीज द्वारा ली गई कानूनी राय प्राप्त करेंगे।

### ग्राहकों में समाशोधन सदस्य का एक्सपोजर

समाशोधन सदस्य हमेशा द्विपक्षीय ट्रेडों में ग्राहकों में अपने जोखिम को पूंजीकृत करेंगे, चाहे समाशोधन सदस्य व्यापार की गारंटी देता है या ग्राहक और क्यूसीसीपी के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। हालांकि, समाशोधन लेनदेन हेतु कम क्लोज-आउट अवधि को पहचानने के लिए, समाशोधन सदस्य अपने ग्राहकों के एक्सपोजर में कम से कम 0.71 स्कैलर द्वारा डिफॉल्ट रूप से गुणा करके पूंजीकृत कर सकते हैं।

## समाशोधन सदस्य के लिए क्लाइंट पीडी एक्सपोजर

I. जहां कोई पीडी समाशोधन सदस्य का ग्राहक है, और एक वित्तीय मध्यस्थ के रूप में कार्य करने वाले समाशोधन सदस्य के साथ लेनदेन करता है (यानी समाशोधन सदस्य एक क्यूसीसीपी के साथ एक ऑफसेटिंग लेनदेन पूरा करता है), तो निम्नलिखित शर्तें पूरी करने की स्थिति में, समाशोधन सदस्य के लिए ग्राहक का एक्सपोजर इस खंड के पैराग्राफ "क्यूसीसीपी में समाशोधन सदस्य का एक्सपोजर" (ऊपर उल्लेख किया गया है) के अनुसार लागू होगा:

(a) ऑफसेटिंग लेनदेन की पहचान क्यूसीसीपी द्वारा ग्राहक लेनदेन के रूप में की जाती है और उन्हें लागू व्यवस्थाओं के अनुरूप समर्थन करने के लिए अमानत का धारण क्यूसीसीपी और या/समाशोधन सदस्य द्वारा किया जाता है, जो ग्राहक को निम्नलिखित हानि से बचाया जाता है:

- i. समाशोधन सदस्य की चूक या परिसमापन;
- ii. समाशोधन सदस्य के अन्य ग्राहकों की चूक या परिसमापन; और
- iii. समाशोधन सदस्य और उसके किसी अन्य ग्राहक का संयुक्त चूक या परिसमापन।

ग्राहक पीडी को एक स्वतंत्र, लिखित और तर्कसंगत विधिक राय प्राप्त करनी चाहिए जो यह सुनिश्चित करे कि, विधिक चुनौती की स्थिति में, संबंधित अदालतों और प्रशासनिक अधिकारियों को यह पता चले कि ग्राहक निम्नलिखित सहित संबंधित विधि के अंतर्गत मध्यस्थ के दिवालियेपन के कारण कोई नुकसान नहीं अदा करेगा:

- क्लाइंट पीडी, समाशोधन सदस्य और क्यूसीसीपी पर लागू कानून;
- विदेशों के क्षेत्राधिकार का कानून जिसमें ग्राहक पीडी, समाशोधन सदस्य या क्यूसीसीपी स्थित हैं
- व्यक्तिगत लेनदेन और अमानत को नियंत्रित करने वाला कानून; और
- शर्त (a) को पूरा करने के लिए आवश्यक किसी भी समझौते या अनुबंध को नियंत्रित करने वाला कानून

(b) प्रासंगिक कानूनों, विनियमों, नियमों, संविदात्मक, या प्रशासनिक व्यवस्थाओं में यह प्रावधान है कि चूक या दिवालिया समाशोधन सदस्य के साथ ऑफसेट लेनदेन को क्यूसीसीपी के माध्यम से या क्यूसीसीपी द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से लेनदेन जारी रखने की संभावना है, यदि समाशोधन सदस्य को डिफॉल्ट या दिवालिया हो। ऐसी परिस्थितियों में, यदि ग्राहक बाजार मूल्य पर वर्तमान धारिता को बंद करने का अनुरोध नहीं करता है, तो क्यूसीसीपी के साथ ग्राहक की धारिता और अमानत को बाजार मूल्य पर स्थानांतरित किया जाएगा। इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि

प्रासंगिक कानून, विनियम, नियम, संविदात्मक या प्रशासनिक समझौतों में यह प्रावधान है कि कारोबार को स्थानांतरित किये जाने की अत्यधिक संभावना है, तो इस शर्त को पूरा करने पर विचार किया जा सकता है। यदि क्यूसीसीपी में लेनदेन के लिए एक स्पष्ट उदाहरण है और प्रतिभागियों को इस प्रैक्टिस को जारी रखने का मत है, तो यह आकलन करते समय इन कारकों पर विचार किया जाना चाहिए, कि कारोबार के अत्यधिक पोर्ट होने की संभावना है। यह तथ्य कि क्यूसीसीपी प्रलेखन क्लॉक ट्रेडों को पोर्ट होने से प्रतिबंधित नहीं करता है, यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है कि उन्हें पोर्ट किए जाने की बहुत अधिक संभावना है। इस पैराग्राफ में उल्लिखित जैसे अन्य प्रमाण इस दावे के लिए आवश्यक है।

II. जहां एक ग्राहक को इस मामले में नुकसान से सुरक्षित नहीं किया जाता है कि समाशोधन सदस्य और समाशोधन सदस्य का एक अन्य ग्राहक संयुक्त रूप से डिफॉल्ट हो जाता है या संयुक्त रूप से दिवालिया हो जाता है, लेकिन ऊपर उल्लिखित अन्य सभी शर्तों को पूरा किया जाता है और संबंधित सीसीपी एक क्यूसीसीपी है, तो समाशोधन सदस्य के लिए ग्राहक पर 4% की जोखिम भारिता लागू होगी।

III. जहां ग्राहक पीडी उपरोक्त पैराग्राफ में वर्णित आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, तो पीडी को द्विपक्षीय व्यापार के रूप में समाशोधन सदस्य के लिए अपने एक्सपोजर को केपीटलाइज करने की आवश्यकता है।

IV. यदि एक ग्राहक के रूप में एक स्टैंडअलोन पीडी अपने प्रदर्शन की गारंटी देने वाले समाशोधन सदस्य के साथ क्यूसीसीपी के साथ लेनदेन में प्रवेश करता है, तो क्लॉक पीडी के लिए पूंजीगत आवश्यकताओं की गणना इसप्रकार की जानी चाहिए जैसे कि ग्राहक पीडी ने समाशोधन सदस्य के साथ द्विपक्षीय अनुबंध किया है।

### **जमा अमानत की व्यवस्था**

(क) सभी मामलों में, किसी भी जमा आस्ति या अमानत के लिए, पीडी के दृष्टिकोण से इस तरह के जमा अमानत, पर वैसे ही जोखिम भारिता लगाई जाएगी, जैसे कि पूंजी पर्याप्तता ढांचे के तहत ऐसी आस्ति या अमानत पर लागू होती है; और इस तथ्य से परे कि ऐसी आस्ति अमानत के रूप में जमा है। जहां किसी समाशोधन सदस्य या ग्राहक की आस्ति या अमानत किसी क्यूसीसीपी या समाशोधन सदस्य के पास रखी जाती है और इसे रिमोट तरीके से दिवालियापन में नहीं रखा गया है, तो ऐसी आस्तियों या अमानत को रखने वाले पीडी को ऐसी आस्तियों या अमानत रखने वाली इकाई<sup>6</sup> की साख के आधार पर ऐसी आस्तियों या अमानत के हानि जोखिम के आधार पर क्रेडिट जोखिम को मान्यता देनी चाहिए।

(ख) समाशोधन सदस्य द्वारा रखी गई, (अमानत नकद, प्रतिभूतियों, अन्य गिरवी आस्तियों, और अतिरिक्त प्रारंभिक या भिन्नता मार्जिन, जिसे अति अमानतीकरण भी कहा जाता है, सहित) जो एक संरक्षक द्वारा धारित की जाती गई है और क्यूसीसीपी से दिवालियापन

<sup>6</sup> जहां ऐसी आस्तियां या अमानत वाली इकाई क्यूसीसीपी है, व्यापार एक्सपोजर की परिभाषा में शामिल अमानत पर 2% का जोखिम-भारिता लागू होती है। क्यूसीसीपी की प्रासंगिक जोखिम-भारिता अन्य उद्देश्यों के लिए जमा आस्तियों या अमानत पर लागू होगी।



रिमोट है, ऐसे दिवालियापन रिमोट कस्टोडियन<sup>7</sup> के लिए प्रतिपक्ष क्रेडिट जोखिम एक्सपोजर के लिए पूंजीगत की आवश्यकता नहीं है।

- (ग) किसी ग्राहक द्वारा दर्ज की गई अमानत, जो एक संरक्षक द्वारा रखी जाती है, और क्यूसीसीपी, समाशोधन सदस्य एवं अन्य ग्राहकों से दूरस्थ दिवालियापन है, तो प्रतिपक्ष को क्रेडिट जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता नहीं है। यदि अमानत एक ग्राहक की ओर से क्यूसीसीपी में रखा जाता है और दूरस्थ दिवालियापन के आधार पर धारण नहीं की जाती है, तो इस खंड के पैरा "समाशोधन सदस्यों के लिए ग्राहक पीडी का एक्सपोजर" में स्थापित शर्तों (ऊपर उल्लेख किया गया है) को पुरा करने की स्थिति में 2% जोखिम भारिता अमानत के लिए लागू की जाएगी। यदि किसी समाशोधन सदस्य और समाशोधन सदस्य का अन्य ग्राहक संयुक्त रूप से चूक करने या संयुक्त रूप से दिवालिया हो जाने की स्थिति में हानि से सुरक्षित नहीं किया जाता है तो इस खंड के पैरा "समाशोधन सदस्यों के लिए ग्राहक पीडी का एक्सपोजर" में उल्लिखित अन्य सभी शर्तों (ऊपर उल्लेख किया गया है) को पुरा करने की स्थिति में 4% की जोखिम भारिता लागू की जाएगी।
- (घ) यदि कोई समाशोधन सदस्य ग्राहक द्वारा स्वीकृत ट्रेडों के लिए किसी ग्राहक से अमानत एकत्र करता है और यह अमानत क्यूसीसीपी को दी जाती है, तो समाशोधन सदस्य क्यूसीसीपी - स्वीकृति देने वाला सदस्य लेग और स्वीकृति देने वाला सदस्य - ग्राहक द्वारा स्वीकृत ट्रेडों के ग्राहक लेग दोनों के लिए इस अमानत की गणना कर सकता है। इसलिए, ग्राहकों द्वारा समाशोधन सदस्य दर्ज को प्रारंभिक मार्जिन(आईएम) इन ग्राहकों में निहित समाशोधन सदस्यों के जोखिम को कम करता है।

## (ii) क्यूसीसीपी के लिए डिफॉल्ट फंड एक्सपोजर

- (क) जहां कोई डिफॉल्ट फंड केवल निपटान जोखिम के साथ उत्पादों या व्यापार के प्रकारों के बीच साझा किया जाता है (जैसे इक्विटी और बांड) और उत्पादों या व्यापार के प्रकार जो प्रतिपक्ष क्रेडिट जोखिम यानी, ओटीसी डेरिवेटिव, विनिमय कारोबार डेरिवेटिव या एसएफ़टी को उत्पन्न करते हैं, सभी डिफॉल्ट फंड योगदान विभिन्न वर्गों या व्यापार या उत्पादों के प्रकार में विभाजित किए बिना नीचे निर्धारित फार्मूले और कार्यप्रणाली के अनुसार निर्धारित जोखिम भार के अधीन रहेंगे।
- (ख) हालांकि, जहां समाशोधन सदस्यों से डिफॉल्ट फंड योगदान उत्पाद के प्रकारों द्वारा अलग किए जाते हैं और केवल विशिष्ट उत्पाद प्रकारों के लिए सुलभ होते हैं, उन डिफॉल्ट फंड एक्सपोजर के लिए पूंजीगत आवश्यकताओं को नीचे निर्धारित फार्मूले और कार्यप्रणाली के अनुसार निर्धारित किया जाता है, तो ऐसे में प्रतिपक्ष क्रेडिट जोखिम की संभावना देने वाले प्रत्येक विशिष्ट उत्पाद के लिए गणना की जानी चाहिए। यदि क्यूसीसीपी के पूर्ववित्त

<sup>7</sup> इस पैराग्राफ के, "संरक्षक", शब्द में एक ट्रस्टी, एजेंट, गिरवीदार, सुरक्षित लेनदार या कोई अन्य ऐसा व्यक्ति शामिल हो सकता है जो संपत्ति को इस तरह से रखता है जो उसे ऐसी संपत्ति से लाभकारी ब्याज नहीं देता है और इसके परिणामस्वरूप ऐसी संपत्ति ऐसे व्यक्तियों, लेनदारों, या अदालत द्वारा वापसी के लिए विधिक रूप से लागू करने दावों के अधीन नहीं होगी, भले ही ऐसा व्यक्ति इनसोल्वेंट या दिवालिया हो जाएं।

पोषित स्वयं के संसाधनों को उत्पाद प्रकारों के बीच साझा किया जाता है, तो क्यूसीसीपी को संबंधित उत्पाद विशिष्ट एक्सपोजर यानी डिफॉल्ट एक्सपोजर के अनुपात में प्रत्येक गणना के लिए उन निधियों का आंबटन करना होगा।

(ग) समाशोधन सदस्य पीडी को निम्नलिखित फॉर्मूले को लागू करके डिफॉल्ट फंड योगदान से उत्पन्न होने वाले योग्यता प्राप्त सीसीपी में एक्सपोजर को केपीटलाईज करने की आवश्यकता होती है :

समाशोधन सदस्य पीडी को योग्यता प्राप्त सीसीपी के लिए अपने डिफॉल्ट फंड एक्सपोजर के 1111% कीजोखिम भारिता लागू करनी होगी, जो क्यूसीसीपी के ट्रेड एक्सपोजर के 20% के बराबर क्यूसीसीपी (यानी ट्रेड एक्सपोजर सहित) के लिए अपने सभी एक्सपोजर से जोखिम-भारित आस्तियों पर कुल सीमा के अधीन होगी विशेष रूप से, पीडी के व्यापार और प्रत्येक क्यूसीसीपी के लिए डिफॉल्ट फंड एक्सपोजर दोनों के लिए जोखिम भारित आस्ति (आरडब्ल्यूए) बराबर<sup>8</sup> हैं:

$$\text{Min} \{(2\% * TEi + 1111\% * DFi); (20\% * TEi)\}$$

जहां;

-TEi PD का QCCP के साथ व्यापार एक्सपोजर है; और

-DFi PD का QCCP डिफॉल्ट फंड के साथ पूर्व-वित्त पोषित योगदान है।

#### 5.4 गैर योग्यता सीसीपी के लिए एक्सपोजर

(क) पीडी को गैर-योग्यता सीसीपी<sup>8</sup> के व्यापार एक्सपोजर के लिए प्रतिपक्ष की श्रेणी के अनुसार क्रेडिट जोखिम हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण लागू करना होगा।

(ख) पीडी को गैर योग्यता सीसीपी के डिफॉल्ट निधि योगदान के लिए 1111% की जोखिम भारिता लागू करनी होगी।

(ग) इस पैराग्राफ के प्रयोजनों के लिए, सीसीपी की आवश्यकता होने पर, पीडी वित्त पोषित और गैर-वित्त पोषित योगदान दोनों सहित डिफॉल्ट निधि योगदान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। वित्त रहित योगदान (अर्थात असीमित बाध्यकारी प्रतिबद्धताएं) दायित्व के लिए बैंक 1111% जोखिम भारिता के साथ वित्त रहित प्रतिबद्धताओं की राशि निर्धारित करेगा।

#### 5.5 घटी कीमतों पर निवल राशि में निवल प्रतिस्थापन मूल्य की पहचान के लिए आवश्यकताएं

##### A. रिपो शैली के लेनदेन के लिए

<sup>8</sup>व्यापार एक्सपोजर पर 2% जोखिम भारिता अतिरिक्त रूप से लागू नहीं होती है, क्योंकि वह इस समीकरण में शामिल है।

रिपो-स्टाइल लेनदेन को शामिल करने वाले द्विपक्षीय निवल समझौतों के प्रभाव को प्रतिपक्ष-दर-प्रतिपक्ष आधार पर मान्यता दी जाएगी, यदि समझौते डिफॉल्ट की स्थिति में प्रत्येक प्रासंगिक क्षेत्राधिकार में कानूनी रूप से लागू किए जा सकते हैं और चाहे प्रतिपक्ष परिसमापन और दिवालिया हो। इसके अलावा, निवल समझौतों को निम्नलिखित चाहिए:

(क) गैर-चूककर्ता पार्टी को प्रतिपक्ष के परिसमापन या दिवालिया सहित डिफॉल्ट की स्थिति में समझौते के अनुसार सभी लेनदेन को समाप्त करने और कम कीमत में बेचने का अधिकार प्रदान करें,

(ख) इसके तहत समाप्त और कम कीमत में बेचे गए लेनदेन (किसी भी अमानत के मूल्य सहित) पर लाभ और हानि के निवल सुविधा प्रदान करें ताकि एक ही निवल राशि दूसरे के लिए एक पार्टी द्वारा बकाया है;

(ग) डिफॉल्ट की स्थिति में अमानत के त्वरित परिसमापन या समंजन के लिए अनुमति दें; और

(ङ) ऊपर (क) से (ग) में आवश्यक प्रावधानों से उत्पन्न होने वाले अधिकारों को डिफॉल्ट की स्थिति में, प्रत्येक प्रासंगिक क्षेत्राधिकार में कानूनी रूप से लागू किए जा सकते हैं चाहे प्रतिपक्ष परिसमापन या दिवालिया हो।

## **B. डेरिवेटिव लेनदेन के लिए**

(क) पीडी ऐसे नोवेशन के अधीन लेनदेन को निवल कर सकता है, जिसके अंतर्गत पीडी और उसके समकक्ष के बीच किसी मूल्य तिथि पर लागू कोई भी चलन दायित्व स्वचालित रूप से उसी चलन और मूल्य तिथि के अन्य सभी दायित्वों के साथ समामेलित हो जाता है, जो पिछले सकल दायित्वों के लिए कानूनी रूप से एक ही राशि का प्रतिस्थापन करता है।

(ख) पीडी कानूनी रूप से वैध द्विपक्षीय निवल ऐसे नोवेशन के अन्य रूपों के अधीन निवल कर सकता है, जिन्हें (क) में शामिल नहीं किया गया है।

(ग) (क) और (ख), दोनों मामलों में किसी पीडी को यह संतुष्ट करने की आवश्यकता होगी कि:

(i) किसी निवल अनुबंध या प्रतिपक्ष के साथ समझौता एकल कानूनी दायित्व होता है, जिसमें सभी शामिल लेनदेन होते हैं, जैसे कि पीडी के पास या तो प्राप्त करने का दावा होगा या दायित्व होगा कि वह निम्नलिखित डिफॉल्ट, दिवालियापन, परिसमापन या इसी तरह की परिस्थितियों में प्रतिपक्ष के विफल होने की स्थिति में किसी भी व्यक्तिगत लेनदेन में शामिल धनात्मक और ऋणात्मक मार्क टू मार्केट मूल्यों का केवल निवल राशि का भुगतान करे;

(ii) लिखित और तर्कसंगत विधिक परामर्श है कि, विधिक चुनौती की स्थिति में, प्रासंगिक अदालतों और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पीडी के एक्सपोजर के लिए निवल राशि निम्नलिखित के आधार पर प्राप्त किया जाएगा :

- उस क्षेत्राधिकार के विधि द्वारा जहां प्रतिपक्षकार प्राधिकृत किया गया है और, यदि विदेशी शाखा का कोई प्रतिपक्षकार शामिल है, तो भी शाखा से जुड़े क्षेत्राधिकार के विधि द्वारा;
- व्यक्तिगत लेनदेन को संचालित करने वाली विधि; और
- समायोजन को प्रभावित के लिए आवश्यक किसी भी अनुबंध या समझौते को संचालित करने वाली विधि।

(iii) यह सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाएं लागू की गई हैं कि संबंधित कानून में संभावित परिवर्तनों के आलोक में निवल व्यवस्थाओं की विधिक विशेषताओं की समीक्षा की जा रही है।

(घ) वॉकअवे खंड वाले अनुबंध इन दिशा-निर्देशों के तहत पूंजीगत आवश्यकताओं की गणना के उद्देश्य के लिए निवल प्रक्रिया के लिए पात्र नहीं होंगे। वॉकअवे खंड एक प्रावधान है जो एक गैर-चूककर्ता प्रतिपक्ष को किसी डिफॉल्टर की संपदा के लिए केवल सीमित भुगतान या कोई भुगतान नहीं करने की अनुमति देता है, भले ही डिफॉल्टर निवल लेनदार हो।

## 6. विदेशी मुद्रा (एफ़ई) अनुबंध (यदि अनुमति दी जाती है)

ब्याज दर अनुबंधों की तरह, बकाया अनुबंधों को पहले नीचे दिखाए गए रूपांतरण कारक से गुणा किया जाना चाहिए:

बाजार से संबंधित तुलन पत्रेतर मदों की अवशिष्ट परिपक्वता के लिए सीसीएफ़	सीसीएफ़ (%)
<b>विनिमय दर अनुबंध</b>	
एक वर्ष अथवा उससे कम	2.00
एक वर्ष से पाँच वर्ष तक	10.00
पाँच वर्ष से अधिक	15.00

इसके बाद ऊपर निर्दिष्ट प्रासंगिक प्रतिपक्ष को प्रदत्त भारिता से गुणा करना होगा। 14 कैलेंडर दिनों या उससे कम की मूल परिपक्वता वाली विदेशी मुद्रा अनुबंधों को प्रतिपक्ष, अंतरराष्ट्रीय रीति के अनुसार “शून्य” जोखिम भार सौंपा जाएगा।

## 7. कॉर्पोरेट बांड के लिए एकल नामे क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप (सीडीएस)

सीडीएस से संबंधित लेनदेन पर स्टैंडअलोन पीडी दिनांक 30 नवंबर, 2011 का परिपत्र आईडीएमडी.पीसीडी.नं.2301/14.03.04/2011-12 और उसके समय-समय पर यथासंशोधन के माध्यम से जारी पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।

## बाजार जोखिम का मापन

बाजार जोखिम को बाजार की कीमतों या किसी लेनदेन या समझौते में निर्धारित दरों या कीमतों में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले नुकसान के जोखिम के रूप में परिभाषित किया जाता है। बाजार जोखिम के लिए पूंजी पर्याप्तता शुरू करने का उद्देश्य पीडीज के पोर्टफोलियो में उजागर मूल्य जोखिम के लिए स्पष्ट पूंजी सुरक्षा प्रदान करना है।

2. बाजार जोखिमों के लिए पूंजीगत प्रभार मानकीकृत दृष्टिकोण और आंतरिक जोखिम प्रबंधन ढांचे आधारित वैल्यू एट रिस्क (वीएआर) मॉडल द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। बाजार जोखिम के लिए पीडीज द्वारा प्रदान किया जाने वाला पूंजीगत प्रभार इन दो आवश्यकताओं में से अधिक वाला होगा। हालांकि, जहां विशिष्ट श्रेणी की आस्तियों के लिए मूल्य का डेटा उपलब्ध नहीं है, वहां पीडीज बाजार जोखिम की गणना के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण का पालन करेंगे। ऐसी स्थिति में, पीडीज को आरबीआई को, ऐसी आस्तियों के विवरण का खुलासा करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दृष्टिकोण की निरंतरता का पालन किया जाए। बाजार जोखिम की गणना के लिए किसी भी श्रेणी की आस्ति को छोड़ने/बाहर रखने से पहले पीडीज को आरबीआई की अनुमति लेनी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए पीडीज सामान्य रूप से सावधि जमा, वाणिज्यिक बिलों आदि की प्रकृति वाले लिखतों पर विचार करेंगे। ऐसी वस्तुओं को परिपक्वता तक बही पुस्तकों में रखा जाएगा और मूल्य में किसी भी कमी को प्रावधानित किया जाएगा।

**नोट:** अंडरराइटिंग प्रतिबद्धताओं के मामले में, निम्नलिखित का पालन किया जाना चाहिए:

ए. जी-सेक अंडरराइटिंग प्रतिबद्धता के अंतरण के मामले में, न्यागत राशि का 100% बाजार जोखिम के मापन के लिए लागू होगा।

बी. मर्चेन्ट बैंकिंग(जी-सेक के अलावा) के तहत अंडरराइटिंग के मामले में, जहां अंडरराइटिंग के समय कीमत प्रतिबद्ध/निश्चित की गई है, प्रतिबद्धता को आकस्मिक देयता के रूप में माना जाना चाहिए और प्रतिबद्धता का 50% बाजार जोखिम के लिए शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि, न्यागत स्थिति में 100% बाजार जोखिम के लिए शामिल किया जाना चाहिए।

3. पोर्टफोलियो पर बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार रखने के लिए कार्यप्रणाली नीचे प्रस्तुत है:

### A. मानकीकृत दृष्टिकोण

जोखिम पूंजी प्रभार नीचे पारा A1-A3 में अभिव्यक्त अंकगणितीय योग होगा।

#### A1. निश्चित आय लिखतों के लिए

अवधि विधि पहले की तरह लागू रहेगा। इसके अंतर्गत सभी ब्याज दर स्थितियों जैसे दिनांकित प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, पीएसयू/एफआई/कॉर्पोरेट बांड, विशेष बांड, म्यूचुअल

फंड इकाइयों और आईआरएस, एफआरए, आईआरएफ आदि जैसे व्युत्पन्न लिखतों की मूल्य संवेदनशीलता को शामिल किया जाएगा।

अवधि विधि में, पूंजी प्रभार चार घटकों का योग है अर्थात्:

- क) पूरी ट्रेडिंग बही पुस्तिका में निवल अधिविक्रीत या अधिक्रय की स्थिति;
- ख) प्रत्येक समय-बैंड में मिलन स्थितियों का छोटा अनुपात ("वर्टिकल डिसएलौवेंस");
- ग) विभिन्न समय-बैंड ("हॉरिजॉन्टल डिसएलौवेंस") में मिलन की स्थिति का एक बड़ा हिस्सा; और
- घ) विकल्पों में पदों के लिए एक निवल प्रभार, जहां उचित हो।

**नोट 1:** चूंकि भारत में अधिविक्रीत स्थिति को केवल डेरिवेटिव और जी-सेक में अनुमति दी जाती है, इसलिए ऊपर (क) में इंगित निवल प्रक्रिया और (ख) और (ग) में इंगित 'डिसएलौवेंस' की प्रणाली वर्तमान में केवल एफआरए/आईआरएसएस/एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव और जी-सेक में सम्मिलित पीडीज़ पर लागू होती है।

हालांकि, अवधि विधि के तहत, आवश्यक क्षमता वाले पीडीज़, आरबीआई की अनुमति से प्रत्येक स्थिति की मूल्य संवेदनशीलता की गणना करके अलग से अपने सभी सामान्य बाजार जोखिमों को मापने के लिए और अधिक सटीक तरीके का प्रयोग कर सकते हैं। पीडीज़ को निरंतर आधार पर विधि का चयन और उपयोग करना चाहिए और अपनाई गई प्रणाली आरबीआई द्वारा निगरानी के अधीन हैं। इस विधि की प्रक्रिया निम्नानुसार है:

- (i) सबसे पहले लिखत की अवधि के आधार पर 0.6 और 1.0 प्रतिशत अंकों के बीच ब्याज दरों में परिवर्तन के संदर्भ में सभी लिखतों की मूल्य संवेदनशीलता की गणना करें (नीचे दिए गए तालिका 1 के अनुसार);
- (ii) तालिका 1 में निर्धारित तेरह समय-बैंड के साथ अवधि-आधारित सीढ़ी में परिणामी संवेदनशीलता उपायों का निर्धारण करें;
- (iii) आधार जोखिम को पहचानने के लिए डिज़ाइन किए गए वेर्टिकल डिसएलौवेंस की दिशा में प्रत्येक समय-बैंड में अधिक्रय और अधिविक्रीत स्थितियों के निचले स्तर के अधीन 5% पूंजी प्रभार दें;
- (iv) तालिका 2 में निर्धारित डिसएलौवेंस के अधीन क्षेत्रों में हॉरिजॉन्टल डिसएलौवेंस ऑफसेटिंग के लिए प्रत्येक समय-बैंड में निवल स्थितियों को आगे लाएं।

**नोट 2:** ऊपर दिए गए क्रमांक (iii) और (iv) केवल वहीं लागू होते हैं जहां ऊपर दिए गए नोट 1 में स्पष्ट की गई विपरीत स्थितियां मौजूद हैं।

तालिका 1	
अवधि समय-बैंड और प्राप्ति (%) में अनुमानित परिवर्तन	
<b>ज़ोन 1</b>	
0 से 1 माह	1.00

1 से 3 माह	1.00
3 से 6 माह	1.00
6 से 12 माह	1.00
<b>ज़ोन 2</b>	
1 से 2 वर्ष	0.95
2 से 3 वर्ष	0.90
3 से 4 वर्ष	0.85
<b>ज़ोन 3</b>	
4 से 5 वर्ष	0.85
5 से 7 वर्ष	0.80
7 से 10 वर्ष	0.75
10 से 15 वर्ष	0.70
15 से 20 वर्ष	0.65
20 वर्ष से अधिक	0.60

तालिका 2				
हॉरिजॉन्टल अभत्ता				
ज़ोन	काल- अवधि	ज़ोन के भीतर	संलग्न ज़ोन के बीच	ज़ोन 1 और 3 के बीच
ज़ोन 1	0 - माह	40%	40%	100%
	1 - 3 माह			
	3 - 6 माह			
	6 - 12 माह			



ज़ोन 2	1 - 2 वर्ष	30%		
	2 - 3 वर्ष			
	3 - 4 वर्ष			
ज़ोन 3	4 - 5 वर्ष	30%		
	5 - 7 वर्ष			
	7 - 10 वर्ष			
	10 - 15 वर्ष			
	15 - 20 वर्ष			
	20 वर्ष से अधिक			

प्रत्येक समय बैंड में सकल स्थितियां कोई और ऑफसेट के बिना तालिका 1 में निर्धारित प्राप्ति में अनुमानित परिवर्तन के अनुसार जोखिम भारिता के अधीन होंगी

#### **A1.1 ब्याज दर डेरिवेटिव के लिए पूंजीगत प्रभार**

मापन प्रणाली में ट्रेडिंग पुस्तिका में ऐसे सभी ब्याज दर डेरिवेटिव और तुलन पत्रेतर लिखत शामिल होंगे जो ब्याज दरों (जैसे एफ़आरए, अन्य वायदा अनुबंध, बांड वायदा, ब्याज दर स्थिति) में परिवर्तन पर प्रभावित होते हैं।

#### **A1.2 स्थितियों की गणना**

डेरिवेटिव को संबंधित अंतर्निहित स्थितियों में परिवर्तित किया जाएगा और ऊपर वर्णित बाजार जोखिम प्रभार के अधीन किया जाएगा। ऊपर वर्णित मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार बाजार जोखिम की गणना करने के लिए, रिपोर्ट की गई राशि अंतर्निहित या काल्पनिक अंतर्निहित की मूल राशि का बाजार मूल्य होना चाहिए।

#### **A1.3 फ्यूचर्स और वायदा अनुबंध (एफ़आरए सहित)**

इन लिखतों को एक काल्पनिक सरकारी प्रतिभूति में अधिक्रय और अधिविक्रय की स्थिति के संयोजन के रूप में माना जाएगा। फ्यूचर्स अनुबंध या एफ़आरए की परिपक्वता अनुबंध के वितरण या संपादित होने तक की अवधि और - जहां लागू हो - अंतर्निहित साधन की अवधि होगी। उदाहरण के लिए, अप्रैल में लिए गए जून तीन महीने के आईआरएफ में अधिक्रय की स्थिति को पांच महीने की परिपक्वता के साथ सरकारी प्रतिभूति में अधिक्रय की स्थिति और दो महीने की परिपक्वता के साथ सरकारी प्रतिभूति में अधिविक्रय की स्थिति के रूप में सूचित किया जाएगा। जहां अनुबंध को पूरा करने के लिए डिलिवरेबल साधनों की एक श्रृंखला

वितरित की जा सकती है, पीडी को एक्सचेंज द्वारा परिभाषित किसी भी रूपांतरण कारक को ध्यान में रखते हुए यह चुनने के लिए लचीलापन है कि कौनसी डिलिवरेबल प्रतिभूति किस परिपक्वता या अवधि क्रम में आती है। एक कॉर्पोरेट बांड सूचकांक पर फ्यूचर्स के मामले में, प्रतिभूतियों के काल्पनिक अंतर्निहित पोर्टफोलियो के बाजार मूल्य की स्थितियों को शामिल किया जाएगा।

#### A1.4 स्वैप

स्वैप प्रासंगिक परिपक्वताओं के साथ जी-सेक में दो काल्पनिक स्थितियों के रूप में माना जाएगा। उदाहरण के लिए, ऐसे आईआरएस जिसके अंतर्गत कोई पीडी फ्लोटिंग दर से ब्याज प्राप्त कर रहा है और नियत दर पर भुगतान कर रहा है तो अगले ब्याज दर निर्धारण की अवधि के बराबर परिपक्वता के किसी फ्लोटिंग दर लिखत में अधिक्रय स्थिति और स्वैप के अवशिष्ट अवधि के बराबर परिपक्वता के निश्चित दर लिखत में अधिविक्रय स्थिति के रूप में माना जाएगा। किसी ऐसे स्वैप के लिए जो किसी अन्य संदर्भ मूल्य उदाहरण के लिए किसी स्टॉक इंडेक्स के बदले में किसी नियत या फ्लोटिंग ब्याज दर का भुगतान या प्राप्त करते हैं, तो इक्विटी घटक को इक्विटी फ्रेमवर्क में शामिल किये जाने के कारण ब्याज दर घटक को उचित पुनः मूल्य निर्धारण परिपक्वता श्रेणी में निश्चित किया जाना चाहिए।

#### A1.5 पूंजी प्रभार की गणना

**मिलन की स्थिति की स्वीकार्य ऑफसेटिंग** - पीडी बिल्कुल समान जारीकर्ता, कूपन और परिपक्वता के साथ समरूप लिखतों (अधिक्रय और अधिविक्रय स्थिति, वास्तविक और काल्पनिक दोनों) में ब्याज दर परिपक्वता ढांचे से पूरी तरह बाहर रह सकते हैं। फ्यूचर या वायदा और इसके संबंधित अंतर्निहित में एक मिलन की स्थिति को भी पूरी तरह से ऑफसेट किया जा सकता है और इस प्रकार गणना से बाहर रखा गया है। जब फ्यूचर या वायदा डिलिवरेबल लिखतों की एक श्रृंखला शामिल होती है, फ्यूचर या वायदा अनुबंध और इसके संबंधित अंतर्निहित में स्थितियों की ऑफसेटिंग केवल ऐसे मामलों में अनुमति है, जहां एक आसानी से पहचाने जाने योग्य अंतर्निहित प्रतिभूति है, जो अधिविक्रय की स्थिति के साथ ट्रेडर के लिए सबसे अधिक लाभदायक है। हालांकि, फ्यूचर की समाप्ति के समय का प्रतिनिधित्व करने वाले लेग को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ऐसे मामलों में इस प्रतिभूति की कीमत, जिसे कभी-कभी "चिपेस्ट टू डेलिवर" कहा जाता है, फ्यूचर या वायदा अनुबंध की कीमत निकट संरेखण में स्थानांतरित होनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, कुछ परिस्थितियों में एक ही श्रेणी के लिखतों की विपरीत स्थितियों में मिलन के रूप में माना जा सकता है और पूरी तरह से ऑफसेट करने की अनुमति दी जा सकती है। इस प्रक्रिया हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए स्थितियों को एक ही अंतर्निहित लिखतों से संबंधित होना चाहिए और एक ही नाममात्र मूल्य का होना चाहिए। इसके अतिरिक्त:

- (i) **फ्यूचर्स के लिए** : फ्यूचर्स अनुबंध से संबंधित काल्पनिक या अंतर्निहित लिखतों में ऑफसेट स्थितियों को समान उत्पादों के लिए होना चाहिए और एक दूसरे के सात दिनों के भीतर परिपक्व होना चाहिए;
- (ii) **स्वैप और एफआरए के लिए**: संदर्भ दर (फ्लोटिंग रेट पोजिशन के लिए) समान होनी चाहिए और कूपन लगभग मिलन की हो (अर्थात 15 आधार अंकों के भीतर); और

(iii) **स्वैप, एफ़आरए और आगे के लिए** : अगले ब्याज निर्धारण की तारीख या, निश्चित कूपन स्थितियों या वायदों के लिए, अवशिष्ट परिपक्वता निम्नलिखित सीमाओं के अनुरूप होनी चाहिए:

- अब से एक महीने से कम समय : उसी दिन;
- अब से एक महीने और एक वर्ष के बीच : सात दिनों के भीतर;
- अब से एक वर्ष से अधिक : तीस दिनों के भीतर।

स्वैप में बड़ी मात्रा में व्यवहार करने वाली पीडीज इन स्वैप को अवधि सीढ़ी में शामिल करने हेतु स्थितियों की गणना के लिए वैकल्पिक फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं। एक विधि यह होगी कि पहले स्वैप द्वारा आवश्यक भुगतानों को उनके वर्तमान मूल्यों में परिवर्तित किया जाए। इस उद्देश्य के लिए, प्रत्येक भुगतान को शून्य कूपन प्राप्ति का उपयोग करके छूट दी जाएगी, और शून्य (या कम) कूपन बांड पर लागू होने वाली प्रक्रियाओं का उपयोग करके उचित समय-बैंड में दर्ज नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य का निवल मान प्राप्त करके; इन आंकड़ों को पहले निर्धारित सामान्य बाजार जोखिम ढांचे में स्थापित किया जाएगा। अवधि विधि में उपयोग की जाने वाली प्राप्ति में परिवर्तन से निहित निवल वर्तमान मूल्य की संवेदनशीलता की गणना करने की एक वैकल्पिक विधि हो सकती है और तालिका 1 में निर्धारित समय-बैंड में इन संवेदनशीलताओं को आवंटित करना होगा। इसी तरह के परिणाम देने वाले अन्य तरीकों का भी उपयोग किया जा सकता है। हालांकि, इस तरह के वैकल्पिक विधि को केवल तभी अनुमति दी जाएगी; जब:

- पर्यवेक्षी प्राधिकरण उपयोग किए जा रहे प्रणाली की सटीकता से पूरी तरह संतुष्ट है;
- गणना की गई स्थितियां ब्याज दर में परिवर्तन के लिए नकदी प्रवाह की संवेदनशीलता को पूरी तरह से प्रतिबिंबित करते हैं और उचित समय-बैंड में इन्हें रखा जाता है;

सामान्य बाजार जोखिम सभी व्युत्पन्न उत्पादों में स्थितियों पर उसी तरीके से लागू होता है, जैसा कि नकदी की स्थिति के लिए होता है, बशर्ते कि केवल उपरोक्त पैराग्राफ में परिभाषित समान लिखतों में पूरी तरह से या बहुत बारीकी से मिलन की गई स्थितियों के लिए छूट के अपवाद में हो। लिखतों की विभिन्न श्रेणियों को परिपक्वता सीढ़ी में स्थापित किया जाएगा और पहले पहचाने गए नियमों के अनुसार माना जाएगा।

## A2 इक्विटी में स्थिति<sup>9</sup> के लिए पूंजी प्रभार

### A2.1 इक्विटी में स्थिति

इस खंड में पीडी द्वारा इक्विटी में स्थिति धारण करने या लेने के जोखिम को कवर करने के लिए न्यूनतम पूंजी मानक निर्धारित किया गया है। यह इक्विटी की तरह बाजार व्यवहार का प्रदर्शन करने वाले, लेकिन गैर-परिवर्तनीय वरीयता शेयरों के लिए नहीं (जो ब्याज दर जोखिम आवश्यकताओं द्वारा कवर किया जाएगा) सभी लिखतों में अधिविक्रय और अधिक्रय स्थितियों पर लागू होता है। एक ही निर्गम में अधिविक्रय और अधिक्रय स्थितियों की सूचना निवल आधार पर दी जाएगी। इसमें शामिल लिखतों में इक्विटी की तरह व्यवहार करने वाले अर्थात् म्यूचुअल फंड्स की इकाइयां और इक्विटी खरीदने या बेचने की प्रतिबद्धता वाले इक्विटी

<sup>9</sup>"पीडी गतिविधियों के विविधीकरण" विषय पर दिनांक 4 जुलाई, 2006 के परिपत्र आईडीएमडी.पीडीआरएस.26/03.64.06-07 के अनुसार पीडी को केवल आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण का उपयोग करके इक्विटी और इक्विटी डेरिवेटिव पर बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना करने की अनुमति दी गई है।

शेयर, परिवर्तनीय प्रतिभूति शामिल हैं। निम्नलिखित खंडों में वर्णित इक्विटी/इंडेक्स डेरिवेटिव सहित इक्विटी या इक्विटी जैसी स्थिति को एक महीने से नीचे की अवधि क्रम में शामिल किया जाएगा।

## A2.2 इक्विटी डेरिवेटिव्स

इक्विटी कीमतों में बदलाव से प्रभावित इक्विटी डेरिवेटिव और तुलनपत्रेतर स्थितियों को मापन प्रणाली में शामिल किया जाना चाहिए। इसमें व्यक्तिगत इक्विटी और स्टॉक सूचकांकों दोनों पर फ्यूचर्स और स्वैप शामिल हैं। डेरिवेटिव्स को संबंधित अंतर्निहित की स्थितियों में परिवर्तित किया जाना चाहिए।

## A2.3 स्थितियों की गणना

क्रेडिट और बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार बाजार जोखिम की गणना करने के लिए, डेरिवेटिव में स्थितियों को काल्पनिक इक्विटी स्थितियों में परिवर्तित किया जाना चाहिए:

- फ्यूचर्स और व्यक्तिगत शेयरों से संबंधित आगे अनुबंध सैद्धांतिक रूप से वर्तमान बाजार की कीमतों पर सूचित किया जाना चाहिए;
- स्टॉक सूचकांकों से संबंधित फ्यूचर्स काल्पनिक अंतर्निहित इक्विटी पोर्टफोलियो के मार्केट टू मार्केट मूल्य के रूप में सूचित किया जाना चाहिए;
- इक्विटी स्वैप दो काल्पनिक स्थितियों के रूप में माना जाना चाहिए

## A3 विदेशी विनिमय के लिए पूंजी प्रभार (यदि स्वीकृति हो तो) स्थिति (एफई):

पीडी सामान्य रूप से FE लेनदेन में काम नहीं करेगा। हालांकि, चूंकि उन्हें निर्धारित दिशा-निर्देशों के अधीन एफसीएनआर (बी) ऋण मार्ग के तहत संसाधन जुटाने की अनुमति दी गई है, इसलिए वे खुली FE स्थिति रह सकते हैं। एफईडीएआई दरों पर मार्केट टू मार्केट मूल्य के समतुल्य रूपों में ऐसे खुले स्थितियों पर 15 प्रतिशत फ्लैट बाजार जोखिम प्रभार रखा जाना चाहिए।

## B. आंतरिक जोखिम प्रबंधन ढांचे पर आधारित विधि

पीडी को निम्नलिखित न्यूनतम मापदंडों के अनुसार बाजार जोखिम के लिए अपने आंतरिक जोखिम प्रबंधन ढांचे पर आधारित **VaR** मॉडल के अनुसार पूंजी की आवश्यकता की गणना करनी चाहिए:

- (क) दैनिक आधार पर एक 99 वें पर्सेंटाइल, वनटेल्ड कॉन्फिडेंस- अंतराल पर **VaR** की गणना की जानी चाहिए।
- (ख) कीमतों में 15 दिन के उतार-चढ़ाव के बराबर एक तात्कालिक मूल्य झटका का उपयोग किया जाना है, अर्थात् न्यूनतम "होलिंग अवधि" पंद्रह व्यापारिक दिन होंगे।
- (ग) सम्पूर्ण पोर्टफोलियो की व्याज दर संवेदनशीलता को एकीकृत आधार पर मापने के लिए नकद प्रवाह की मैपिंग के अनुसार जी-सेक कॉरपोरेट/पीएसयू बांड, सीपीएस और डेरिवेटिव्स, आईआरएस, एफआरए, आईआरएफ आदि जैसी सभी निश्चित आय प्रतिभूतियों को शामिल करके पोर्टफोलियो **VaR** प्राप्त किया जाएगा। जहां भी उतार चढ़ाव-की गणना के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, वहां पीडी उचित प्रसार के साथ जी-सेक प्राप्ति वक्र का

- उपयोग कर ऐसे लिखतों की विविधताओं की गणना करेगा। तथापि, ऐसे लिखतों के ब्यौरे और लागू किए गए प्रसार की सूचना दी जानी चाहिए और कार्यप्रणाली की निरंतरता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- (घ) ऐसे लिखत जो ट्रेडिंग बुक का हिस्सा हैं, लेकिन जिन्हें बाजार जोखिम के मापन होने के अधीन होने में मुश्किल पाई जाती है, उन्हें 15 प्रतिशत का फ्लैट बाजार जोखिम माप लागू किया जाएगा। इनमें म्यूचुअल फंड, अनकोटेड इक्विटी आदि की इकाइयां शामिल हैं और अन्य लिखतों के संबंध में **VaR** के तहत प्राप्त माप में अंकगणितीय रूप से जोड़ा जाना चाहिए।
- (ङ) अनुलग्नक की शुरुआत में समझाई गई प्रतिबद्धताओं को भी जोखिम मापन प्रयोजनों के लिए **VaR** ढांचे में शामिल किया जाना चाहिए।
- (च) एफसीएनआर(बी) ऋण योजना के तहत विदेशी मुद्रा उधारी से उत्पन्न होने वाली अरक्षित एफई स्थिति में अब तक 15 प्रतिशत का बाजार जोखिम होगा और प्राप्त किए गए मान को अन्य लिखतों के लिए प्राप्त **VaR** मान में अंकगणितीय रूप से जोड़ा जाएगा ।
- (छ) **VaR** की गणना के लिए ऐतिहासिक अवलोकन अवधि (नमूना अवधि) का चुनाव एक वर्ष की न्यूनतम लंबाई और कम से कम 250 व्यापारिक दिनों तक होगा। ऐतिहासिक अवलोकन अवधि के लिए भार योजना या अन्य तरीकों का उपयोग करने वाले पीडी के लिए, "प्रभावी" अवलोकन अवधि कम से कम एक वर्ष होनी चाहिए (अर्थात व्यक्तिगत अवलोकनों का भारित औसत समय अंतराल 6 महीने से कम नहीं हो सकता) ।
- (ज) पूंजी की आवश्यकता निम्नलिखित से अधिक होगी:
- क) इस खंड में निर्दिष्ट उपरोक्त मापदंडों के अनुसार मापित पिछले दिन का VaR मान  
और
- ख) पिछले 60 व्यावसायिक दिनों में से प्रत्येक पर दैनिक VaR मानों के औसत को आरबीआई द्वारा निर्धारित कारक(वर्तमान में 3.3) से गुणा करके आने वाली राशि।
- (झ) कोई विशेष प्रकार का मॉडल निर्धारित नहीं है। जब तक उपयोग किया गया मॉडल पीडी से समक्ष उत्पन्न सभी सामग्री जोखिमों को उजागर करता है, तब तक वे मॉडल का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे, उदाहरण के लिए, विचरण-सहविचरण मैट्रिस, ऐतिहासिक सिमुलेशन, मोटे कालों सिमुलेशन या एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरी (EVT), आदि पर आधारित ।
- (ञ) बाजार जोखिम पूंजी प्रभार मापने के लिए आंतरिक मॉडल के उपयोग के लिए मानदंड बैंक के आंतरिक ऋण प्रबंधन विभाग द्वारा दिए गए हैं।

उदाहरण

पूँजी पर्याप्तता का विवरण - तिमाही की समाप्ति पर

प्राथमिक डीलर का नाम:

विवरण - 1 (सारांश)

(राशि रुपये में)

- (i) ऋण जोखिम (परिशिष्ट I) के लिए कुल जोखिम भारित आस्तियां (आरडब्ल्यूए)
- (ii) (a) टियर- I पूँजी निधि (कटौती के बाद)  
(b) टियर- II अर्हताप्राप्त पूँजी निधियाँ  
(c) उपलब्ध टियर I और टियर- II पूँजी निधियों का योग
- (iii) ऋण जोखिम हेतु न्यूनतम अपेक्षित पूँजी अर्थात् (i) x 15 प्रतिशत
- (iv) बाजार जोखिम पूँजी प्रभार के लिए उपलब्ध अतिरिक्त टियर I और टियर II पूँजी निधियाँ अर्थात् (ii) (c) - (iii)
- (v) मानकीकृत विधि और आंतरिक जोखिम प्रबंधन संरचना आधारित VaR मॉडल के अंतर्गत प्राप्त बाजार जोखिम पूँजी प्रभार में से उच्चतम राशि (अनुसूची II और III)
- (vi) (v) प्राप्त करने के लिए उपलब्ध पूँजीगत निधियाँ  
अर्थात् उपर्युक्त (iv) के अनुसार अतिरिक्त टियर I और टियर II,
- (vii) सम्पूर्ण पूँजी पर्याप्तता  
(a) ऋण जोखिम के लिए कुल आरडब्ल्यूए अर्थात् (i)  
(b) बाजार जोखिम पूँजी प्रभार अर्थात् (v)  
(c) (b) के लिए संख्यात्मक लिंक = 6.67  
अर्थात् (15% के ऋण जोखिम पूँजी अनुपात का पारस्परिक)  
(d) बाजार जोखिम से संबंधित जोखिम भारित आस्तियां अर्थात् (b) x (c)  
(e) कुल जोखिम भारित आस्ति अर्थात् (a) + (d)  
(f) न्यूनतम आवश्यक पूँजी अर्थात् (e) x 15%  
(g) कुल उपलब्ध पूँजीगत निधि अर्थात् (ii) + (vi)  
(h) घटाएँ: अन्य नियामकों/ लाइसेंसदाताओं जैसे SEBI/ NSE/ BSE/OTCEI द्वारा निर्धारित पूँजीगत निधियां

- (i) पीडी कारोबार के लिए उपलब्ध निवल पूंजीगत निधि (g - h)
- (viii) जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (CRAR) %  $(i / e) * 100$

बीमा में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रवेश के लिए दिशानिर्देश

1. रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत एनबीएफसीज को निम्नलिखित शर्तों के अधीन रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के बिना फीस के आधार पर और जोखिम भागीदारी के बिना बीमा एजेंसी कारोबार शुरू करने के लिए अनुमति दी जाएगी:

(i) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को आईआरडीए से अपेक्षित अनुमति प्राप्त कर और बीमा कंपनियों के साथ 'समग्र कॉरपोरेट एजेंट' के रूप में कार्य करने के लिए आईआरडीए के नियमों का पालन करना चाहिए।

(ii) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अपने ग्राहकों को उसके द्वारा वित्तपोषित परिसंपत्तियों से संबंधित किसी विशिष्ट बीमा कंपनी को चुनने के लिए मजबूर करने वाली किसी भी प्रतिबंधात्मक गतिविधि को नहीं अपनाना चाहिए। ग्राहकों को अपनी पसंद के अनुसार चुनाव करने के लिए अनुमति दी जानी चाहिए।

(iii) चूंकि बीमा उत्पादों में एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के ग्राहक की भागीदारी पूरी तरह से स्वैच्छिक आधार पर है, अतः इसे प्रचार के लिए एनबीएफसी द्वारा वितरित सामग्री में उल्लेख किया जाना चाहिए। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों लिए के वित्तीय सेवाओं और बीमा उत्पादों का उपयोग करने के बीच या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए।

(iv) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के माध्यम से न होकर बीमा कंपनी को सीधे बीमा धारक द्वारा प्रीमियम का भुगतान किया जाना चाहिए।

(v) बीमा एजेंसी में यदि कोई जोखिम शामिल है तो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के व्यापार को हस्तांतरित नहीं किया जाना चाहिए।

2. किसी भी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को ऐसा कारोबार विभागीय तौर पर करने की अनुमति नहीं होगी। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की सहायक या उसी ग्रुप की कंपनी या किसी अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के कारोबार में लगी है या बैंकिंग कारोबार में लगी है को सामान्यतः जोखिम सहभागिता के आधार पर बीमा कंपनी के साथ जुड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत, पात्रता मानदण्ड को पूरा करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ जोखिम सहित बीमा कारोबार करने के लिए ज्वाइंट वेंचर कंपनी स्थापित कर सकती हैं बशर्ते सुरक्षा उपायों के तहत ऐसा किया जाए। ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी सामान्यतः बीमा कंपनी की प्रदत्त पूंजी के अधिकतम 50% तक ज्वाइंट वेंचर कंपनी की इक्विटी को धारण (होल्ड) सकती है। भारतीय रिज़र्व बैंक, चयनित आधार पर, प्रारंभ में किसी प्रवर्तक गैर-बैंकिंग वित्तीय



कंपनी को, विनिर्दिष्ट अवधि में विनिवेश के लिए, उच्च अंशदान की अनुमति दे सकता है। (निम्नलिखित नोट 1 देखें)

यदि एक ही समूह की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की एक से अधिक कंपनी (वित्तीय गतिविधि करती हो या नहीं) यदि बीमा कंपनी में हिस्सेदारी स्टेक लेना चाहती है तो एक ही समूह की सभी कंपनियों के योगदान को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए बीमा संयुक्त उपक्रम में 50 प्रतिशत की निर्धारित सीमा हेतु गिना जाएगा।

ऐसे मामलों में जहां आईआरडीए द्वारा संयुक्त बीमा उपक्रम कंपनी से पूंजी लाने के लिए कहा गया हो, ऐसी स्थिति में बैंक मामले के आधार पर विनिर्दिष्ट %50 की सीमा में छूट पर विचार कर सकता है। छूट की अनुमति, यदि दी जाती है, तो वह इन दिशा-निर्देशों में विनिर्दिष्ट सभी विनियामक शर्तों के एनबीएफसी द्वारा पालन के अधीन होगी तथा विशिष्ट मामलों में ऐसे अन्य शर्तों का अनुपाल भी करना होगा। ऐसी छूट के लिए एनबीएफसी संबंधित दस्तावेज सहित अपना आवेदन उस क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करे जिसके क्षेत्राधिकार में उसका पंजीकृत कार्यालय स्थित है।

संयुक्त उद्यम भागीदार के लिए पात्रता मानदंड नीचे दिया गया है:

- (i) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के स्वाधिकृत निधि ₹500 करोड़ रुपये से कम नहीं होना चाहिए,
- (ii) शुद्ध अनर्जक आस्तियों का स्तर कुल बकाया पट्टे/किराया खरीद की संपत्ति और दिए अग्रिमों के 5% से अधिक नहीं होना चाहिए,
- (iii) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा पिछले लगातार तीन साल के लिए शुद्ध लाभ अर्जित किया गया होना चाहिए,
- (iv) संबंधित एनबीएफसी की सहायक कंपनियों, यदि कोई हो, के प्रदर्शन का ट्रैक रिकॉर्ड, संतोष जनक होना चाहिए,
- (v) विनियामक अनुपालन और सार्वजनिक जमा सर्विसिंग, अगर हो, की गई हो।

इस तरह के निवेश के लिए एनबीएफसी की निवल स्वाधिकृत निधियों की गणना करते समय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया जाएगा ।

4. ऐसे मामले में जहां एक विदेशी भागीदार कबीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अनुमोदन/विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के अनुमोदन से इक्विटी का 26 प्रतिशत अंशदान करता है तो एक से अधिक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को बीमा संयुक्त उद्यम की इक्विटी में भाग लेने के लिए अनुमति दी जा सकती है। चूंकि ऐसे प्रतिभागी बीमा जोखिम ग्रहण करते हैं, केवल वह एनबीएफसी जो ऊपर पैरा 2 में दिए मानदंडों को पूरा करती है, वे इसके लिए पात्र होंगी।

5. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो उपरोक्त प्रकार के संयुक्त उद्यम भागीदार के रूप में पात्र नहीं हैं, वे बीमा कंपनी में स्वाधिकृत निधि का 10% या ₹50

करोड़, जो भी कम हो तक निवेश कर सकते हैं। इस तरह की भागीदारी एक निवेश के रूप में मानी जाएगी और एनबीएफसी के लिए किसी भी आकस्मिक देयता के बिना । इन एनबीएफसी के लिए पात्रता मानदंड निम्नानुसार होगा:

- (i) शुद्ध एनपीए का स्तर कुल बकाया पट्टे / किराया खरीद की संपत्ति और अग्रिमों के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए;
- (ii) एनबीएफसी को पिछले लगातार तीन साल के लिए शुद्ध लाभ होना चाहिए।

**टिप्पणियाँ :**

- (1) एक प्रमोटर एनबीएफसी द्वारा बीमा कारोबार में इक्विटी की होल्डिंग या किसी भी रूप में एक बीमा कंपनी में भागीदारी आईआरडीए/ केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी भी समय निर्धारित नियमों के अनुपालन के अधीन होगी। इसमें निर्धारित अवधि के भीतर 26 प्रतिशत से अधिक चुकता पूंजी के इक्विटी के विनिवेश के लिए आईआरडीए अधिनियम, 1999 द्वारा यथा संशोधित बीमा अधिनियम की धारा 6एए के साथ अनुपालन शामिल होंगे।
- (2) पात्रता मानदंड पिछले वर्ष के लिए नवीनतम उपलब्ध ऑडिटेड बैलेंस शीट के संदर्भ में गिनी जाएंगे।

**गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा म्यूचुअल फंड उत्पादों के वितरण पर दिशा-निर्देश**

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, जिन्हें म्यूचुअल फंडों को वितरित करने की इच्छा है, को निम्न शर्तों का पालन करने की आवश्यकता होगी:

**(i) संचालन पहलु**

(क) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी म्यूचुअल फंड उत्पादों के वितरण के लिए सेबी के दिशानिर्देशों / नियमों और आचरण संहिता का पालन करना चाहिए;

(ख) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को अपने ग्राहकों को उसके द्वारा प्रायोजित एक विशेष म्यूचुअल फंड उत्पाद लेने के लिए मजबूर करने वाले किसी भी प्रतिबंधात्मक अभ्यास को नहीं अपनाना चाहिए। अपने ग्राहकों को अपनी पसंद के अनुसार चुनने की अनुमति दी जानी चाहिए;

(ग) म्यूचुअल फंड उत्पादों में एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के ग्राहक की भागीदारी पूरी तरह से स्वैच्छिक आधार पर है, अतः इसे प्रचार के लिए एनबीएफसी द्वारा वितरित सामग्री में उल्लेख किया जाना चाहिए। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों लिए के म्यूचुअल फंड उत्पादों का उपयोग करने के बीच या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए।

(घ) एनबीएफसी को केवल अपने ग्राहकों के लिए, म्यूचुअल फंड यूनिटों की खरीद / बिक्री के भुगतान उपकरणों के साथ उनके आवेदन पत्र अग्रेषण, म्यूचुअल फंड / रजिस्ट्रार / स्थानांतरण एजेंटों की क्षमता में एक एजेंट के रूप में कार्य करना चाहिए। इकाइयों की खरीद ग्राहकों के जोखिम पर और एनबीएफसी द्वारा किसी भी निश्चित रिटर्न की गारंटी के बिना होनी चाहिए;

(ङ) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा न तो अपने ग्राहकों को बिक्री के लिए द्वितीयक बाजार से म्यूचुअल फंडों की इकाइयों का अधिग्रहण करना चाहिए, और नही इसे वापस अपने ग्राहकों से म्यूचुअल फंड के यूनिट खरीदने चाहिए;

(च) यदि एनबीएफसी अपने ग्राहकों की ओर से म्यूचुअल फंड यूनिटों की अभिरक्षा कर रहा है तो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने स्वयं के निवेश और अपने ग्राहकों से संबंधित निवेशों को एक दूसरे से अलग रखा जाता है।

**(ii) अन्य पहलु**

(क) एनबीएफसी को म्यूचुअल फंडों के वितरण के संबंध में बोर्ड से मंजूर नीति तैयार करनी चाहिए। अपने ग्राहकों के लिए संबंधित सेवाओं के लिए इस नीति के अनुसार पेशकश की जानी चाहिए। नीति में ग्राहक उपयुक्तता तथा औचित्य और शिकायत निवारणतंत्र होना चाहिए। सेबी द्वारा समय-समय पर लागू और संशोधित निर्धारित आचार संहिता, का गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अनुपालन किया जाना चाहिए;

(ख) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) दिशा-निर्देश और धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों का पालन करना चाहिए।

2. एनबीएफसी को बैंक द्वारा समय-समय पर इस संबंध में निर्दिष्ट अन्य नियम और शर्तों का पालन करना चाहिए।

वित्तीय परिणामों का प्रकाशन

प्राथमिक डीलर का नाम

31 मार्च को समाप्त तिमाही हुए वित्तीय परिणाम .....

निधियों का स्रोत

पूंजी

भंडार और अधिशेष

ऋण

प्रतिभूत

अप्रतिभूत

(इनमें से कॉल मुद्रा ऋण)

निधियों के उपयोग

नियत आस्तियां

निवेश

सरकारी प्रतिभूतियाँ (टी बिल और सीएमबी सहित)

वाणिज्यिक पत्र

कारपोरेट बांड

ऋण और अग्रिम (इनमें से कॉल मुद्रा उधार)

गैर वर्तमान आस्तियां

अन्य

लाभ हानि खाता

आय (क्षेत्रवार कारोबार)

ब्याज

छुट

व्यापार लाभ

व्यय

ब्याज

प्रशासनिक व्यय

कर पूर्व लाभ

निवल लाभ

आवश्यक नियामकीय पूंजी (पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देशों के अनुसार)

वास्तविक पूंजी

निवल संपत्ति पर आय

खातों पर टिप्पणियां :

एनबीएफसी के निदेशकों के लिए 'उचित और उपयुक्त' मानदंड

रिजर्व बैंक ने 'बैंकों / वित्तीय संस्थानों के निदेशकों के सलाहकार समूह की रिपोर्ट' के आधार पर जून 2004 में बैंकों के बोर्ड पर नियुक्त करने से पहले व्यक्तियों की उचित जांच पर बैंकों को एक निर्देश जारी किया था। निदेशको द्वारा पूरे करने के लिए विशिष्ट 'उचित और उपयुक्त' मापदंड को भी सूचित किया गया था।

2. निदेशकों की योग्यता का पता लगाने के लिए शैक्षणिक अहर्ता, तकनीकी विशेषज्ञता, ट्रैक रिकॉर्ड, निष्ठा, आदि की उचित जांच के महत्व को किसी भी वित्तीय संस्था के लिए नकारा नहीं जा सकता है। इन्हीं दिशा-निर्देशों को एनबीएफसी के लिए भी यथोचित परिवर्तन सहित लागू करने का प्रस्ताव है। हालांकि रिजर्व बैंक एनबीएफसी को पंजीकरण का प्रमाणपत्र जारी करने से पहले निदेशकों की उचित जांच करता है किन्तु इसे एनबीएफसी द्वारा सतत आधार पर आंतरिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया के रूप में रखना आवश्यक है। इसके अलावा, निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को सरल बनाने और उचित जांच में एकरूपता लाने के लिए एनबीएफसी को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया जाता है कि वे बोर्डों पर नियुक्त करने से पहले निम्नांकित प्रक्रियाओं और व्यक्तियों द्वारा पूरे किए जाने वाले न्यूनतम मापदंड का पालन करें:

(ए) एनबीएफसी को एक निदेशक के रूप में बोर्ड पर नियुक्ति के पहले व्यक्ति की उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए शैक्षणिक अहर्ता, विशेषज्ञता, ट्रैक रिकॉर्ड, निष्ठा और अन्य 'उचित और उपयुक्त' मापदंड के आधार पर उचित जांच प्रक्रिया करनी चाहिए। एनबीएफसी को अनुबंध - IX में दिए गए प्रारूप में इस प्रयोजन के लिए प्रस्तावित / मौजूदा निदेशकों से आवश्यक जानकारी और घोषणा प्राप्त करना चाहिए।

(बी) उचित जांच प्रक्रिया नियुक्ति / उसके नवीकरण के समय एनबीएफसी द्वारा किया जाना चाहिए।

(सी) एनबीएफसी के बोर्डों द्वारा घोषणाओं की जांच के लिए नामांकन समितियों का गठन किया जाना चाहिए।

(डी) हस्ताक्षर किए घोषणा में उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर, नामांकन समितियों को निदेशकों के बारे में जहां भी आवश्यक हो, स्वीकृति पर या अन्यथा फैसला करना चाहिए।

(ई) एनबीएफसी को प्रतिवर्ष 31 मार्च को निदेशकों से एक साधारण घोषणा प्राप्त करना चाहिए जिसमें उल्लेख हो कि पहले उपलब्ध कराई गई जानकारी में परिवर्तन नहीं आया है और जहां भी बदलाव आया है, वहां अपेक्षित विवरण तत्काल उनके द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

(एफ़) एनबीएफसी को जनता के हित में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बोर्ड में मनोनीत /निर्वाचित निदेशक **अनुलग्नक-X** में दिए गए प्रारूप में सहमति का करार निष्पादित करें।

एनबीएफसी का नाम: \_\_\_\_\_

निदेशक द्वारा घोषणा और वचन ( _____ को उपयुक्त संलग्नकों सहित)		
I.	निदेशक का व्यक्तिगत विवरण	
	क.	पूरा नाम
	ख.	जन्म तिथि
	ग.	शैक्षिक योग्यता
	घ.	प्रासंगिक पृष्ठभूमि और अनुभव
	ड.	स्थायी पता
	च.	वर्तमान पता
	छ.	ई-मेल पता/टेलीफोन नंबर
	ज.	आयकर अधिनियम के तहत स्थायी खाता संख्या और आयकर सर्कल का नाम और पता
	झ.	प्रासंगिक ज्ञान और अनुभव
	ञ.	एनबीएफसी के निदेशक के लिए प्रासंगिक कोई अन्य जानकारी
II	निदेशक के प्रासंगिक रिश्ते	
	क.	रिश्तेदारों की सूची, यदि कोई है, जो एनबीएफसी के साथ जुड़ा हुआ है (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 और सूची 1ए एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के इसके समांतर प्रासंगिक प्रावधानों का संदर्भ लें)
	ख.	संस्थाओं की सूची, यदि कोई हो, जिसमें उनका कोई हित निहित हो। (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 299(3)ए और धारा 300 एवं नए कंपनी अधिनियम, 2013 के इसके समांतर प्रासंगिक प्रावधानों का संदर्भ लें)
	ग.	जिन संस्थाओं में उन्हें इन निदेशों में निर्धारित प्रुडेन्शियल मानदंड के अर्थ में सारवान हित रखने के रूप में माना जाता है, उन संस्थाओं की सूची।



	घ.	एनबीएफसी का नाम जिसमें वह बोर्ड का सदस्य है या रहा है (इस पद धारण करने की अवधि का विवरण)	
	ड.	निधि और गैर निधि सुविधाएं, यदि कोई हो, जो उन्होंने या ऊपर II (ख) और (ग) में सूचीबद्ध संस्थाओं ने एनबीएफसी से लिया हो।	
	च.	ऐसे मामले, यदि कोई हो, जहां II (ख) और (ग) में सूचीबद्ध निदेशक या संस्थाएं, यह एनबीएफसी या किसी अन्य एनबीएफसी/बैंक से प्राप्त ऋण में चूक कर रहे हों या अतीत में चूक में रहें हैं।	
III	पेशेवर उपलब्धियों के रिकॉर्ड		
	क.	प्रासंगिक पेशेवर उपलब्धियां	
IV.	निदेशक के खिलाफ कार्यवाही, यदि कोई हो,		
	क.	यदि निदेशक किसी व्यावसायिक संघ/निकाय का सदस्य है, तो उसके विरुद्ध लंबित, शुरू हुई या पूर्व में दोषसिद्धि हुई अनुशासनात्मक कार्रवाई का ब्यौरा, यदि कोई हो, या उसे किसी पेशे/व्यवसाय में प्रवेश पर रोक लगा दी गई हो।	
	ख.	निदेशक और/या II (ख) और (ग) में सूचीबद्ध किसी भी संस्था के विरुद्ध लंबित, शुरू हुई या पूर्व में दोषसिद्धि हुई आर्थिक कानूनों और विनियमों के उल्लंघन के लिए अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो।	
	ग.	निदेशक के विरुद्ध लंबित, शुरू हुई या पिछले पांच वर्षों में दोषसिद्धि हुई आपराधिक अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो।	
	घ.	क्या निदेशक कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 और नए कंपनी अधिनियम, 2013 के इसके समांतर प्रासंगिक प्रावधानों में शामिल किसी भी अयोग्यता को पूरा करता है?	
	ड.	क्या निदेशक या II (ख) और (ग) में किसी भी संस्था को सरकारी विभाग या एजेंसी के कहने पर जांच किया गया है?	
	च.	क्या किसी भी समय निदेशक को सीमा शुल्क/उत्पाद/आयकर/विदेशी मुद्रा/अन्य राजस्व प्राधिकरणों द्वारा नियमों/विनियमों/विधायी आवश्यकताओं के उल्लंघन का दोषी पाया गया है, यदि ऐसा है, तो विवरण दें।	
	छ.	क्या निदेशक किसी भी समय सेबी, इरडा, एमसीए, जैसे नियामक की प्रतिकूल नज़र में रहे हैं।	

	(हालांकि किसी उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह नियामकों द्वारा किए गए आदेशों और निष्कर्षों का कॉलम में उल्लेख करे जो बाद में पूरी तरह पलट दिया गया हो/ खारिज कर दिया गया हो, किन्तु इसका उल्लेख करना आवश्यक होगा, यदि इसे तकनीकी कारणों जैसे सीमा या क्षेत्राधिकार की कमी आदि और न कि योग्यता पर, पलटा गया/खारिज किया गया हो। यदि नियामक का आदेश अस्थायी रूप से रुका हुआ है और अपीलीय/अदालती कार्यवाही लंबित है, तो इसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए।	
V.	मद संख्या। से III के अनुरूप कोई अन्य जानकारी/विवरण तथा उपयुक्त और उचित की पहचान करने हेतु प्रासंगिक जानकारी प्रदान करें।	

वचन	
	मैं पुष्टि करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास में सत्य और पूर्ण है। मैं एनबीएफ़सी को वचन देता हूँ कि मैं उन्हें उन सभी घटनाओं की सूचना यथाशीघ्र दूंगा जो मेरी नियुक्ति के बाद होती हैं; और जो ऊपर उल्लिखित जानकारी के लिए प्रासंगिक हैं।
	मैं एनबीएफ़सी के सभी निदेशकों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले सहमति करार को निष्पादित करने का भी वचन देता हूँ।
	स्थान : <span style="float: right;">हस्ताक्षर</span>
	तिथि :
VI.	एनबीएफ़सी के नामांकन समिति के अध्यक्ष /निदेशक मंडल की टिप्पणी
	स्थान : <span style="float: right;">हस्ताक्षर</span>
	तिथि :

**निदेशक के साथ सहमति करार का फॉर्म**

यह सहमति करार ---- में दिनांक --- दो हजार -----को ----- जिसका पंजीकृत कार्यालय -----  
----- में है (इसके पश्चात “जमाराशि स्वीकार करने वाली और जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली  
500 करोड़ और उससे अधिक आस्ति आकार वाली एनबीएफ़सी” कहा जाएगा) एक पक्ष है और  
श्री/सुश्री/श्रीमती ----- (इसके पश्चात “निदेशक” कहा जाएगा) के बीच है, जो दूसरा पक्ष है।

**जहां**

- क) उक्त उल्लिखित निदेशक को एनबीएफ़सी के निदेशक बोर्ड (इसके पश्चात “बोर्ड” कहा जाएगा)  
द्वारा निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और उनकी नियुक्ति की शर्त के रूप में उन्हें एनबीएफ़सी  
के साथ सहमति करार करना अपेक्षित है।
- ख) निदेशक ने उनकी नियुक्ति की शर्तों के पश्चात सहमति करार करने पर सहमति दर्शायी है, जिसे बोर्ड  
द्वारा अनुमोदित किया गया है।

**अब इस बात पर सहमति है और सहमति करार इस प्रकार साक्ष्यांकित है:**

1. निदेशक स्वीकार करता है कि एनबीएफ़सी के बोर्ड में निदेशक के रूप में उसकी नियुक्ति एनबीएफ़सी के ज्ञापन और अंतर्नियम सहित लागू कानूनों और नियमों एवं इस करार के प्रावधानों के अधीन है।
2. निदेशक एनबीएफ़सी के साथ पारस्परिक संविदा करता है कि :
  - (i) निदेशक बोर्ड को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके संबंध के प्रकार का प्रकटीकरण करेगा, यदि एनबीएफ़सी और किसी भी अन्य संस्था के बीच एक अनुबंध या व्यवस्था या किसी भी प्रस्तावित अनुबंध या व्यवस्था में उसका संबंध है या होना है । यह प्रकटीकरण तुरंत जानकारी होते ही या बोर्ड की उस बैठक में जिसमें इस तरह के अनुबंध या व्यवस्था से जुड़ जाने पर विचार हो रहा है, या निदेशक बैठक की तारीख पर प्रस्तावित अनुबंध या व्यवस्था से संबंधित नहीं थे, तो उससे जुड़ जाने के बाद आयोजित पहली बैठक में और किसी भी अन्य अनुबंध या व्यवस्था के मामले में जिसमें वे संबंध या रुचि रखते हैं, आवश्यक प्रकटीकरण बोर्ड की पहली बैठक में किया जाएगा।
  - (ii) निदेशक बोर्ड को सामान्य नोटिस द्वारा उसकी / उसके अन्य निदेशकता, कॉर्पोरेट निकायों उसकी सदस्यता, अन्य संस्थाओं में उसके संबंध और कंपनियों के एक भागीदार या मालिक के रूप में उसके संबंध का प्रकटीकरण करेगा और बोर्ड को उसमें सभी परिवर्तनों के बारे में अवगत कराता रहेगा।
  - (iii) निदेशक एनबीएफ़सी को कंपनी अधिनियम, 1956 अथवा 2013 में परिभाषित उसके रिश्तेदारों की एक सूची प्रदान करेगा और निदेशक के ज्ञान में उन रिश्तेदारों के कॉर्पोरेट, फ़र्म और अन्य निकायों में निदेशकता और संबंधों के बारे में जानकारी देगा ।

- (iv) निदेशक एनबीएफ़सी के निदेशक के रूप में उसकी / उसके कर्तव्यों के निर्वहन करते समय:
- (ए) उसकी / उसके ज्ञान या अनुभव के एक व्यक्ति से अपेक्षित उचित कौशल का उपयोग करें;
- (बी) उसकी / उसके कर्तव्यों के निष्पादन में उससे यथोचित सदविश्वास में और एनबीएफ़सी के हित में स्वयं में निहित कोई भी शक्ति उससे उपयोग करने की उम्मीद की जाती है;
- (सी) एनबीएफ़सी की वित्तीय स्थिति, व्यापार, गतिविधियों के बारे में उसे किए गए प्रकटीकरण की हद तक खुद को जागरूक रखना होगा;
- (डी) बोर्ड और उसके समितियों (सामूहिक संक्षिप्तता की खातिर आगे चलकर "बोर्ड" कहा गया है) की बैठकों में उचित नियमितता के साथ भाग लेगा और उचित रूप से एनबीएफ़सी के निदेशक के रूप में उसकी / उसके दायित्वों को पूरा करना;
- (ई) एनबीएफ़सी के हित के अलावा अन्य किसी भी विचार के लिए बोर्ड के किसी भी निर्णय को प्रभावित नहीं करेगा;
- (एफ़) एनबीएफ़सी को प्रभावित करने वाले बोर्ड के समक्ष लाया सभी मामलों पर जिसमें वैधानिक अनुपालन, प्रदर्शन की समीक्षा, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों और प्रक्रियाओं, प्रमुख कार्यकारी नियुक्तियों और आचरण के मानक सहित शामिल है किन्तु सीमित नहीं है, के विषय में स्वतंत्र निर्णय लेगा;
- (जी) बोर्ड के समक्ष लाया या बोर्ड द्वारा सौंपे गए मामलों में उसकी / उसके स्वतंत्र निर्णय के प्रयोग के साथ हस्तक्षेप करने वाले व्यवसाय या अन्य रिश्ते से मुक्त रहेगा; और
- (एच) किसी डर या पक्षपात के बिना और उसकी / उसके स्वतंत्र निर्णय के लेने पर कोई प्रभाव के बिना बोर्ड की बैठकों में उसकी / उसके विचार और राय व्यक्त करेगा;
- (v) निदेशक का कर्तव्य होगा:
- (ए) एनबीएफ़सी के हित में सदविश्वास एवं बिना किसी समपार्श्विक उद्देश्य के लिए प्रत्ययी कर्तव्य;
- (ख) केवल एनबीएफ़सी के ज्ञापन और अंतर्नियम और लागू कानूनों और नियमों द्वारा निर्धारित सीमा में शक्तियों का उपयोग कर कार्रवाई करने का कर्तव्य; और
- (ग) एनबीएफ़सी के कारोबार की उचित समझ प्राप्त करने का कर्तव्य।
- (vi) निदेशक:
- (ए) उसे बोर्ड द्वारा करने के लिए सौंपे मामलों के संबंध में जिम्मेदारी से बच नहीं सकेगा;
- (बी) पूर्ण कालिक निदेशकों और एनबीएफ़सी और अन्य अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में हस्तक्षेप नहीं करेगा और जहाँ अन्यथा विश्वास करने के लिए कारण है, वह तत्काल बोर्ड को उसकी / उसके चिंताओं का प्रकटीकरण करेगा; और
- (सी) बोर्ड के एक सदस्य के रूप में उसे मिलीजानकारी का किसी और का लाभ करने के लिए अनुचित प्रयोग नहीं करेगा और निदेशक के रूप में उसकी क्षमता में एनबीएफ़सी द्वारा मिली जानकारी का उपयोग एनबीएफ़सी के निदेशक के रूप में केवल उसके कर्तव्यों के निष्पादन के प्रयोजनों के लिए और न किसी अन्य उद्देश्य के लिए करेगा।
3. एनबीएफ़सी निदेशक के साथ संविदा करती है कि:
- (i) एनबीएफ़सी निम्न के बारे में निदेशक को अवगत कराएगी:
- (ए) निदेशक के कानूनी और अन्य दायित्वों की पहचान सहित बोर्ड प्रक्रियाओं और वैधानिक आवश्यकता का अनुपालन;
- (बी) नियंत्रण प्रणालियां और प्रक्रिया;

- (सी) बोर्ड बैठकों में मतदान के अधिकार और वे मामले जिनमें निदेशक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके हित होने से हिस्सा नहीं लेना है;
- (डी) योग्यता की शर्तों और संगम ज्ञापन और लेख की प्रतियां प्रदान करेगी;
- (ई) कंपनी की नीतियां और प्रक्रियाएं;
- (एफ़) इनसाइडर ट्रेडिंग प्रतिबंध;
- (जी) बोर्ड द्वारा गठित विभिन्न समितियों का गठन, विचारार्थ विषय और अधिकार के हस्तांतरण,
- (एच) वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति और उनके अधिकार;
- (आई) पारिश्रमिक नीति,
- (जे) बोर्ड की समितियों में विचार-विमर्श, और
- (के) नीतियों, प्रक्रियाओं, नियंत्रण प्रणाली, एनबीएफ़सी के ज्ञापन और अंतर्नियम सहित लागू नियमों, अधिकार के हस्तांतरण, वरिष्ठ कार्यकारी आदि में किसी भी बदलाव की सूचना और सभी वैधानिक और कानूनी अनुपालन के लिए उत्तरदायी अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति।
- (ii) एनबीएफ़सी बोर्ड और निदेशक को वह सभी जानकारी और खुलासा देगी जो उनके कार्यों और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए जरूरी है एवं निदेशक बोर्ड, उसकी किसी समिति या किसी निदेशक को बोर्ड द्वारा सौंपे गए किसी मामले के संबंध में सूचित निर्णय के लिए, विचार में लेने के लिए आवश्यक है;
- (iii) निदेशकों को एनबीएफ़सी द्वारा किए जाने वाले प्रकटीकरण में निम्नांकित शामिल होगा किन्तु इसी तक सीमित नहीं होगा:
- (क) बोर्ड के समक्ष आए मामलों के संबंध में सूचित निर्णय लेने के लिए सभी प्रासंगिक जानकारी;
- (बी) एनबीएफ़सी की रणनीतिक और व्यापार की योजना और पूर्वानुमान;
- (सी) एनबीएफ़सी का संगठनात्मक संरचना और अधिकार का हस्तांतरण;
- (डी) कॉर्पोरेट और प्रबंधन नियंत्रण और प्रक्रियाओं सहित प्रणाली;
- (ई) आर्थिक लक्षण और विपणन वातावरण;
- (एफ़) एनबीएफ़सी के उत्पादों पर उचित रूप में सूचना और अद्यतन जानकारी;
- (जी) प्रमुख व्यय पर अद्यतन जानकारी;
- (एफ़) एनबीएफ़सी के प्रदर्शन की आवधिक समीक्षा; और
- (आई) रणनीतिक पहल और योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में आवधिक रिपोर्ट;
- (iv) एनबीएफ़सी निदेशकों और संबंधित कर्मियों को बोर्ड विचार-विमर्श के परिणाम संवाद सूचित करेगी और समयबद्ध तरीके से बोर्ड की बैठक के समापन की तिथि से दो व्यावसायिक दिनों के भीतर संभव हद तक निदेशकों को बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त तैयार कर प्रसारित करेगी; और
- (v) बोर्ड के समक्ष रखे मामलों में प्रत्यायोजित प्राधिकार के स्तर के बारे में निदेशक को सूचना देगी।
4. एनबीएफ़सी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के कामकाज और उसकी प्रभावशीलता पर निदेशक को आवधिक रिपोर्ट प्रदान करेगी।
5. एनबीएफ़सी एक अनुपालन अधिकारी नियुक्त करेगी जो बोर्ड को रिपोर्टिंग करने वाला एक वरिष्ठ अधिकारी हो और नीतियों और प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए जिम्मेदार होगा तथा रिजर्व बैंक दिशा-निर्देशों तक ही सीमित न होकर अन्य संबंधित सांविधिक और सरकारी प्राधिकरण द्वारा लागू कानूनों, नियमों, नीतियों और प्रक्रियाओं के पालन की निगरानी करेगा।

6. निदेशक एनबीएफसी के निदेशक के रूप में अपने किसी भी अधिकार और दायित्वों को आवंटित, स्थानांतरण, प्रत्यायोजित या भारित नहीं करेगा या किसी भी तीसरे पक्ष को नहीं सौंपेगा हालांकि इसे एनबीएफसी के ज्ञापन और अंतर्नियम सहित लागू कानूनों और नियमों के अनुसार बोर्ड द्वारा या उसकी किसी भी समिति द्वारा किसी प्राधिकार, शक्ति कार्य या प्रत्यायोजन को प्रतिबंधित करने के हेतु न समझा जाए।

7. किसी दायित्व या कर्तव्य का निर्वहन, पालन या अनुपालन करने में किसी भी की ओर से विफलता से न तो छूट प्राप्त होगी नहीं और न ही इसे उस समय या उसके बाद किसी निर्वहन, पालन या अनुपालन के लिए एक रोक के रूप में माना जाएगा।

8. इस सहमति करार मे कोई भी या सभी संशोधन और/या पूरक और/या परिवर्तन निदेशक और एनबीएफसी की विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित और केवल लिखित में होने पर ही मान्य होगा।

9. यह सहमति करार दो प्रतियों में निष्पादित किया गया है और दोनों प्रतियां मूल मानी जाएगी।

गवाह की उपस्थिति में पक्षों ने विधिवत पहले ऊपर लिखा दिन, महीने और साल पर इस समझौते को किया।

एनबीएफसी केलिए	निदेशक	
द्वारा .....		
नाम:	नाम:	
पदनाम:		
की उपस्थिति में :		
1.		2. ....

₹500 करोड़ और अधिक के आस्ति आकार वाली जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली एवं जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी (इसके पश्चात लागू एनबीएफसी कहा जाएगा) के लिए बैलेंस शीट प्रकटीकरण की सांकेतिक सूची

**1. न्यूनतम प्रकटीकरण**

कम से कम इस अनुलग्नक में सूचीबद्ध मदों का सभी लागू एनबीएफसी द्वारा नोट्स टु अक्काउंट्स में प्रकटीकरण किया जाना चाहिए। सूचीबद्ध प्रकटीकरण पूरक जानकारी है और जैसा लागू हो, अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताओं को प्रतिस्थापित नहीं करता है।

**2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश**

एनबीएफसी को अपने वित्तीय विवरण में नोट्स टु अक्काउंट्स के साथ एक स्थान पर संचालन के प्रमुख क्षेत्रों के बारे में लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण करना चाहिए। एक सांकेतिक सूची में शामिल हैं - लेखा का आधार, विदेशी मुद्रा के लेनदेन, निवेश - वर्गीकरण, मूल्यांकन, आदि, अग्रिम और उसका प्रावधान, अचल संपत्ति और मूल्यहास, राजस्व की पहचान, कर्मचारी लाभ, कराधान के लिए प्रावधान, शुद्ध लाभ, आदि

**3.1 पूंजी**

(करोड़ रुपये में राशि)		
विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(i) सीआरएआर (%)		
ii) सीआरएआर - टीयर I पूंजी (%)		
iii) सीआरएआर - टीयर II पूंजी (%)		
iv) टीयर-II पूंजी के रूप में निर्मित गौण ऋण की राशि		
v) बेमियादी ऋण लिखतों को जारी कर निर्मित राशि		

**3.2 निवेश**

(करोड़ रुपये में राशि)		
विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(1) निवेश का मूल्य		
(i) निवेश का सकल मूल्य		
(क) भारत में		
(ख) भारत के बाहर,		
(ii) मूल्यहास के लिए प्रावधान		
(क) भारत में		
(ख) भारत के बाहर,		

	(iii)	निवेश की निवल मूल्य		
	(क)	भारत में		
	(ख)	भारत से बाहर.		
(2)		निवेश पर मूल्यहास के विरुद्ध धारित प्रावधानों का स्थलान्तर		
	(i)	प्रारंभिक शेष		
	(ii)	जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान		
	(iii)	घटाएँ: वर्ष के दौरान अति रिक्त प्रावधानों की बढ़े खाते डालना / प्रतिलेखन		
	(iv)	अन्तः शेष		

### 3.3 डेरिवेटिव्स

#### 3.3.1 वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप

(रुपये करोड़ में राशि)		
<b>विवरण</b>	<b>चालू वर्ष</b>	<b>पिछला वर्ष</b>
(i) स्वैप समझौतों का काल्पनिक मूल		
(ii) प्रतिपक्षी समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहा तो उठाया जाने वाला घाटा		
(iii) स्वैप में प्रवेश करने पर एनबीएफसी द्वारा अपेक्षित जमानत		
(iv) स्वैप \$ से उत्पन्न होने वाले ऋण एक्सपोजर की संकेंद्रण		
(v) स्वैप किताब का उचित मूल्य @		
<p><b>नोट:</b> स्वैप की प्रकृति और शर्तें क्रेडिट और बाजार एक्सपोजर सहित और स्वैप रिकॉर्डिंग के लिए अपनाई लेखांकन नीतियों के बारे में जानकारी का भी प्रकटीकरण किया जाना चाहिए.</p> <p>\$ संकेंद्रण का उदाहरण अत्यधिक गियर्ड कंपनियों के साथ स्वैप या विशेष उद्योगों में एक्सपोजर करना हो सकता है.</p> <p>@ यदि स्वैप विशिष्ट संपत्ति, देनदारियों, या प्रतिबद्धताओं से जुड़े होते हैं तो उचित मूल्य वह अनुमानित राशि होगी जिसे एनबीएफसी को बैलेंस शीट तारीख को स्वैप समझौतों को समाप्त करने के लिए प्राप्त या भुगतान करना होगा।</p>		

#### 3.3.2 एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर (आईआर) डेरिवेटिव्स

(रुपये करोड़ में राशि)		
<b>क्रम सं.</b>	<b>विवरण</b>	<b>राशि</b>



(i)	वर्ष के दौरान किए गए आईआर डेरिवेटिव कारोबार की विनिमय की काल्पनिक मूल राशि (लिखत वार)	
	ए)	
	बी)	
	सी)	
(ii)	आईआर डेरिवेटिव कारोबार की 31 मार्च .....को बकाया विनिमय की काल्पनिक मूल राशि (लिखत वार)	
	ए)	
	बी)	
	सी)	
(iii)	आईआर डेरिवेटिव कारोबार की 31 मार्च .....को बकाया और "अत्यधिक प्रभावी" नहीं विनिमय की काल्पनिक मूल राशि (लिखत वार)	
	ए)	
	बी)	
	सी)	
(iv)	आईआर डेरिवेटिव कारोबार की बकाया और "अत्यधिक प्रभावी" नहीं (लिखत वार) विनिमय का मार्क-टू-मार्केट मूल्य	
	ए)	
	बी)	
	सी)	

### 3.3.3 डेरिवेटिव में एक्सपोजर निवेश पर प्रकटीकरण

#### **गुणात्मक प्रकटीकरण**

एनबीएफसी डेरिवेटिव से संबंधित उनके एक्सपोजर प्रबंधन नीतियों जिसमें डेरिवेटिव इस्तेमाल करने की सीमा, जुड़े एक्सपोजर और व्यावसायिक उद्देश्यों की प्राप्ति के विशेष संदर्भ के साथ का वर्णन करेगी।

ए) डेरिवेटिव ट्रेडिंग में एक्सपोजर के प्रबंधन के लिए संरचना और संगठन,

बी) एक्सपोजर माप, एक्सपोजर रिपोर्टिंग और एक्सपोजर निगरानी प्रणाली का दायरा और प्रकृति,

सी) हेजिंग और/या लिए और हेजिंग / एक्सपोजर को कम करने के उपायों की निरंतर प्रभावशीलता की निगरानी के लिए रणनीतिया और प्रक्रियाए

डी) हेज और गैर-हेज लेनदेन की रिकॉर्डिंग के लिए लेखांकन नीति; आय की पहचान, प्रीमियम और छूट; बकाया ठेके का मूल्यांकन; प्रावधानीकरण, जमानत और क्रेडिट एक्सपोजर न्यूनीकरण।

### मात्रात्मक प्रकटीकरण

(करोड़ रुपये में राशि)			
क्रम सं.	विवरण	करेंसी डेरिवेटिव्स	ब्याज दर डेरिवेटिव्स
(i)	डेरिवेटिव्स (काल्पनिक मूल राशि)		
	हेजिंग के लिए		
(ii)	बाजार को चिह्नित स्थिति [1]		
	क) आस्ति (+)		
	ख. देयता (-)		
(iii)	क्रेडिट एक्सपोजर [2]		
(iv)	गैर हेज्ड निवेश एक्सपोजर		

### 3.4 प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

**3.4.1** प्रारंभिक एनबीएफसी के नोट्स टु अक्काउंट्स में एनबीएफसी द्वारा प्रायोजित एसपीवी की बहियों के अनुसार प्रतिभूति कृत परिसंपत्तियों की बकाया राशि और बैलेंस शीट की तारीख को न्यूनतम रिटेंशन आवश्यकताओं (एमआरआर) का अनुपालन करने के लिए एनबीएफसी द्वारा धारित एक्सपोजर की कुल राशि का संकेत होना चाहिए। ये आंकड़े एसपीवी के लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित और प्रवर्तक एनबीएफसी को एसपीवी द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर होने चाहिए। ये प्रकटीकरण नीचे दिए गए प्रारूप में किए जाने चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	सं/ करोड़ ₹ में राशि	
1	प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए एनबीएफसी द्वारा प्रायोजित एसपीवी की संख्या*		
2	प्रायोजित एसपीवी की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत परिसंपत्तियों की कुल राशि		
3	बैलेंस शीट की तारीख को एमआरआर का पालन करने के लिए एनबीएफसी द्वारा धारित एक्सपोजर की कुल राशि		
	ए)	ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर	
		पहला नुकसान	
		अन्य	
	बी)	आन-बैलेंस शीट एक्सपोजर	
		पहला नुकसान	
अन्य			
4	एमआरआर के अलावा अन्य प्रतिभूतिकरण लेनदेन करने के लिए एक्सपोजर की राशि		

ए)	ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर			
	(i)	स्वयं के प्रतिभूतिकरण का एक्सपोजर		
		पहला नुकसान		
		हानि		
	ii)	तीसरे पक्ष के प्रतिभूतिकरण का एक्सपोजर		
		पहला नुकसान		
		अन्य		
	बी)	आन-बैलेंस शीट एक्सपोजर		
		(i)	स्वयं के प्रतिभूतिकरण का एक्सपोजर	
			पहला नुकसान	
			अन्य	
		ii)	तीसरे पक्ष के प्रतिभूतिकरण का एक्सपोजर	
पहला नुकसान				
अन्य				
*केवल बकाया प्रतिभूतिकरण लेनदेन से संबंधित एसपीवी का यहां उल्लेख करें।				

### 3.4.2 परिसंपत्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

(करोड़ रुपये में राशि)			
विवरण		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(i)	खातों की संख्या		
(ii)	एससी/ आरसी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों का निवल)		
(iii)	सकल राशि		
(iv)	पहले के वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त राशि		
(v)	नेट बुक वैल्यू के ऊपर सकल लाभ / हानि		

### 3.4.3 एनबीएफसी द्वारा किए समनुदेशन लेनदेन के विवरण

(करोड़ रुपये में राशि)			
विवरण		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(i)	खातों की संख्या		

(ii)	बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों का शुद्ध)		
(iii)	सकल राशि		
(iv)	पहले के वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त राशि		
(v)	नेट बुक वैल्यू के ऊपर सकल लाभ/हानि		

### 3.4.4 खरीदी/ बेची गई गैरनिष्पादित वित्तीय परिसंपत्तियों के विवरण

अन्य एनबीएफसी से गैर-निष्पादित वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद करने वाले एनबीएफसी को अपनी बैलेंस शीट के नोट्स टु अक्काउंट्स में निम्नलिखित प्रकटीकरण करना आवश्यक होगा:

ए) खरीदी गई गैर-निष्पादित वित्तीय आस्तियों के विवरण:

(करोड़ रुपये में राशि)			
विवरण		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	(ए) वर्ष के दौरान खरीदे खातों की संख्या		
	(बी) सकल बकाया		
2	(ए) इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों की संख्या		
	(बी) सकल बकाया		

बी) बेची गई गैर-निष्पादित वित्तीय आस्तियों के विवरण:

(करोड़ रुपये में राशि)			
विवरण		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	बेचे गए खातों की संख्या		
2	सकल बकाया		
3	प्राप्त सकल राशि		

### 3.5 संपत्ति और देनदारियों का कुछ मदों का आस्ति देयता प्रबंधन परिपक्वता पैटर्न

	30/31 दिन तक के लिए	1 महीने से अधिक और 2 महीने से अधिक और 3 महीने से अधिक और 6 महीने तक के लिए	3 महीने से अधिक और 6 महीने तक के लिए	6 महीने से अधिक और 1 साल तक के लिए	1 वर्ष से अधिक और 3 साल तक के लिए	3 वर्ष से अधिक और 5 साल तक के लिए	5 वर्षों से अधिक	कुल
--	---------------------	--	--------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------	-----

	महीने तक	तक के लिए	वर्षतक के लिए					
जमाराशि								
अग्रिम								
निवेश								
उधार								
विदेशी मुद्रा आस्तियां								
विदेशी मुद्रा देनदारियां								

### 3.6 एक्सपोजर

#### 3.6.1 रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक्सपोजर

(करोड़ रुपये में राशि.)			
श्रेणी		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
ए)	प्रत्यक्ष निवेश		
	(i)	आवासीय मार्टगेज -	
		आवासीय संपत्ति पर मार्टगेज द्वारा ऋण पूरी तरह सुरक्षित है जो उधारकर्ता द्वारा कब्जा की जाएगी या किराए पर दिया जाएगा	
	(ii)	वाणिज्यिक रियल एस्टेट -	
		वाणिज्यिक रियल एस्टेट (कार्यालय भवनों, खुदरा स्थान, बहुउद्देश्यीय व्यावसायिक परिसर, बहुपरिवार आवासीय भवनों, बहुत लोगों को भाड़े पर दिए गए वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थल, होटल, भूमिअधिग्रहण, विकास और निर्माण, आदि) पर बंधक द्वारा प्राप्त ऋण एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित सीमा भी शामिल होगी	
(iii)	बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) और अन्य प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर में निवेश -		
	ए.	आवासीय	
	बी.	वाणिज्यिक रियल एस्टेट	
रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कुल निवेश			

#### 3.6.2 कैपिटल मार्केट में एक्सपोजर

(करोड़ रुपये में राशि)		
विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष

(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांड, डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड में प्रत्यक्ष निवेश जिसके कोष को विशेष रूप से कारपोरेट ऋण में निवेश नहीं किया जा रहा है;		
(ii)	शेयरों / बांडों / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के विरुद्ध या परिवर्तनीय बांड, डिबेंचर, और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की यूनिटों (आईपीओ / ईएसओपीएस सहित) के शेयरों में निवेश के लिए व्यक्तियों को स्वच्छ आधार पर अग्रिम;		
(iii)	किसी भी अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम जहां शेयरों या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या म्यूचुअल फंड उन्मुख इक्विटी की इकाइयों को प्राथमिक सुरक्षा के रूप में लिया गया है;		
(iv)	शेयरों या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या म्यूचुअल फंड उन्मुख इक्विटी की इकाइयों की जमानत सुरक्षा के द्वारा उस हद तक सुरक्षित किसी भी अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम अर्थात जहां जिसमें शेयर/ परिवर्तनीय बांड / परिवर्तनीय डिबेंचरों /इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइया को छोड़कर प्राथमिक प्रतिभूति पूरी तरह से अग्रिम कवर नहीं करती है;		
(v)	शेयर दलालों को सुरक्षित और असुरक्षित अग्रिम तथा शेयर दलालों और बाजार निर्माताओं की ओर से जारी की गई गारंटी;		
(vi)	शेयरों / बांडों / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की या संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रवर्तकों का स्वच्छ आधार पर योगदान की सुरक्षा के खिलाफ कंपनियों को ऋण;		
(vii)	प्रत्याशित इक्विटी प्रवाह/ जारी करने के खिलाफ कंपनियों के लिए पूरक ऋण;		
(viii)	बैंचर कैपिटल फंड के लिए सभी निवेश एक्सपोजर (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)		
पूजी बाजार में कुल निवेश			

### 3.6.3 मूल कंपनी के उत्पादों के वित्तपोषण के विवरण

### 3.6.4 एनबीएफसी द्वारा पार किए गए एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल) / समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) के विवरण

एनबीएफसी को एक्सपोजर के संबंध में वार्षिक वित्तीय विवरण के नोट्स टु अक्काउंट्स में वर्ष के दौरान एनबीएफसी द्वारा प्रुडेन्शियल एक्सपोजर सीमा को पार करने संबंधी उचित प्रकटीकरण को दर्शाना चाहिए। स्वीकृत सीमा या पूरा बकाया, जो भी अधिक हो, एक्सपोजर सीमा के लिए गणना किए जाएंगे।

### 3.6.5 असुरक्षित अग्रिम

ए) एनबीएफसी को उनके द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं (बुनियादी संरचना परियोजनाओं सहित) के संबंध में जमानत के रूप में चार्ज अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरण, आदि को असुरक्षित अग्रिम की गणना करने के लिए मूर्त प्रतिभूति के रूप में नहीं गिना जाना चाहिए। इसलिए इस तरह के अग्रिम असुरक्षित माने जाएंगे।

बी) एनबीएफसी को अग्रिम की कुल राशि का प्रकटीकरण भी करना चाहिए जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियों जैसे भारित अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकार आदि को ऐसी अमूर्त समपार्श्विक के अनुमानित मूल्य में शामिल किया गया है। ऐसा प्रकटीकरण नोट्स टु अक्काउंट्स में एक अलग शीर्ष के तहत किया जाना चाहिए। यह ऐसे ऋण को अन्य असुरक्षित ऋण से पूरी तरह से अलग करेगा।

## 4. विविध

### 4.1 वित्तीय क्षेत्र के अन्य नियामकों से प्राप्त पंजीकरण

### 4.2 भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य नियामकों द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण

नियामकों द्वारा लगाए गए दंड के प्रकटीकरण के संबंध में अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप एनबीएफसी को जुर्माना लगाने का ब्यौरा सार्वजनिक डोमेन में रखना निवेशकों और जमाकर्ताओं के हित में होगा। इसके अलावा, निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निंदा या निर्देश या अन्य प्रतिकूल निरीक्षण भी सार्वजनिक डोमेन में रखा जाना चाहिए। जुर्माने का नोट्स टु अक्काउंट्स में भी प्रकटीकरण किया जाना चाहिए।

### 4.3 संबंधित पक्ष के लेनदेन

ए) सभी संबंधित पक्षों के साथ महत्वपूर्ण लेनदेन का विवरण वार्षिक रिपोर्ट में प्रकट किया जाएगा।

बी) कंपनी अपनी वेबसाइट पर और वार्षिक रिपोर्ट में भी संबंधित पक्ष के लेनदेन से निपटने पर नीति का प्रकटीकरण करेगी।

### 4.4 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा आवंटित रेटिंग और वर्ष के दौरान रेटिंग का माइग्रेशन

### 4.5 निदेशकों का पारिश्रमिक

गैर-कार्यकारी निदेशकों के सभी आर्थिक संबंध या लेन-देन का कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकटीकरण किया जाएगा।

### 4.6 प्रबंधन

निदेशकों की रिपोर्ट के हिस्से या एक अनुबंध के रूप में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट को शेयरधारकों के लिए वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा होना चाहिए। इस प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में

कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर निम्नलिखित मामलों पर चर्चा को शामिल करना चाहिए:

- ए) उद्योग संरचना और विकास
- बी) अवसर और खतरे
- सी) खंड-वार या उत्पाद के लिहाज से प्रदर्शन
- डी) आउटलुक
- ई) जोखिम और चिंताएं
- एफ) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उसकी पर्याप्तता
- जी) परिचालन प्रदर्शन के संबंध में वित्तीय प्रदर्शन पर चर्चा
- एच) रोजगार में लिए लोगों की संख्या सहित, मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध के मामले में उल्लेखनीय विकास

#### 4.7 अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि, पूर्व अवधि मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

चूंकि एनबीएफसी के लाभ और हानि खाते का स्वरूप विशेष रूप से चालू वर्ष के लाभ और हानि पर पूर्व अवधि मदों के प्रभाव को नहीं दर्शाता अतः जहाँ भी आवश्यक हो, इस तरह के प्रभाव का नोट्स टु अक्काउंट्स में प्रकटीकरण किया जाए।

#### 4.8 राजस्व मान्यता

एक उद्यम को परिस्थितियों का प्रकटीकरण करना चाहिए जिसमें राजस्व की पहचान को महत्वपूर्ण अनिश्चितताओं के लंबित हल तक स्थगित कर दिया गया है।

#### 4.9 लेखा मानक 21 - समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस)

एनबीएफसी समय-समय पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए सामान्य स्पष्टीकरण द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करें। सीएफएस प्रस्तुत करने वाली एक मूल कंपनी को सभी सहायक कंपनियों-घरेलू के साथ-साथ विदेशी भी, के वित्तीय विवरणों को समेकित करना चाहिए। एक सहायक का समेकन करने या न करने के लिए कारणों का सीएफएस में प्रकटीकरण किया जाना चाहिए। समेकन के लिए एक विशेष इकाई शामिल किया जाना चाहिए या नहीं, यह निर्धारित करने की जिम्मेदारी मूल इकाई के प्रबंधन की होगी। मामले में, अपने यदि सांविधिक लेखा परीक्षक की राय है कि जो इकाई समेकित की जानी चाहिए थी उसे छोड़ दिया गया है तो उन्हें "लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट" में इस संबंध में उनकी टिप्पणी को शामिल करना चाहिए।

### 5. अतिरिक्त प्रकटीकरण

#### 5.1 प्रावधान और आकस्मिकताएं

वित्तीय विवरण को आसानी से पढ़ने की सुविधा के लिए और सभी प्रावधानों और आकस्मिकताओं के बारे में एक ही स्थान पर जानकारी उपलब्ध कराने के लिए, एनबीएफसी को नोट्स टु अक्काउंट्स निम्नलिखित जानकारी का प्रकटीकरण करना आवश्यक है:



(करोड़ रुपये में राशि)		
लाभ और हानि खाता में व्यय शीर्ष के तहत दिखाए 'प्रावधानों और आकस्मिकताओं' का ब्रेक-अप	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
निवेश पर मूल्यहास के लिए प्रावधान		
एनपीए के लिए प्रावधान		
आयकर के लिए प्रावधान		
अन्य प्रावधान और आकस्मिकताए (विवरण के साथ)		
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान		

## 5.2 रिजर्व में कमी

रिजर्व में किसी कमी के उपयुक्त प्रकटीकरण नोट्स टु अक्काउंट्स में किए जाने चाहिए।

## 5.3 जमा, अग्रिम, एक्सपोजर और एनपीए का संकेंद्रण

### 5.3.1 जमाराशियों का संकेंद्रण (जमा लेने वाली एनबीएफसी के लिए)

(करोड़ रुपये में राशि)	
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं के कुल जमा	
एनबीएफसी की कुल जमा के विरुद्ध बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशि का प्रतिशत	

### 5.3.2 अग्रिम का संकेंद्रण

(करोड़ रुपये में राशि)	
बीस सबसे बड़े ऋण लेने वालों का कुल अग्रिम	
एनबीएफसी की कुल अग्रिम के विरुद्ध बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिम की प्रतिशतता	

### 5.3.3 एक्सपोजर का संकेंद्रण

(रुपये में राशि. करोड़)	
बीस सबसे बड़ी उधारकर्ताओं / ग्राहकों के लिए कुल निवेश	
एनबीएफसी के सभी उधारकर्ताओं / ग्राहकों के कुल एक्सपोजर के विरुद्ध बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों के लिए एक्सपोजर का प्रतिशत	

### 5.3.4 एनपीए का संकेंद्रण

(रुपये में राशि करोड़)	
शीर्ष चार एनपीए खातों में कुल निवेश	

### 5.3.5 सेक्टर के लिहाज से एनपीए

क्रम सं.	सेक्टर	क्षेत्र में कुल अग्रिम की तुलना में एनपीए का प्रतिशत
1.	कृषि तथा संबद्ध गतिविधिया	
2.	एमएसएमई	
3.	कारपोरेट ऋण लेने वाले	
4.	सेवाएं	
5.	असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण	
6.	ऑटो ऋण	
7.	अन्य व्यक्तिगत ऋण	

### 5.4 एनपीए का संचलन

(करोड़ रुपये में राशि)			
विवरण		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(i)	निवल अग्रिम की तुलना में निवल एनपीए (%)		
(ii)	एनपीए का संचलन (सकल)		
(ए)	प्रारंभिक बैलेंस		
(बी)	वर्ष के दौरान परिवर्धन		
(सी)	वर्ष के दौरान कटौती		
(डी)	अन्तः शेष		
(iii)	निवल एनपीए का संचलन		
(ए)	प्रारंभिक बैलेंस		
(बी)	वर्ष के दौरान परिवर्धन		
(सी)	वर्ष के दौरान कटौती		
(डी)	अन्तः शेष		
(iv)	एनपीए के लिए प्रावधान का संचलन (मानक परिसंपत्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)		
(ए)	प्रारंभिक बैलेंस		
(बी)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधानों		

(सी)	अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते डालना / प्रतिलेखन		
(डी)	अन्तः शेष		

### 5.5 विदेशी आस्तियां (विदेश में संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों वालों के लिए)

संयुक्त उद्यम / सहायक का नाम	जेबी में दूसरे साथी	देश	कुल परिसंपत्तियां
------------------------------	---------------------	-----	-------------------

### 5.6 ऑफ बैलेंस शीट प्रायोजित एसपीवी

(जिन्हें पूर्व लेखांकन मानकों के अनुसार समेकित करना आवश्यकता होता है)

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
घरेलू	विदेश (ओवरसीज़)

## 6. शिकायतों का प्रकटीकरण

### 6.1 ग्राहक शिकायत

(ए)	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	
(बी)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	
(सी)	वर्ष के दौरान निवारण की गई शिकायतों की संख्या	
(डी)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	

-----

**विदेशी मुद्रा के लिए पूंजी (एफ़ई) स्थिति :**

बाजार जोखिम: मौजूदा पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देशों में निर्धारित विधि अनुसार, विदेशी मुद्रा में बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार मानकीकृत दृष्टिकोण और आंतरिक जोखिम प्रबंधन ढांचे आधारित VaR (वीएआर) मॉडल द्वारा प्राप्त किया जाएगा। बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार उक्त दो अपेक्षाओं में से अधिक होगा। मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत, प्रत्येक चलन में पीडी के निवल ओपेन पोजिशन की गणना की जाएगी और इसे 100 प्रतिशत जोखिम भारित माना जाएगा। यह ओपेन पोजिशन 15 प्रतिशत के फ्लैट बाजार जोखिम प्रभार के अधीन होगी।

ऋण जोखिम: चूंकि मुद्रा फ्यूचर्स करार अधिकृत स्टॉक एक्सचेंजों के सीसीपी समाशोधन के अधीन होंगे, इसलिए ऋण जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना 27 मार्च, 2014 को जारी परिपत्र आईडीएमडी.पीसीडी.11/14.03.05/2013-14 में निर्धारित सीसीपी के एक्सपोजर के लिए पूंजी प्रभार की गणना की प्रक्रिया विधि के अनुसार की जाएगी। विनिमय दर करारों के लिए उपयोग किए जाने वाले ऋण रूपांतरण कारक (सीसीएफ़) निम्नानुसार होंगे :

बाजार से संबंधित तुलनपत्रेत्तर मदों के अवशिष्ट - परिपक्वता के लिए सीसीएफ़	सीसीएफ़ (%)
विनिमय दर करार	
एक वर्ष अथवा उससे कम	2.00
एक वर्ष से पाँच वर्ष तक	10.00
पाँच वर्ष से अधिक	15.00

<b>लाभांश घोषित करने वाले प्राथमिक डीलरों के लिए रिपोर्टिंग प्रारूप</b>				
.....को आरंभ वित्तीय वर्ष के दौरान घोषित लाभांश का विवरण				
प्राथमिक डीलर का नाम _____				
लेखांकन अवधि *	लेखांकन अवधि के लिए निवल लाभ (संचयी)	लाभांश की दर (संचयी)	लाभांश की राशि (लाभांश कर को छोड़कर) (संचयी)	भुगतान अनुपात(संचयी)
	₹ करोड़ में	प्रतिशत	₹ करोड़ में	प्रतिशत
* ----- तिमाही अथवा अर्धवार्षिक अथवा वार्षिक, जैसा कि स्थिति हो				
<p><b>नोट :</b> घोषित अंतिम लाभांश के लिए विवरण प्रस्तुत करते समय, घोषित अंतरिम लाभांश का विवरण, यदि कोई हो, को भी उक्त विवरण में शामिल किया जाएगा।</p>				
<p>मैं/हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि उपर्युक्त लाभांश घोषित करते समय लाभांश की घोषणा के लिए बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया है।</p>				
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता				
नाम :				
पदनाम :				
दिनांक :				

एसपीडी द्वारा वित्तीय सेवाएं आउटसोर्स करने में जोखिम और आचार संहिता प्रबंधन पर निदेश

1. परिचय

1.1 आउटसोर्सिंग को इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है - एनबीएफसी द्वारा निरन्तरता के आधार पर किसी तीसरे पक्ष (जो किसी कापॉरेट समूह के भीतर एक सम्बद्ध संस्था हो या उस कापॉरेट समूह से बाहर की संस्था हो) के माध्यम से उन गतिविधियों को, वर्तमान या भविष्य में कराना जिन्हें सामान्यतः एनबीएफसी स्वयं करते हैं।

‘निरन्तरता के आधार’ के अंतर्गत सीमित अवधि के करार भी शामिल होंगे।

1.2 एनबीएफसी विभिन्न गतिविधियों की व्यापक आउटसोर्सिंग कर रहे हैं और इस प्रकार पैरा 5.3 में गए विवरण के अनुसार अनेक जोखिम उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा, आउटसोर्सिंग गतिविधियों को नियामक सीमा के अन्तर्गत लाया जाना है ताकि

क. ग्राहकों के हित की रक्षा हो सके। तथा

ख. सेवा प्रदाता की सभी बहियों, अभिलेखों और उपलब्ध सूचना तक संबंधित एनबीएफसी और भारतीय रिज़र्व बैंक की पहुँच सुनिश्चित की जा सके। सामान्य रूप से जिन वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग की जाती है उनमें अन्य के साथ-साथ आवेदनों की प्रोसेसिंग (ऋण का आरम्भ, क्रेडिट कार्ड), प्रलेखों /दस्तावेजों की प्रोसेसिंग, विपणन और शोध, ऋण का पर्यवेक्षण, डेटा प्रोसेसिंग और बैंक ऑफिस से संबंधित गतिविधियाँ शामिल हैं।

1.3 आउटसोर्सिंग के महत्वपूर्ण जोखिम हैं - कार्य नीतिगत जोखिम, प्रतिष्ठा जोखिम, अनुपालन जोखिम, विधिक जोखिम, निर्गमन नीति जोखिम, प्रतिपक्षी जोखिम, देश जोखिम, संविदागत जोखिम, प्रवेश जोखिम, संकेंद्रण और सर्वांगी जोखिम। यदि सेवा प्रदाता विनिर्दिष्ट सेवा देने में चूक करे, सुरक्षा /गोपनीयता का उल्लंघन करे अथवा सेवा प्रदाता द्वारा विधिक और विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन न हो तो एनबीएफसी को वित्तीय हानि या प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है तथा इससे सर्वांगी जोखिम भी उत्पन्न हो सकती है।

1.4 अतः एनबीएफसी के लिए यह आवश्यक होगा कि अपनी गतिविधियों का आउटसोर्सिंग करते समय वे यह सुनिश्चित करें कि उक्त गतिविधियों की आउटसोर्सिंग से उत्पन्न जोखिम के संबंध में प्रभावी पर्यवेक्षण और सावधानी बरतने तथा जोखिम प्रबंध करने के लिए उत्कृष्ट और सम्यक जोखिम प्रबंध पद्धतियाँ अपनाई जाए। ये निदेश भारत या अन्यत्र स्थित सेवा प्रदाता के साथ पैरा 3 में की गई व्याख्या के अनुसार एनबीएफसी द्वारा की गयी महत्वपूर्ण आउटसोर्सिंग व्यवस्था पर लागू होंगे। एनबीएफसी जिस समूह/संगुट का सदस्य हो, सेवा प्रदाता उसका सदस्य हो सकता है अथवा समूह से असम्बद्ध पक्ष हो सकता है।

1.5 इन निदेशों का अन्तर्निहित सिद्धान्त यह है कि विनियमितसंस्था यह सुनिश्चित करे कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था के कारण ग्राहकों और भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रति दायित्व पूर्ति की उसकी क्षमता में कमी नहीं होगी और न ही भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रभावी पर्यवेक्षण में कोई बाधा पहुँचेगी। अतः एनबीएफसी को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना होगा कि सेवाप्रदाता सेवा प्रदान करने में उतने ही उच्च स्तर की सावधानी बरतता है, जितनी तब एनबीएफसी बरतता, यदि आउटसोर्स की गई गतिविधियाँ एनबीएफसी

के भीतर ही रहती और उनकी आउटसोर्सिंग नहीं होती। अतः एनबीएफसी को ऐसी आउटसोर्सिंग नहीं करनी चाहिए जिनसे उनका आंतरिक नियंत्रण, कारोबारी आचरण या प्रतिष्ठा प्रभावित हो या क्षीण हो।

1.6 (i) ये निदेश वित्तीय सेवाओं के आउटसोर्सिंग से संबंधित जोखिम प्रबंधन से जुड़ा हुआ है और न कि तकनीकी संबंधित विषयों अथवा जो वित्तीय सेवाओं से संबंधित नहीं है जैसे कि कूरियर सेवा, स्टाफ के लिए खानपान, हाउसकीपिंग तथा साफ-सफाई सेवाएं, परिसरों की सुरक्षा, रिकॉर्डों को लाना-ले जाना और रख-रखाव इत्यादि। वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग के इच्छुक एनबीएफसी को भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं है। तथापि ऐसी व्यवस्था भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ऑन साइट/ऑफ साइट अनुवीक्षण और निरीक्षण / जांच के अधीन होगी।

(ii) क्रेडिट कार्डों से जुड़ी सेवाओं की आउटसोर्सिंग के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के [21 नवंबर 2005 के परिपत्र डीबीओडी.एफएसडी.बीसी.49/24.01.011/2005-06](#) में निहत क्रेडिट कार्ड गतिविधियों संबंधी विस्तृत निर्देश लागू होंगे।

## 2. ऐसी गतिविधियाँ जिनकी आउटसोर्सिंग नहीं की जानी है

जो एनबीएफसी वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग करने का निर्णय लेते हैं उन्हें आंतरिक लेखा परीक्षा, कार्यनीतिक तथा अनुपालन कार्य और निर्णय लेने से संबंधी कार्य, उदाहरण के लिए जमा खाता खोलने के लिए 'अपने ग्राहक को जानिए' मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करना, ऋण (खुदरा ऋण सहित) की मंजूरी देना और निवेश संविभाग का प्रबंध जैसे मुख्य प्रबंध संबंधी कार्यों की आउटसोर्सिंग नहीं करनी चाहिए। तथापि, समूह/संगुट में शामिल एनबीएफसी के लिए इन गतिविधियों का आउटसोर्सिंग अपने समूह में की जा सकती है, बशर्ते कि पैरा 6 में दिये गए निर्देशों का अनुपालन किया जाए। इसके अतिरिक्त, आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य जहां स्वयं में प्रबंधन प्रक्रिया है, वहां आंतरिक लेखा परीक्षक ठेके पर रखे जा सकते हैं।

## 3. महत्वपूर्ण आउटसोर्सिंग

इन निदेशों के संदर्भ में महत्वपूर्ण आउटसोर्सिंग व्यवस्थाएँ वे हैं जिनके बाधित होने पर कारोबारी परिचालन, प्रतिष्ठा, लाभप्रदता अथवा ग्राहक सेवा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। आउटसोर्सिंग की महत्ता निम्नलिखित पर आधारित होगी -

- आउटसोर्स की जा रही गतिविधि की एनबीएफसी के लिए महत्ता का स्तर तथा इससे जुड़े जोखिम की महत्ता।
- आउटसोर्सिंग का एनबीएफसी के विभिन्न परिमाणों यथा एनबीएफसी की आय, ऋण शोधन क्षमता, निधीयन पूंजी और जोखिम के स्वरूप पर प्रभाव। यदि सेवा प्रदाता सेवा न दे सके तो एनबीएफसी की प्रतिष्ठा और ब्रांड मूल्य तथा कारोबारी उद्देश्य, रणनीति और योजनाओं को कार्यान्वित करने की एनबीएफसी की योग्यता पर पड़ने वाला संभावित प्रभाव।
- एनबीएफसी की कुल परिचालन लागत के अनुपात के रूप में आउटसोर्सिंग की लागत।
- यदि एनबीएफसी एक ही सेवा प्रदाता को विभिन्न कार्यों की आउटसोर्सिंग करता है और उसका ग्राहक सेवा पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है तो आउटसोर्सिंग सेवा प्रदाता के प्रति कुल एक्सपोज़र तथा
- ग्राहक सेवा और सुरक्षा के संबंध में आउटसोर्स की गई गतिविधियों का महत्त्व।

#### **4. एनबीएफसी की भूमिका तथा विनियामक और पर्यवेक्षीय अपेक्षाएँ**

4.1 एनबीएफसी द्वारा अपनी किसी गतिविधि की आउटसोर्सिंग करने से एनबीएफसी का, उसके बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधतंत्र का दायित्व कम नहीं होता, क्योंकि आउटसोर्स की गयी गतिविधि का अन्तिम दायित्व उन्हीं पर है। अतः एनबीएफसी प्रत्यक्ष बिक्री एजेंट /प्रत्यक्ष विपणन एजेंट और वसूली एजेंटों सहित अपने सेवा प्रदाता के कार्यों तथा सेवा प्रदाता के पास ग्राहकों से संबंधित उपलब्ध सूचना की गोपनीयता के संबंध में उत्तरदायी होगा। एनबीएफसी के पास आउटसोर्स की गयी गतिविधि के संबंध में अंतिम नियंत्रण रहना चाहिए।

4.2 एनबीएफसी के लिए यह आवश्यक है कि आउटसोर्सिंग के संबंध में उचित सावधानी बरतते /समुचित छानबीन करते समय सभी संबंधित कानून, विनियमावली, मार्ग निर्देश, अनुमोदन, लाइसेंसिंग और पंजीकरण की शर्तों पर विचार करें।

4.3 आउटसोर्सिंग व्यवस्था से एनबीएफसी के विरुद्ध ग्राहक का अधिकार प्रभावित नहीं होना चाहिए तथा संबंधित कानून के अंतर्गत समाधान प्राप्त करने की ग्राहक की क्षमता भी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। चूंकि ग्राहकों को एनबीएफसी से कारोबार करने के क्रम में सेवा प्रदाता से कारोबार करना पड़ता है, अतः ऐसी स्थिति में एनबीएफसी को अपने उत्पाद साहित्य/पत्रों में इस प्रावधान को शामिल करना चाहिए कि एनबीएफसी अपने उत्पादों की बिक्री /विपणन आदि के लिए एजेंटों की सेवा लेगा। एजेंटों की भूमिका मोटे तौर पर बतायी जानी चाहिए।

4.4 सेवा प्रदाता आउटसोर्स की गयी गतिविधियों का प्रभावी रूप से पर्यवेक्षण और प्रबंध करने की एनबीएफसी की क्षमता प्रभावित नहीं होनी चाहिए तथा न तो भारतीय रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षीय कार्य और उद्देश्यों की पूर्ति में कोई बाधा उत्पन्न होनी चाहिए।

4.5 एनबीएफसी के पास शिकायत निवारण की सुदृढ़ प्रणाली होनी चाहिए, जिसमें आउटसोर्सिंग के कारण कोई ढील नहीं दी जानी चाहिए।

4.6 यदि सेवा प्रदाता एनबीएफसी की कोई समूह की कंपनी न हो तो वह एनबीएफसी के किसी निदेशक या कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत दिए गए अर्थ के अनुसार उनके संबंधियों द्वारा स्वाधिकृत या नियंत्रित नहीं होना चाहिए।

#### **5. आउटसोर्स की गयी वित्तीय सेवाओं के संबंध में जोखिम प्रबंध पद्धतियाँ**

##### **5.1 आउटसोर्सिंग नीति**

यदि कोई एनबीएफसी अपनी किसी वित्तीय गतिविधि की आउटसोर्सिंग करना चाहती है तो उसे एक समग्र आउटसोर्सिंग नीति बनानी चाहिए, जिसका अनुमोदन एनबीएफसी के बोर्ड ने किया हो तथा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसी गतिविधियों और सेवा प्रदाता के चयन की कसौटी, जोखिम और महत्ता के आधार पर प्राधिकार का प्रत्यायोजन तथा इन गतिविधियों के परिचालन की समीक्षा और निगरानी की प्रणाली शामिल होनी चाहिए।

##### **5.2 बोर्ड तथा वरिष्ठ प्रबंधन की भूमिका**



### 5.2.1 बोर्ड की भूमिका

एनबीएफसी का बोर्ड या बोर्ड की ऐसी समिति जिसे शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी हैं, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगी-

- i. वर्तमान और भावी सभी आउटसोर्सिंग के जोखिमों और महत्ता के मूल्यांकन तथा ऐसी व्यवस्थाओं पर लागू नीतियों के मूल्यांकन की एक प्रणाली का अनुमोदन करना;
- ii. जोखिमों और महत्ता के आधार पर आउटसोर्सिंग के लिए उपयुक्त अनुमोदन करने वाले प्राधिकारियों का निर्धारण करना;
- iii. इन निदेशों के अनुपालन के लिए वरिष्ठ प्रबंधन का एक उपयुक्त प्राशसनिक ढांचा गठित करना;
- iv. आउटसोर्सिंग जारी रखने की प्रासंगिकता तथा उनकी सुरक्षा और सुदृढता के लिए आउटसोर्सिंग कार्य नीतियों और व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा करना;
- v. आउटसोर्स की जानेवाली महत्वपूर्ण स्वरूप की कारोबारी गतिविधि के संबंध में निर्णय लेना और ऐसी व्यवस्थाओं का अनुमोदन करना।

### 5.2.2 वरिष्ठ प्रबंधन के उत्तरदायित्व

- i. बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रणाली के आधार पर सभी वर्तमान और भावी आउटसोर्सिंग के जोखिमों और महत्ता का मूल्यांकन करना;
- ii. आउटसोर्सिंग गतिविधियों के स्वरूप, संभावना और जटिलता के अनुरूप सुदृढ और प्रुडेन्शियल आउटसोर्सिंग नीतियां और क्रियविधियां विकसित करना और उन्हें कार्यान्वित करना;
- iii. नीतियों और क्रियविधियों की कारगरता की आवधिक रूप से समीक्षा करना;
- iv. महत्वपूर्ण आउटसोर्सिंग जोखिमों से संबंधित जानकारी बोर्ड को समय पर देना;
- v. यह सुनिश्चित करना कि वास्तविक और संभावित विघटनकारी स्थितियों पर आधारित आकस्मिकता योजनाएं बनायी जाती हैं और उनका परीक्षण किया जाता है;
- vi. यह सुनिश्चित करना कि निर्धारित नीतियों के अनुपालन के लिए स्वतंत्र समीक्षा और लेखा परीक्षा की जाती है और
- vii. आउटसोर्सिंग व्यवस्थाओं की आवधिक रूप से समीक्षा करना ताकि उत्पन्न होने वाले नये महत्वपूर्ण आउटसोर्सिंग जोखिमों का पता लगाया जा सके।

### 5.3 जोखिमों का मूल्यांकन

एनबीएफसी द्वारा आउटसोर्सिंग के निम्नलिखित मुख्य जोखिमों का मूल्यांकन और उससे निपटने की ज़रूरत है -

- I. कार्य नीतिगत जोखिम - सेवा प्रदाता अपनी ओर से कोई ऐसा कारोबार कर रहा है, जो एनबीएफसी के समग्र कार्य नीतिगत लक्ष्यों के अनुरूप नहीं है।
- II. प्रतिष्ठा जोखिम - सेवा प्रदाता की खराब सेवा, ग्राहकों के साथ उसका परस्पर संपर्क एनबीएफसी के समग्र मानकों/स्तर के अनुरूप न हो।
- III. अनुपालन जोखिम - गोपनीयता, उपभोक्ता और प्रुडेन्शियल कानूनों का पर्याप्त रूप से अनुपालन न किया जाना।

- IV. परिचालन जोखिम - टेक्नोलॉजी फेल होने, धोखाधड़ी, गलती, दायित्वों को पूरा करने तथा/या उनके उपायों के लिए अपर्याप्त वित्तीय क्षमता से होनेवाले जोखिम।
- V. विधिक जोखिम - इसमें सेवा प्रदाता की गलती के कारण पर्यवेक्षी कार्रवाई तथा निजी निपटानों के फलस्वरूप लगनेवाले जुर्माने, दंड या दंडात्मक हानि शामिल है।
- VI. निर्गमन कार्य नीति जोखिम - यह जोखिम एक ही फर्म पर अत्यधिक निर्भरता तथा एनबीएफसी में संबंधित कौशल की हानि से हो सकती है, जिससे उस गतिविधि को वापस आंतरिक रूप से एनबीएफसी में नहीं लाया जा सकता। यह जोखिम तब भी उत्पन्न होती है जब ऐसी संविदाएं की गयी हों जिनसे जल्दी बाहर निकलना अत्यधिक खर्चीला सिद्ध हो।
- VII. प्रतिपक्षी जोखिम - अनुपयुक्त हामीदारी या साख मूल्यांकन के कारण होने वाला जोखिम।
- VIII. संविदागत जोखिम - यह इस तथ्य पर निर्भर करता है कि संविदा लागू करने की एनबीएफसी की क्षमता है या नहीं।
- IX. संकेंद्रण और सर्वांगी जोखिम - जहां किसी सेवा प्रदाता पर समग्र उद्योग जगत अत्यधिक रूप से निर्भर हो और इस प्रकार एनबीएफसी इस सेवा प्रदाता पर अपना नियंत्रण नहीं रख सकता है।
- X. देश संबंधी जोखिम - राजनैतिक, सामाजिक या कानूनी वातावरण के कारण निर्मित होनेवाली अतिरिक्त जोखिम।

#### 5.4 सेवा प्रदाता की क्षमता का मूल्यांकन करना

5.4.1 आउटसोर्सिंग व्यवस्था पर विचार करते समय या समीक्षा करते समय आउटसोर्सिंग व्यवस्था में निहित दायित्वों की सेवा प्रदाता द्वारा अनुपालन करने की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए उचित सतर्कता बरती जानी चाहिए। उचित सतर्कता के अंतर्गत गुणात्मक और मात्रात्मक, वित्तीय, परिचालन तथा प्रतिष्ठा संबंधी तत्वों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। एनबीएफसी को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या सेवा प्रदाताओं की प्रणाली उनकी अपनी प्रणाली के अनुरूप है तथा ग्राहक सेवा क्षेत्र सहित क्या उनके कार्य निष्पादन का स्तर उन्हें स्वीकार्य है। सेवा प्रदाता की क्षमता का मूल्यांकन करते समय एनबीएफसी को एक ही सेवा प्रदाता के साथ आउटसोर्सिंग व्यवस्थाओं के अनुचित संकेंद्रण से संबंधित मुद्दों पर भी विचार करना चाहिए। जहां कहीं संभव हो, वहां एनबीएफसी को अपने निष्कर्षों के समर्थन में सेवा प्रदाता के संबंध में स्वतंत्र समीक्षाएं और बाज़ार का फीड बैक प्राप्त करना चाहिए।

5.4.2 उचित सतर्कता के अंतर्गत सेवा प्रदाता के बारे में उपलब्ध सभी सूचना का मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। उसमें निम्नलिखित शामिल हैं, परंतु यह यहीं तक सीमित नहीं है -

- i. संविदागत अवधि में प्रस्तावित गतिविधि के कार्यान्वयन और समर्थन हेतु पिछला अनुभव और क्षमता;
- ii. विपरीत परिस्थितियों में भी वायदों को पूरा करने की वित्तीय सुदृढ़ता और क्षमता;
- iii. कारोबारी प्रतिष्ठा और संस्कृति, अनुपालन, शिकायतें और वर्तमान या संभावित मुकदमा;
- iv. सुरक्षा और आंतरिक नियंत्रण, लेखा परीक्षा व्याप्ति, सूचना और निगरानी प्रणाली, कारोबार निरंतरता प्रबंधन और
- v. अपने कर्मचारियों के संबंध में सेवा प्रदाता द्वारा उचित सतर्कता सुनिश्चित करना।

## 5.5 आउटसोर्सिंग करार

एनबीएफसी और सेवा प्रदाता के बीच संविदा को नियंत्रित करनेवाली शर्तें लिखित करार में सावधानी पूर्वक परिभाषित की जानी चाहिए तथा एनबीएफसी के विधि परामर्शदाता द्वारा उनके कानूनी प्रभाव एवं प्रवर्तनीयता की जांच की जानी चाहिए। ऐसे प्रत्येक करार में जोखिमों और उन्हें कम करने की कार्य नीतियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। करार पर्याप्त रूप से लचीला हो जिससे एनबीएफसी आउटसोर्सिंग पर उचित नियंत्रण बनाये रख सके तथा कानूनी और विनियामक बाध्यताओं को पूरा करने के लिए उचित उपायों के साथ दखल देने का उसे अधिकार हो। करार में पक्षकारों के बीच कानूनी संबंध का स्वरूप भी बताया जाना चाहिए - अर्थात् यह संबंध एजेंट, प्रधान या अन्य प्रकार का है। संविदा के कुछ प्रमुख प्रावधान निम्नप्रकार होंगे -

- i. संविदा में स्पष्ट रूप से यह परिभाषित किया जाए कि कौन सी गतिविधियां आउटसोर्स की जानेवाली हैं तथा उनकी उपयुक्त सेवा और कार्य निष्पादन मानक क्या होंगे;
- ii. एनबीएफसी को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि आउटसोर्स की जानेवाली गतिविधि के लिए प्रासंगिक सेवा प्रदाता के पास उपलब्ध सभी बहियों, रिकॉर्डों और सूचना प्राप्त करने की उसकी क्षमता है;
- iii. संविदा में एनबीएफसी द्वारा सेवा प्रदाता की निरंतर निगरानी और मूल्यांकन का प्रावधान होना चाहिए ताकि कोई भी आवश्यक सुधारात्मक उपाय तत्काल किया जा सके;
- iv. समापन शर्त और समापन प्रावधान निष्पदित करने की न्यूनतम अवधियां, यदि आवश्यक समझा जाए तो, शामिल की जानी चाहिए;
- v. ऐसे नियंत्रण जिनसे ग्राहक संबंधी आँकड़ों की गोपनीयता तथा सुरक्षा भंग करने और ग्राहक से संबंधित गोपनीय सूचना लीक होने के मामले में सेवा प्रदाताओं की देयता सुनिश्चित हो;
- vi. कारोबार की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए आकस्मिक योजनाएं;
- vii. सेवा प्रदाता द्वारा आउटसोर्स की जानेवाली सभी गतिविधि या उसके किसी भाग के लिए उप कां्ट्रक्टर का उपयोग करने के लिए संविदा में एनबीएफसी द्वारा पूर्व अनुमोदन/ सहमति का प्रावधान होना चाहिए ;
- viii. एनबीएफसी द्वारा उसके आंतरिक या बाह्य लेखा परीक्षकों द्वारा अथवा उसकी ओर से कार्य करने के लिए नियुक्त एजेंटों द्वारा लेखा परीक्षा करने के तथा एनबीएफसी के लिए दी गयी सेवा के साथ सेवा प्रदाता के संबंध में की गयी लेखा परीक्षा या समीक्षा रिपोर्टें तथा निष्कर्षों की प्रतियां प्राप्त करने के अधिकार का प्रावधान हो;
- ix. आउटसोर्सिंग करार में ऐसे खंड शामिल होने चाहिए जिनसे भारतीय रिज़र्व बैंक या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों को सेवा प्रदाता को दी गयी या उसके पास रखी गयी अथवा उसके द्वारा प्रोसेस किये गये एनबीएफसी के दस्तावेज, लेनदेनों के रिकार्ड तथा अन्य आवश्यक सूचना उचित समय के भीतर प्राप्त की जा सके;
- x. आउटसोर्सिंग करार में ऐसा खंड भी शामिल होना चाहिए जिसमें रिज़र्व बैंक के किसी एक या अधिक अधिकारियों या कर्मचारियों या अन्य व्यक्तियों द्वारा एनबीएफसी के सेवा प्रदाता और उसकी बहियों तथा खाते का निरीक्षण करने के अधिकार को स्वीकार किया गया हो;
- xi. आउटसोर्सिंग करार में यह भी प्रावधान होना चाहिए कि संविदा समाप्त होने या समाप्त किये जाने के बाद भी ग्राहक संबंधी सूचना की गोपनीयता बनाये रखी जाएगी; और

- xii. आउटसोर्सिंग करार में सेवा काल की समाप्ति के पश्चात भी सेवा प्रदाता द्वारा एनबीएफसी के हित में दस्तावेज और डाटा परिरक्षण के लिए विधिक दायित्व के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई का प्रावधान सुनिश्चित किया जाएगा।

## 5.6 गोपनीयता तथा सुरक्षा

**5.6.1** एनबीएफसी पर आम जनता का भरोसा तथा ग्राहक का विश्वास एनबीएफसी की स्थिरता तथा प्रतिष्ठा की पूर्वापेक्षा है। अतः एनबीएफसी को चाहिए कि वह अपनी अभिरक्षा में अथवा सेवा प्रदाता के पास जो भी ग्राहक संबंधी जानकारी है उसकी सुरक्षा तथा गोपनीयता को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करे।

**5.6.2** सेवा प्रदाता के स्टाफ की ग्राहक संबंधी जानकारी तक पहुंच 'जानना आवश्यक' आधार पर होनी चाहिए अर्थात् पहुंच उन क्षेत्रों तक सीमित रहनी चाहिए जहां आउटसोर्स किए गए कार्य के निष्पादन के लिए वह जानकारी आवश्यक है।

**5.6.3** एनबीएफसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एनबीएफसी के ग्राहक से संबंधित जानकारी, दस्तावेज, अभिलेख तथा परिसंपत्ति को सेवा प्रदाता अलग तथा स्पष्टरूप से पहचान सकता है ताकि जानकारी की गोपनीयता सुरक्षित रह सकती है। उस स्थिति में जहां सेवा प्रदाता अनेक एनबीएफसी के लिए आउटसोर्सिंग एजेंट का कार्य करता है, वहां प्रभावशाली सुरक्षा उपाय बनाने की सावधानी बरतनी चाहिए जिससे जानकारी दस्तावेज /, अभिलेख तथा परिसंपत्तियों का आपस में मिश्रण नहीं होगा।

**5.6.4** एनबीएफसी को सेवा प्रदाता की सुरक्षा पद्धतियों तथा नियंत्रण प्रक्रियाओं की नियमित आधार पर समीक्षा तथा निगरानी करनी चाहिए तथा सेवा प्रदाता से सुरक्षा के उल्लंघनों की जानकारी अवश्य प्राप्त करनी चाहिए।

**5.6.5** ग्राहक से संबंधित गोपनीय जानकारी के प्रकट होने तथा सुरक्षा में किसी भी प्रकार का उल्लंघन होने की स्थिति में एनबीएफसी को भारतीय रिज़र्व बैंक को तत्काल सूचित करना चाहिए। इस तरह की घटनाओं में एनबीएफसी किसी भी क्षति के लिए अपने ग्राहकों के प्रति उत्तरदायी होगा।

## 5.7 प्रत्यक्ष बिक्री एजेंट/प्रत्यक्ष विपणन एजेंट/ वसूली एजेंट की जिम्मेदारियां

**5.7.1** एनबीएफसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्यक्ष बिक्री एजेंट/प्रत्यक्ष विपणन एजेंट/वसूली एजेंट को उनकी जिम्मेदारियों को, विशेषतः नये ग्राहक बनाना, फोन करने का समय, ग्राहक संबंधी जानकारी की गोपनीयता तथा प्रस्तावित उत्पादों की सही शर्तें बताने आदि से संबंधित पहलुओं को सावधानी तथा संवेदनशीलता से पूरा करने के लिए समूचित रीति से प्रशिक्षित किया गया है।

**5.7.2** एनबीएफसी डीएसए/डीएमए/वसूली एजेंट के लिए अपने बोर्ड से अनुमोदित उचित व्यवहार संहिता लागू करेंगे और उनसे इस संहिता का अनुपालन संबंधी स्वीकृति प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त वसूली एजेंटों को एनबीएफसी संबंधी उचित व्यवहार संहिता में शामिल अनुदेश तथा बकाये की वसूली तथा प्रतिभूति के पुनर्ग्रहण के संबंध में उनकी अपनी संहिता का भी पालन करना होगा। यह आवश्यक है कि वसूली एजेंट ऐसी कोई कार्रवाई न करें जिससे एनबीएफसी की ईमानदारी तथा प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचे और इसके साथ ही उन्हें ग्राहक गोपनीयता का कड़ाई से पालन करना चाहिए।

**5.7.3** एनबीएफसी तथा उनके एजेंटों को अपने ऋण वसूली के प्रयासों में किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी प्रकार की शाब्दिक डाँट-डपट अथवा शारीरिक उत्पीड़न का सहारा नहीं लेना चाहिए। इनमें ऋणकर्ता के परिवार के सदस्यों, मध्यस्थ (रेफरी) तथा उनके दोस्तों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना अथवा उनकी निजी जिन्दगी में हस्तक्षेप करना, धमकी देने वाले तथा बेनामी फोन करना अथवा झूठे तथा भ्रामक दुष्प्रचार करना भी शामिल हैं।

## **5.8 कारोबार की निरंतरता तथा आपातकालीन बहाली (डिज़ास्टर रिकवरी) योजना का प्रबंधन**

**5.8.1** एनबीएफसी को अपने सेवा प्रदाताओं से कारोबार की निरंतरता तथा बहाली क्रियाविधियों के प्रलेखन, उन्हें बनाए रखने तथा जांच के लिए एक संतुलित ढांचा स्थापित तथा विकसित करने की अपेक्षा करनी चाहिए। एनबीएफसी को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सेवा प्रदाता कारोबार निरंतरता तथा बहाली योजना की आवधिक रूप से जांच करता है तथा एनबीएफसी अपने सेवा प्रदाता के साथ सामयिक संयुक्त जांच तथा बहाली अभ्यास करने पर भी विचार करे।

**5.8.2** आउटसोर्सिंग करार की अप्रत्यक्षित समाप्ति अथवा सेवा प्रदाता के परिसमापन से उत्पन्न जोखिम को कम करने के लिए एनबीएफसी को चाहिए कि वे अपने आउटसोर्सिंग पर उचित स्तर का नियंत्रण रखें तथा ऐसे मामलों में अत्यधिक व्यय किए बिना तथा एनबीएफसी के परिचालनों तथा उसके ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं में किसी भी प्रकार की रुकावट के बिना अपने कारोबार परिचालनों को जारी रखने के लिए उचित उपायों के साथ हस्तक्षेप करने का अधिकार रखें।

**5.8.3** एक सक्षम आकस्मिकता योजना स्थापित करने के लिए, एनबीएफसी को वैकल्पिक सेवा प्रदाताओं की उपलब्धता अथवा आपात स्थिति में आउटसोर्स किए गए काम को फिर से एनबीएफसी में करने के लिए वापस लाने की संभावना तथा ऐसा करने में जो लागत, समय व संसाधन खर्च होंगे उसपर विचार करना चाहिए।

**5.8.4** आउटसोर्सिंग से अक्सर सेवा प्रदाता द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का उपयोग किया जाता है। एनबीएफसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सेवा प्रदाता एनबीएफसी की जानकारी, दस्तावेज तथा अभिलेख तथा अन्य परिसंपत्तियों को अलग करने की क्षमता रखते हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि अनुकूल परिस्थितियों में सेवा प्रदाता को दिए गए सभी दस्तावेज, लेनदेन के अभिलेख तथा जानकारी तथा एनबीएफसी की परिसंपत्तियों को एनबीएफसी के कारोबार के परिचालनों को जारी रखने के लिए सेवा प्रदाता के पास से निकाला जा सकता है अथवा मिटाया, नष्ट अथवा अप्रयोज्य बनाया जा सकता है।

## **5.9 आउटसोर्स किए गए कार्यों की निगरानी तथा नियंत्रण**

**5.9.1** एनबीएफसी के पास अपने आउटसोर्सिंग कार्यों की निगरानी तथा नियंत्रण के लिए एक प्रबंधन संरचना तैयार होनी चाहिए। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सेवा प्रदाता के साथ आउटसोर्सिंग करारों में आउटसोर्स किए गए कार्यों की उनके द्वारा निगरानी तथा नियंत्रण के प्रावधान होने चाहिए।

**5.9.2** सभी महत्वपूर्ण आउटसोर्सिंग का एक केंद्रीय अभिलेख रहना चाहिए जो एनबीएफसी के बोर्ड तथा वरिष्ठ प्रबंध तंत्र की समीक्षा के लिए तत्काल उपलब्ध हो। इन अभिलेखों को तत्काल अद्यतन किया जाना चाहिए तथा बोर्ड अथवा जोखिम प्रबंधन समिति के समक्ष अर्धवार्षिक समीक्षाएं रखी जानी चाहिए।

**5.9.3** एनबीएफसी के आंतरिक लेखा परीक्षकों अथवा बाह्य लेखा परीक्षकों द्वारा नियमित लेखा परीक्षा से आउटसोर्सिंग व्यवस्था के निरीक्षण तथा प्रबंधन में अपनाई गयी जोखिम प्रबंध पद्धतियों की पर्याप्तता, अपने जोखिम प्रबंध ढांचे तथा इन निदेशों की अपेक्षाओं का एनबीएफसी द्वारा अनुपालन का मूल्यांकन किया जाए।

**5.9.4** एनबीएफसी को कम-से-कम वार्षिक आधार पर सेवा प्रदाता की वित्तीय तथा परिचालन स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए जिससे उसकी अपने आउटसोर्सिंग दायित्वों को पूरा करते रहने की क्षमता का मूल्यांकन होगा। ऐसी उचित सावधानी समीक्षाओं में जो सेवा प्रदाता से संबंधित समस्त उपलब्ध जानकारी पर आधारित होंगी, कार्यनिष्पादन मानकों, गोपनीयता तथा सुरक्षा और कारोबार की निरंतरता को बनाए रखने की तत्परता में किसी प्रकार की गिरावट अथवा उल्लंघन को विशिष्ट रूप से दर्शाया जाए।

**5.9.5** किसी भी कारण से आउटसोर्सिंग करार की समप्ति हो, जिसमें सेवा प्रदाता ग्राहकों से कोई कारोबार करता है, तो इसे प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित कर, वेबसाइट पर अपलोड कर और ग्राहकोंको सूचित करके प्रचारित किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ग्राहक सेवा प्रदाता से सेवा लेना जारी नहीं रखें।

**5.9.6** कुछ मामलों में जैसे नकद प्रबंधन के आउटसोर्सिंग में एनबीएफसी, सेवा प्रदाता और उसके उप ठेकेदारों के बीच हुए लेनदेन का मिलान करना शामिल है। ऐसे मामलों में एनबीएफसी यह सुनिश्चित करेगा कि एनबीएफसी और सेवा प्रदाता (और/अथवा उप ठेकेदार) के बीच लेन-देन का समय पर मिलान सुनिश्चित किया जाएगा। आउटसोर्स किये गए वेंडर के साथ लंबित प्रविष्टियों का बाद में विश्लेषण कर लेखा परीक्षा समिति बोर्ड (एसीबी) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और एनबीएफसी पुराने शेष बचे मामलों को अतिशीघ्र कम करने के लिए प्रयास करेगी।

**5.9.7** आउटसोर्स की गई सभी गतिविधियों की आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए एक सुदृढ़ प्रणाली होगी और इसकी निगरानी एनबीएफसी के एसीबी द्वारा किया जाएगी।

## **5.10 आउटसोर्स की गयी सेवाओं से संबंधित शिकायतों का निवारण**

i. एनबीएफसी को शिकायत निवारण प्रक्रिया पर आरबीआई के दिनांक 18 फरवरी 2003, के परिपत्र संख्या [DNBS.CC.PD.No.320/03.10.01/2012-13 दिनांक 18 फरवरी, 2013](#) में दिये अनुसार शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करेगी। प्रचालन के स्तर पर सभी एनबीएफसी को अपने पदनामित शिकायत निवारण अधिकारी का नाम तथा संपर्क (फोन नंबर/ मोबाईल नंबर और साथ ही ईमेल आईडी को शाखाओं अथवा जिस स्थान पर कारोबार है उसे प्रकाशित करना चाहिए) का व्यापक प्रचार करना चाहिए। पदनामित अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राहकों की प्रामाणिक शिकायतों का अविलंब तथा तत्परता से निवारण होता है। यह स्पष्टतः दर्शाया जाए कि एनबीएफसी का शिकायत निवारण तंत्र आउटसोर्स की गयी एजेंसी द्वारा दी गयी सेवाओं से संबंधित मामलों पर भी कार्रवाई करेगा।

ii. सामान्यतः, ग्राहकों को शिकायत प्रस्तुत करने के लिए 30 दिनों की समय-सीमा दी जाए। एनबीएफसी की शिकायत निवारण क्रियाविधि तथा शिकायतों का उत्तर देने के लिए निर्धारित की गयी समय-सीमा बैंक की वेबसाइट पर रखी जाए।

## 5.11 वित्तीय आसूचना इकाई अथवा अन्य सक्षम अधिकारियों को लेनदेन की रिपोर्ट करना

एनबीएफसी सेवा प्रदाता द्वारा किए गए एनबीएफसी के ग्राहकों से संबंधित कार्यों के संबंध में वित्तीय आसूचना इकाई अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी को मुद्रा लेनदेन रिपोर्ट तथा संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी एनबीएफसी की होगी।

## 6. समूह/संगुट के अंदर आउटसोर्सिंग

**6.1** सामूहिक संरचना में, एनबीएफसी का बैंक ऑफिस और समूह की संस्था के साथ सेवा व्यवस्था/करार हो सकता है, जैसे - परिसर को साझा करना, विधिक और अन्य व्यावसायिक सेवाएं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन, केंद्रीयकृत बैंक-ऑफिस गतिविधियां, कुछ वित्तीय सेवाओं को समूह के अन्य संस्था को आउटसोर्स करना आदि। समूह की संस्था के साथ इसप्रकार की व्यवस्था करने से पहले, एनबीएफसी बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति और समूह के अन्य संस्थाओं के साथ सेवा संबंधी करार/व्यवस्था भी हो, जिसमें संपदाओं यथा परिसर, कार्मिक इत्यादि को साझा करने के लिए निश्चित सीमा तय हो। इसके अतिरिक्त जहां कहीं भी अनेक सामूहिक कंपनियां शामिल हैं अथवा क्रॉस सेलिंग होती है, तो ऐसे में ग्राहकों को विशेष रूप से यह सूचना दी जाए कि वास्तविक रूप से कौन सी कंपनी सेवा/उत्पाद दे रही है।

## 6.2 ऐसी व्यवस्था आरंभ करने से पहले एनबीएफसी यह सुनिश्चित करेगी कि ये -

- क. करारों का विवरण जैसे कि सेवा का विस्तार, सेवा का शुल्क और ग्राहकों के आंकड़े की गोपनीयता को बरकरार रखने सहित को उपयुक्त रूप से दस्तावेज में लिखा गया है;
- ख. एनबीएफसी और उनके समूह की अन्य कंपनियों की गतिविधियों के बीच स्थानों का भौतिक विभेद करके वे ग्राहकों के बीच यह भ्रम न रहने दें कि वे किनके उत्पाद/सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं;
- ग. स्वतंत्ररूप से एनबीएफसी की जोखिमों की पहचान करने और उसका प्रबंधन करने की क्षमता को पहचानने में किसी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहिए;
- घ. भारतीय रिज़र्व बैंक को पर्यवेक्षण के लिए एनबीएफसी अथवा पूरे समूह से संबंधित वांछित जानकारी प्राप्त करने से रोकना नहीं चाहिए;
- ङ. लिखित करार में एक खंड डाला जाए कि किसी भी सेवा प्रदाता के लिए एनबीएफसी गतिविधियों से संबंधित आरबीआई द्वारा दिये गए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा

**6.3** एनबीएफसी यह सुनिश्चित करेगा कि समूह की कंपनी द्वारा प्रदत्त परिसर अथवा अन्य सेवाओं (जैसे कि आईटी प्रणाली, सहायक स्टाफ) की उपलब्धता बाधित होने पर सुचारू ढंग से उनके कार्य करने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**6.4** यदि एनबीएफसी का परिसर समूह की कंपनियों द्वारा क्रॉस सेलिंग के लिए साझा किया जाता है तो एनबीएफसी यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहकों के लिए कंपनी की पहचान स्पष्ट रूप से पता चले और कोई भ्रम न हो। एनबीएफसी के परिसर में समूह की कंपनी द्वारा प्रयुक्त विपणन ब्रोशर और इसके कार्मिकों/एजेंटों द्वारा मौखिक संवाद में एनबीएफसी के साथ उस कंपनी की व्यवस्थाओं की प्रकृति बतानी होगी ताकि ग्राहकों को उत्पाद के बिक्रेता के बारे में स्पष्ट जानकारी हो।

**6.5** एनबीएफसी ऐसा कोई भी विज्ञापन नहीं देगा अथवा कोई करार करेगा जिसमें यह कहा गया हो अथवा सुझाव दिया गया हो अथवा बिना कहे इस बात का प्रभाव डाला जाए कि वह अपने समूह की कंपनियों के दायित्वों के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी है।

**6.6** किसी संबंधित पार्टी (अर्थात् समूह /संगुट के भीतर की पार्टी) को आउटसोर्स करते समय एनबीएफसी द्वारा अपनाये जाने वाले जोखिम प्रबंधन कार्यप्रणाली वैसी ही होनी चाहिए जैसी कि इस निर्देश के पैरा 5 में दिया गया है।

## **7. वित्तीय सेवाओं की विदेशी आउटसोर्सिंग**

**7.1** विदेश में सेवा प्रदाताओं को नियुक्त करने से एनबीएफसी को देश संबंधी जोखिम हो सकती है, जिसके अंतर्गत विदेश में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थितियां तथा घटनाओं का एनबीएफसी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ऐसी स्थितियां तथा घटनाएं सेवा प्रदाता को एनबीएफसी के साथ किए गए करार की शर्तों को पूरा करने से रोक सकती हैं। ऐसे आउटसोर्सिंग कार्यों में होने वाले देश संबंधी जोखिम के प्रबंधन के लिए एनबीएफसी को चाहिए कि वह जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तथा निरंतर आधार पर भी जिन देशों में सेवा प्रदाता स्थित है उन देशों की सरकारी नीतियों तथा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा विधिक स्थितियों को ध्यान में ले तथा कड़ी निगरानी रखें और देश संबंधी जोखिम की समस्याओं पर कार्रवाई करने के लिए सुदृढ़ क्रियाविधियां स्थापित करें। इसमें संकटकालीन तथा बहिर्गमन संबंधी उचित नीतियां शामिल हैं। सिद्धान्ततः, ऐसी व्यवस्थाएं केवल उन पक्षकारों के साथ होनी चाहिए जो ऐसे क्षेत्राधिकार में कार्य करती हों जहाँ सामान्यतः गोपनीयता संबंधी शर्तों तथा करारों का पालन किया जाता है। व्यवस्था को लागू करनेवाले कानून का भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

**7.2** भारत के बाहर आउटसोर्स किए गए कार्यों का संचालन इस तरह से किया जाए कि एनबीएफसी के भारत में किए जाने वाले कार्यों के समय पर पर्यवेक्षण करने अथवा पुनर्निर्माण करने के प्रयासों में रुकावट न आए।

**7.3** भारतीय प्रचालन से संबंधित वित्तीय सेवाओं के विदेशी आउटसोर्सिंग के संबंध में एनबीएफसी को उक्त के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित करना है कि

- क. जहां विदेशी सेवा प्रदाता एक निगमित कंपनी है, तो संबंधित विदेशी नियामक कभी भी व्यवस्था में रुकावट उत्पन्न नहीं करेगा और न ही आरबीआई निरीक्षण दौरा/एनबीएफसी के आंतरिक तथा बाह्य लेखा परीक्षक को रोकेगा।
- ख. प्रबंधन और आरबीआई के पास रिकॉर्ड की उपलब्धता तब तक रहेगी जब तक विदेशी संरक्षक अथवा भारत में एनबीएफसी दिवालिया नहीं हो जाते हैं।
- ग. विदेश स्थित विनियामक प्राधिकारी के पास, मात्र इस आधार पर कि प्रोसेसिंग वहां की जा रही है, (यदि ऑफसोर प्रोसेसिंग एनबीएफसी के देश में हो तो यह लागू नहीं है) एनबीएफसी के भारतीय गतिविधियों से संबंधित आंकड़े तक पहुंच नहीं होनी चाहिए।
- घ. विदेश स्थित स्थान जहां आंकड़े रखे जा रहे हों से संबंधित न्यायालय के क्षेत्राधिकार, इस आधार पर कि आंकड़े की प्रोसेसिंग वहां होती है, भले ही वास्तविक अंतरण भारत में हो, भारत में एनबीएफसी की गतिविधियों पर लागू नहीं होंगे और
- ड. सभी मूल रिकार्ड भारत में ही रखे जाएंगे।

\*\*\*\*\*